राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्ठम विधान सभा के प्रथम सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या 9

बृहस्पतिवार

28 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

आदर्शनगर थाना जयपुर के पास बसी कच्ची बस्ती के लोगों को अन्यत्र बसाने की योजना

93. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर, आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है, कि जयपुर नगर के आदर्श नगर थाने के पास बसी कच्ची बस्ती के लोगों को कहीं अन्यत्र बसाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्य रूप में परिणत हो सकेगी ?

विधि-मन्त्री (श्री सम्पतराम) : जी हां। किन्तु अभी इस कार्य के लिए निश्चित की गई भूमि का कब्जा राजस्थान आवासन मंडल द्वारा नहीं दिया गया है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। कब्जा प्राप्त होने पर इस योजना को कार्य रूप दिया जा सकेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनके लिए स्थान कहां देंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान (प्रटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों की संख्या कितनी है जिनको आप शिफ्ट करेंगे एक जगह से ?

श्री सम्पतराम : जवाहर नगर कालोनी के पास कुछ जमीन है, जहां पर इन लोगों को बसाने की बात है।

जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह काम कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री सम्पतराम : इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सम्पतराम : इस काम को सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। वहां पर करीब तीन सौ फेमिली आबाद हैं। हमने यह सोचा है कि उनको वहीं बसाया

(श्री सम्पतराम)

जाय लेकिन जमीन कम है, इसलिए दूसरी जगह जहां पर काफी जमीन है, यह सोचा है कि उनको वहां पर बसाया जाय। करीब दस एकड़ जमीन हमने हाउसिंग बोर्ड से ली है, और करीब करीब पजेशन भी हो गया है। मेन मुद्दा इसमें यह है कि हम सस्ती जमीन लेना चाहते हैं और हाउसिंग बोर्ड ज्यादा पैसे मांग रहा है। गरीब ग्रादमी ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है जिसमें फाइनेंस कमिश्नर, उपनिवेशन कमिश्नर हैं ग्रौर चीफ सेक्रेटरी उसके ग्रध्यक्ष हैं। उसकी रिपोर्ट ग्राने के बाद ग्रावश्यक निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरजीराम बुरडक।

राज्य से सेलस टैक्स समाप्त करने की योजना

94. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार राज्य में सेलस टैक्स समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने ग्रब तक क्या क्या कदम उठाये हैं तथा पूर्णतया सेलस टैक्स कब तक खत्म कर दिया जायगा?

(2) इस प्रकार सेलस टैक्स खत्म करने से जो राजस्व ग्राय में कमी होगी उसको किस प्रकार पूरा किया जायेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वित्त मंत्री (श्री ग्रादित्येन्द्र) : (1) राज्य में सेल्स टैक्स समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार ने ग्रभी विचार नहीं किया है। ग्रत: इस बारे में क्या क्या कदम उठाये जायेंगे इस समय नहीं कहा जा सकता।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय, ग्रापकी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि हमारी सरकार बनने के बाद बिक्री कर को समाप्त कर दिया जायगा। ग्रभी मंत्री महोदय ने फर्माया कि ग्रभी तक विचार ही प्रारम्भ नहीं किया गया है। तो क्या मैं यह मान कर चलूं कि सरकार का इरादा बिक्री कर को समाप्त करने का नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मैं यह मानकर चलूं कि सरकार की मन्शा इस पर विचार करने की नहीं है ग्रौर बिक्री कर को समाप्त नहीं करना चाहती? माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री ग्रादित्येन्द्र : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के ग्रध्यक्ष श्री एल. के. झा, राज्यपाल जम्मू एवं काश्मीर थे। इस कमेटी के सामने कई मुद्दे थे ग्रौर उनमें एक मुद्दा यह भी था कि सेल्स टैक्स के स्थान पर कोई दूसरा टैक्स लगाया जाय या एक्साइज ड्यूटी से इसको रिप्लेस किया जाय। उस कमेटी की ग्रन्तरिम रिपोर्ट जरूर ग्रा गई है लेकिन वह ग्रभी तक हमारे यहां नहीं है। उसकी फाइनल रिपोर्ट आने में ग्रभी एक दो महीने का समय लगेगा। उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जायगा। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर दिया जा चुका है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है यह विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, · · ·

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इसमें बात यह नहीं थी । जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि बिक्री कर को समाप्त कर दिया जायगा, तो क्या हम यह मानें कि · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री प्रेम सिंह सिंघवी ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था दे दी है तो फिर यह क्यों · · ·

श्री अध्यक्ष : You should not agitate like this.

आपको उत्तर मिल चुका है, माननीय सदस्य ।

प्रश्न संख्या 961

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 95 छूट गया है ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष, महोदय,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन के लिए शोभनीय नहीं है । आसन पैरों पर खड़ा है । आपको स्थान ग्रहण करना चाहिए शांति से । यह सदन की परम्परा रही है । मैं इसको बरदाश्त नहीं करूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खास तौर से एक सप्लीमेन्ट्री पूछने की आज्ञा देता हूं । इसके बाद आप सप्लीमेन्ट्री मत पूछिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मैं · · ·

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता बाद में । श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अभी आपने फर्माया कि कमेटी अपाइन्ट की गई, तो क्या आप यह बतायेंगे कि वह कमेटी सेल्स टैक्स या इन्कम टैक्स, किसके बारे में अपाइन्ट की गई थी और किस सरकार ने किस साल में अपाइन्ट की थी ?

मैंने आपसे पूछा कि आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा की है उसके बावजूद आपने अपना माइन्ड इसके लिए एप्लाई नहीं किया है । आपने फर्माया कि आप विचार करेंगे । सरकार की नीयत है या नहीं बिक्री कर समाप्त करने की ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री हरजीराम बुरडक : वर्तमान सरकार क्या बिक्री कर समाप्त करने का विचार रखती है ? किसकी रिपोर्ट है, क्या है, क्या नहीं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता ।

श्री आदित्येन्द्र : जब चुनाव घोषणा-पत्र में यह बताया है कि बिक्री कर के स्थान पर एक्साइज ड्यूटी या कोई चीज इस तरह की लगाई जाए तो राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रही है लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा । अभी तो सरकार को बने हुए केवल 33 दिन हुए हैं, इस पर विचार हो रहा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने एल.के. झा की रिपोर्ट के लिए फर्माया ।

श्री मूलचन्द डागा : एल. के. झा की अन्तरिम रिपोर्ट से आपको क्या तथ्य मालूम हुए ? अन्तरिम रिपोर्ट में उन्होंने बिक्री कर समाप्त करने के सुझाव दिये हैं या नहीं ?

श्री आदित्येन्द्र : अभी तक जैसा मैंने आपसे निवेदन किया केवल अन्तरिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और वह भी हमें देखने को नहीं मिली है । इसलिए पता नहीं कि उसमें क्या है । इसका गठन हुआ था 19-7-76 को ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : कांग्रेस सरकार ने किया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह सही है कि कांग्रेस सरकार की बिक्री कर समाप्त करने की कोई नीति नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य कष्ट न करें । I will deal with you, sit down. रिपोर्ट गुप्त है, प्रश्न विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त सरकार को बाध्य नहीं कर सकते दूसरा उत्तर देने के लिए · · ·

(व्यवधान)

नेक्स्ट क्वेश्चन । माननीय सदस्य । This is beating about the bush.

(व्यवधान)

मैं आपका सहयोग चाहता हूं । एक एक खड़े होकर बोलिए । 10-10 माननीय सदस्य खड़े होंगे तो यह इस सदन की परम्परा के विपरीत है, अशोभनीय है । मैं तो किसी की भी बात को सुन भी नहीं सकता और अपनी व्यवस्था भी नहीं दे सकता । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य आसन को सहयोग प्रदान करेंगे । यह मेरी विनम्र विनती है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त ।

विधान सभा सदस्यों की सुरक्षा हेतु गन मैन की व्यवस्था

92. श्री टीकमचंद कान्त (जालोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा सदस्यों को उनकी सुरक्षा के लिए गनमैन दिए जाते हैं ? यदि हां, तो सन् 1970 से आज तक किन किन सदस्यगणों को उनकी सुरक्षा हेतु गनमैन दिए गए हैं ?

(2) अब तक इस व्यवस्था के मद पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ है एवं इस प्रकार का व्यय राज्य सरकार कब तक वहन करने का इरादा रखत है ?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां। 1970 से अब तक निम्नलिखित विधान सभा सदस्यों को उनकी सुरक्षा हेतु गन मैन दिए गए हैं :—

श्री मूलकराज धिन्द, श्री बी. एन. जोशी, श्री मांधोसिंह, श्री पृथ्वीराज, श्री हंसराज, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री भीमसेन, श्री मनफूल सिंह, श्री रामचरण, श्री केशरदेव, श्री भीखाभाई श्री मालाराम।

(2) गन मैन, पुलिस की स्वीकृत शुदा नफरी से लगाए जाते हैं। इस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जाते हैं। इस व्यवस्था पर अनुमानित 88,000) रु. व्यय हुआ है। गनमैन सम्बन्धित विधायक की सुरक्षा हेतु दिया जाता है और जब भी ऐसी आवश्यकता महसूस की जावेगी, राज्य सरकार गनमैन उपलब्ध करायेगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : ये गनमैन विधायकों की मांग पर रखते हैं और वे ही कहते हैं कि आवश्यकता नहीं रही ?

श्री केदारनाथ : अब केवल दो विधायकों के लिए गनमैन की व्यवस्था है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : दो विधायक कौन हैं ? उनके लिए गनमैन की क्यों आवश्यकता है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह उनकी सिक्योरिटी की दृष्टि से एक्सपोज नहीं करना चाहिए।

श्री केदारनाथ : एक श्री मालाराम हैं जिसके भाई रामकुमार को खत्म कर दिया गया था। अभी तक मुल्जिम फरार है इसलिए दिया है। दूसरे श्री रघुनाथ विश्नोई हैं जिन्होंने केस नं. 21 दिनांक 19–8–70 धारा-301 व 100 बी में पैरवी की और जो मुल्जिम थे, उनसे उनको खतरा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी।

जंगलात की भूमि पर ट्रेसपास

96. श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि सन् 1971 में या उसके बाद सन् 1975 तक जितने भी लोगों ने जंगलात (वन विभाग) की भूमि पर ट्रेसपास कर रखा है उन व्यक्तियों के द्वारा ट्रेसपास की हुई जमीनें रेगुलराइज कर दी जावेंगी ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ?

वन मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : जी नहीं। केवल 23–4–77 के आदेश द्वारा वन भूमि पर 1–7–75 तक आवास गृह या बाड़े बनाकर किए गए सभी अतिक्रमणों का नियमन किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। यह निर्णय भूतपूर्व मंत्रिमंडल द्वारा 8–4–77 को लिया गया।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो मेरा इलाका है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर ड्राई काश्त का रिवाज कोटा स्टेट के जमाने से चला आ रहा है। भील और मीणे ड्राई काश्त करते हैं। वे 50–50 साल से काबिज हैं। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि 50 साल से अतिक्रमण किए हुए बैठे हैं, अधिक

(6)

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
विभाग जानता है, फिर भी कुछ नहीं करता ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जो 1 जनवरी, 1971 के पहले वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किए हुए हैं तो राज्य सरकार के द्वारा वे रेगुलेराइज हो सकेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जनवरी, 1971 के बाद इमर्जेन्सी आ गई, उन लोगों को जेल भेज दिया। तीन तीन महीने की सजा हुई।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जनवरी, 1971 के पहले के जो ट्रेसपासर्स हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, उनका रेगुलेराइजेशन हो सकता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : शायद आपके विभाग को आदेश का पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को जानकारी दे देना।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह नीति का प्रश्न है। कोटा, बूंदी व झालावाड़ में पहाड़ी इलाका है, बांसवाड़ा-डूंगरपुर में भी हो सकता है। यह मानवता का प्रश्न है, 50–50 साल से लोग बसे हुए हैं और काश्त करते आए हैं। यदि सरकार उनको बेदखल करेगी तो दूसरा साधन क्या देगी ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उनको बेदखल करने का प्रश्न नहीं उठता। नियम हैं, उनका रेगुलेराइजेशन हो सकता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इमर्जेन्सी में भी सब लोगों को सजा हुई है, आप अपने विभाग से मालूम करें। मेरे इलाके में करीब 500–550 आदमियों को सजा हुई है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जंगलात में कई किसान और पशुपालक बैठे हैं। वन विभाग में रिकार्ड में शो ही नहीं किया है। सिरोही व जालौर जिले के पहाड़ों पर जो पशुपालक हैं, उनका नियमानुसार सैटलमेंट करा कर हमेशा के लिए समस्या का समाधान किया जाए।

श्री शिवचरण सिंह : यह समस्या सारे राजस्थान की है।

श्री माधोसिंह : जिनको फारेस्ट सैटलमेंट में वन के अन्दर अधिकार दिए हैं वे जब से सैटलमेंट हुआ है उससे पहले के अपने अधिकार वन में रखते हैं। क्या उनको बेदखल किया जा सकता है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जिन लोगों ने जंगलात की जमीन पर बस कर गांव बना लिए, मकान बना लिए, कुए खोद लिए–ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या विचार करती है ?

श्री अध्यक्ष : रेगुलेराइज करेंगे और क्या ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : समय समय पर नियम बनते रहे हैं और अब भी जिस प्रकार की समस्या आएगी, नियम बनते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। शान्त रहें। एक एक करके पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है, क्या फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह अधिकार

(श्री माधोसिंह)
दे दिया गया है कि जो लोग वर्षों से जिस जमीन को जोत रहे हैं उस जमीन को फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के अधिकारी अपने कब्जे में लेकर जो पहले से खेती वहां कर रहे हैं उन्हें बेदखल कर सकते हैं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री माधोसिंह : मैं समझता हूँ, उनको यह अधिकार दिया हुआ है और यही कारण है कि वह लोग उन गरीब लोगों को उस जमीन से बेदखल कर रहे हैं।

श्री निर्मल कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न केवल राजस्थान के एक जिले से बल्कि राजस्थान के सभी जिलों से सम्बन्धित है। राजस्थान भर में कई लोगों ने वर्षों से उस जमीन पर खेती की है और उन पर एक तरह से कब्जा किये हुए हैं। मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि वह उनके कब्जे को रेगुलेराइज करदे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह दिया हुआ है कि राजस्थान में जितने भी ट्रेसपासर्स हैं और जिन-जिन जिलों में हैं, उनके लिए जिले के सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अगर उन्होंने उनको नहीं हटाया तो राज्य सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज वन विभाग के अधिकारी लोगों से मिले हुए हैं। उनसे खेती कराते हैं और उनसे अपनी चौथ वसूल कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि पटवारी के खसरा रजिस्टर में वह जमीन दर्ज ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि आपको राजस्थान के हर गांव में ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि गांव के बाहर जमीनें जो खाली पड़ी थीं उन पर लोगों ने मकान बना लिए हैं। एक नहीं हर गांव में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं। अगर आप उनके मामलों को रेगुलेराइज नहीं करेंगे तो काफी झगड़े वहां हो जायेंगे और उनके लिए आपको फिर इन्क्वायरी कमीशन बैठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि उनके मामलों को तो रेगुलेराइज कर दिया जावे ताकि वह गरीब लोग परेशान नहीं हों।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री गुलमोहम्मद, श्री मूलचन्द ! आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य एक एक कर के प्रश्न करें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने पूछा है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जैसे कि पुराने जागीरदारों के जमाने में जिस तरह से लोगों से मुनाफा लिया करते थे उसी तरह आज भी यह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट वाले

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
अधिकारियों की, चाहे कोई फारेस्ट गार्ड हो, फारेस्टर हो, या रेन्जर हो, डी. एफ. ओ. या सी. एफ. ओ. हो-कोई भी हो, इन लोगों से मिली-भगत है। यह लोगों से गोचर लैण्ड पर नाजायज खेती कराते हैं और उनसे पैसा चौथ के रूप में लेते हैं। इस तरह के मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण पेश कर सकता हूं। इसके लिए राज्य सरकार को मेरा निवेदन है कि तुरन्त कार्यवाही करे। फारेस्ट अधिकारियों द्वारा लोगों को बेदखल किया जा रहा है वह बन्द कराया जाय।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर क्यों नहीं आधे घन्टे की चर्चा ही रख ली जाय?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुपालकों का सवाल है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सम्माननीय सदस्य ! आप इसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो हा हुल्लड़ है। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ट्रेसपासरों के मामले न केवल एक जिले में बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में हैं। यह आम शिकायत है, जनरल फिनोमिना है जिन जिन माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है वे मंत्री महोदय को एक-एक करके सूचना दे दें और जो भी वस्तुगत हालत हो वह बता दें। जो भी पूछना चाहें आप, कृपया प्रश्न के रूप में पूछें भाषण के रूप में नहीं। अगर आप प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो सरकार उसका जवाब भी देगी। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि कहां पर कमी है और सरकार किस हद तक व्यवस्था कर सकती है। आप सरकारी कमियों को जानते हैं इसलिए आप सहानुभूतिपूर्वक प्रश्न के रूप में पूछें तो ज्यादा उचित रहेगा। हा हुल्लड़ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप कृपया मुझे सहयोग दें।

श्री खेतसिंह : हम आपको सहयोग देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। एक-एक करके प्रश्न पूछें। आप स्थान ग्रहण करिये। मैं एक-एक सदस्य का प्रश्न पूछने के लिये नाम बोल कर पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : I will force silence-I will not have this.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री मूल चन्द डागा : अब यह खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। एक-एक करके प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं

(श्री अध्यक्ष)

किन्हीं तीन माननीय सदस्यों को अलाउ करूंगा । वह प्रश्न पूछ लें ।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह लोग न तो सुनते हैं और न सुनने देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । मैं बार-बार कह रहा हूं, स्थान ग्रहण करें ।

एक माननीय सदस्य : आप नाम से पुकारें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो भी पूछे प्रश्न के रूप में पूछें । हा हुल्लड़ नहीं करें । मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा । क्या आप मुझे सहयोग देंगे ? क्या आप सहयोग देने को तैयार हैं ?

कई माननीय सदस्य : हां देंगे ।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है । श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द डागा : मूलचन्द डागा क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । यह क्या हो रहा है ? कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें । थोड़ी आप व्यवस्था रखें । सेल्फ डिसिप्लीन की प्रेक्टिस कीजिये ।

मूलचन्द सामरिया ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, यह अतिक्रमण के मामलों की प्राब्लम पहले भी थी यानी इमर्जेन्सी से पहले भी थी और आज भी वही बनी हुई है । अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान जो अतिक्रमण थे उन्हें हटा दिया गया । लेकिन इमर्जेन्सी ज्यों ज्यों ढीली पड़ती गयी लोगों ने वापस अतिक्रमण करना शुरू कर दिया । मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से यही है कि जिन लोगों के इमर्जेन्सी के पहले अतिक्रमण किये हुए थे और जिन्हें हटा दिया गया था, उनके मामले रेगुलेराइज कर दिये जाने चाहिये ताकि वह गरीब लोग वापस उस जमीन पर कब्जा करके काश्त कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर के आसपास काफी चरागाह की जमीन है जिस पर फारेस्ट डिपार्टमेंट ने कब्जा कर रखा है । जिस पर लोग अपनी बकरियां वगैरह चराने जा नहीं सकते । उन लोगों को उधर से निकलने तक नहीं दिया जाता है । अगर कभी भूले-भटके कोई जानवर किसी का वहां पर पाया जाता है तो वह लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उस पर 20–20, 30–30 रुपये तक जुर्माना कर देते हैं । वहां पर पास ही श्मशान घाट आ गया है । इन फारेस्ट वालों ने वहां भी कब्जा कर रखा है । लोगों को वहां जाने नहीं देते हैं । अध्यक्ष महोदय, वह

(श्री गुलमोहम्मद)
आज की बात है, विधान सभा के चुनाव के बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। उन लोगों पर यह फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले अत्याचार कर रहे हैं। जानवरों को जंगल तक में नहीं जाने देते हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री प्रेमसिंह सिघवी : अध्यक्ष महोदय, वह कागज मुझे मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेमसिंह जी, आप स्थान ग्रहण करें।
श्री किशनसिंह।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सिर्फ एक जिले का ही नहीं है सारे राजस्थान के जिलों से रिलेटेड यह प्राब्लम है। आज न केवल जैसलमेर बल्कि जालोर, बाड़मेर, सांचोर सभी जगह पर, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री प्रेमसिंह जी ने यह सवाल उठाया है यह सही है कि आज यह तकलीफ सभी को है····

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा जा रहा है या भाषण हो रहा है ?

श्री किशनसिंह भाटी : वही हो रहा है जो अध्यक्ष महोदय चाहते हैं। मैं नट शेल में ही बात समाप्त कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में कई लोग ऐसे थे जो पीढ़ियों से अर्स्टव्हाइल स्टेट से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उसे जोत रहे थे। सरकार ने जैसा कि यहां पर आश्वासन दिया है कि सन् 71 तक के अतिक्रमण को रेगुलेराइज कर दिया जायेगा। उन्हें तहसीलदार द्वारा वह जमीन अलाट कर दी गयी पर बाद में तहसीलदार ने वही जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को अलाट कर दी। अध्यक्ष महोदय, उन जमीनों पर गरीब भील, मेघवाल वगैरह ही थे। उन्हें तहसीलदार ने वह जमीन अलाट की थी। अब उनको फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले काश्त नहीं करने देते हैं। जमीन वही है, अलाटमेंट सरकार द्वारा हुआ है। जब तहसीलदार ने वह जमीन अलॉट की फिर अब कौनसी बात गवर्नमेंट की सही नहीं माने ? अब उन गरीब लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है ? इसके लिये सरकार अपना जवाब दे दे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस आज्ञा की प्रतिलिपि मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना का प्रश्न नहीं है। यह मंत्री महोदय को दे दीजियेगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हाउस की जानकारी में आ जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर वह को वह बात पैदा हो गयी। प्रेमसिंह जी, आप काफी प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरा यही निवेदन है कि यह जो एन्क्रोचमेन्ट कई वर्षों से हुए हैं और आबादी बस गयी है तो उनको आबादी में कन्वर्ट कर दीजियेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह प्रश्न हुआ क्या ?

विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : सारी स्थिति को सरकार समझ चुकी है। आप समय दें तो मैं उत्तर दे दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ तो संतोष हुआ होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Are you satisfied ?

श्री मूलचन्द डागा : कोई संतोषजनक जबाब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किसानों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं उसके लिये आपने क्या किया ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा हो गया। बहुत सवाल रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशकुमार।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री महोदय को यह सूचना देना चाह रहा हूं, राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय भी ध्यान दिलाया था, भरतपुर में 40 हजार पशुओं को चराई के लिये मना कर दिया गया है। 16 रुपया फी जानवर उनसे चराई ली जाती है और तब ही चराई की इजाजत दी जाती है। चराई फी नहीं दे सकने के कारण आज उनके पशु भूखे मर रहे हैं। आस-पास की सारी जमीन पानी से भरी हुई है। वन मंत्री को लिख कर दे चुके हैं। चराई की व्यवस्था के लिये आश्वासन चाहते हैं हम वन मंत्रीजी से।

कई माननीय सदस्य : मंत्री जी का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैं यह व्यवस्था देता हूं कि मंत्री जी ने उत्तर दिया वह पर्याप्त उत्तर है। आप ट्रेजरी बेंच से कोई रिप्लाई या आन्सर नहीं मांग सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उत्तर दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं अपने आपको असर्ट करूं। मैं नहीं चाहता कि असर्ट करूं। मुझे स्वयं को यह खराब और खोटा लगता है।

(व्यवधान)

Hon'ble members, I am a human being and I have my own limitations. सदन की कार्यवाही को भद्रता और व्यवस्थित ढंग से चलाना है।

श्री शंकरलाल।

ग्रामीणों को कर्ज से मुक्ति

97. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान के ग्रामीणों को कर्ज से मुक्ति दिलाने हेतु राज्य सरकार की क्या नीति रहेगी और भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत उठाये गये कदमों को वर्तमान सरकार कहां तक उचित मानती है ?

(2) भूतपूर्व सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) वर्तमान सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाने वाली नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे ही इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जावेगा सदन को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा। भूतपूर्व राज्य सरकार ने कानून बना कर 2400 रुपये की वार्षिक आय वाले कृषि श्रमिक और शिल्पकारों तथा सीमान्त कृषकों के कर्जों को दिनांक 13-4-76 से समाप्त तो कर दिया है किन्तु उपरोक्त वर्ग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि सरकार ने नीति को अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकार कर्जों से मुक्ति दिलाने की नीति बना रही है या कर्जों से मुक्ति नहीं दिलाने की नीति बना रही है ? इसका जवाब आ जाय। आपने फर्माया कि नीति बनायी नहीं, नीति बनायी जा रही है। इसलिये मैं सीधा ही यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार कर्ज से मुक्ति दिलाने की नीति बना रही है या कर्ज से मुक्ति नहीं दिलाने की नीति बना रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का स्वरूप बना है 30 वर्ष के पिछले कांग्रेसी शासन में उसको सही नहीं कहा जा सकता है। जो भूतपूर्व सरकार ने कर्जे माफ करने की नीति बनायी उसके पीछे भावना यही थी कि वीकर सेक्शन माफ दी सोसाइटी है वह साहूकार के चंगुल से बचे। मैं भी एक उसी कम्युनिटी से आता हूं जो कि ज्यादातर साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन उससे बचने के लिये, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से ऐसे लोगों को अवसर मिला है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। उन्होंने इसका फायदा भी उठाया और उन लोगों की हालत और भी बिगड़ी है जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। ऐसे लोगों को रस्मोरिवाज को पूरा करने के लिये और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिये साहूकारों के पास मजबूर होकर जाना पड़ता है। लेकिन इस कानून के आने के पश्चात साहूकारों ने ऐसे लोगों को कर्ज देना बन्द कर दिया। ऐसे लोगों के पास जो भी अपना जेवर था उसको बेच कर उन्होंने रस्मोरिवाज को पूरा किया। इस कारण उनकी रही सही आर्थिक हालत और भी खराब हो गयी। इसके दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही पक्ष हैं इसलिए उस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें केवल इस कानून के जरिये से, कदम उठाने से ही उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था होकर उसमें सुधार नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बैंक खोले गये हैं उनके

Page No 13

(13)

(श्री मूलचन्द डागा)

द्वारा क्या आप उन लोगों को कर्जा दिलाने की व्यवस्था करेंगे और सरकार की गारन्टी मिलेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा मैंने निवेदन किया, इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । जितने पिछले साल ग्रामीण बैंक खोले गये हैं वे राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा गम्भीर प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब खोलेंगे और ?

श्री मूलचन्द डागा : राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, यह मान कर चलें ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बार बार निवेदन करते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हुल्लड़ मचाते हैं । सदन का समय भी बेकार गंवाते हैं । आपको नियमों को काम में लाकर इस अव्यवस्था को रोकना चाहिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं । पिछली सरकार ने ग्रामीण बैंक खोल कर ग्रामीणों को कर्जे से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था की । आप दूसरी कौनसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि जल्दी ही उनको कर्ज से छुटकारा मिल सके ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : वीकर सेक्शन्स ऑफ सोसाइटी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह सरकार प्रयत्नशील है और कटिबद्ध है । साहूकारों के हाथों उनका शोषण होता है उसको समाप्त करने के लिये कटिबद्ध हैं । मैंने मूल प्रश्न का उत्तर दिया है कि इस सारी स्थिति पर पुनर्विचार हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है ।

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल : यह तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि भूतपूर्व सरकार ने जो व्यवस्था की थी वह उचित नहीं थी इसलिये लोगों को फायदा नहीं मिला । मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में कब तक निर्णय ले लेगी ? क्या सरकार ने कोई रूपरेखा बनायी है, निर्णय लेने की ? कब तक विचार हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुंजीलाल ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय, आप उत्तर देने का कष्ट न करें ।

श्री कुंजीलाल ।

श्री शिवचरणसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे . . . .

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री कुंजीलाल ।

आपात काल में ज्यादती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

98. **श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कई बहुचर्चित भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों व आपातकालीन समय में ज्यादती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (श्री महबूब अली) : समुचित विवरण प्राप्त होने पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। आपातकालीन स्थिति में हुई ज्यादतियों का विवरण एकत्रित करने के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति बनाई गई है।

श्री कुंजीलाल पटेल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पाली के भूतपूर्व कलेक्टर के खिलाफ कोई शिकायतें आई थीं ?

श्री महबूब अली : यह अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंध नहीं है। यदि कोई स्पेसिफिक सूचना चाहें तो स्पेसिफिक प्रश्न कीजिए उसकी स्पेसिफिक सूचना आपको दे देंगे।

श्री शिवचरण सिंह : क्या पाली कलेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : किन किन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई ? हमारे दल के नेता ने पूछा कि क्या पाली कलेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत आई है ? आप कहते हैं कि स्पेसिफिक सवाल कीजिए।

श्री महबूब अली : आप जरा सवाल पढ़ने की कृपा कीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप पढ़िये, आप गौर कीजिए।

श्री महबूब अली : सवाल यह है: "क्या सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कई बहुचर्चित भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों व आपातकालीन समय में ज्यादती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ?" यह प्रश्न है।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : क्या आपने एक दो अधिकारी को भी दोषी पाया ? मैं निवेदन करूंगा कि दौसा में इमर्जेन्सी के दौरान दस-दस और बारह-बारह साल के बच्चों को इस तरह से पीटा कि उन्होंने टट्टी, पेशाब कर दिया। क्या आप उसको भी ज्यादती नहीं मानते हैं ? इसके लिए जेल में बन्द सारे लोगों ने भूख हड़ताल की थी। उसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ? यह बहुत रिलेवेन्ट प्रश्न है। मैंने कहा कि जेलों में जिन्होंने लोगों को ठोका, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस सदन में इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो चुकी है। उस चर्चा के बाद आवश्यकता महसूस नहीं होती कि इतने प्रश्न हों। एक कमेटी कायम कर दी गयी है जस्टिस कानसिंह की अध्यक्षता में। उनके सामने कोई फैक्ट्स एण्ड फिगर्स आयेंगे उसमें जो भी दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसलिए अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलाल मीणा।

तहसील टोडाभीम के ग्राम नातोदी में डिस्पेन्सरी की स्वीकृति

99. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडाभीम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम नातोदी, जो तहसील का मुख्यावास भी है, में पिछली राज्य सरकार द्वारा जो एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है वह कब तक चालू की जा रही है ?

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले जो उप-केन्द्र बन्द पड़े हैं वे किसकी स्वीकृति से कब चालू किये जायेंगे ? टोडाभीम क्षेत्र में ऐसा एक उप-केन्द्र दो वर्ष से बन्द है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) उपयुक्त भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर डिस्पेन्सरी चालू की जा सकेगी।

(2) टोडाभीम क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार 7 उप-केन्द्र कार्यरत हैं। इनमें से कोई भी उप-केन्द्र दो साल से बन्द नहीं है।

श्री बत्तीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार द्वारा जितनी भी डिस्पेन्सरियां खोलने के आदेश दिये गये थे वह सब मन्जूर कर लिये हैं या नहीं किये हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जिनकी आज्ञा यहां से चली गई थी वह खोली गई हैं। जैसा मैंने प्रश्न के भाग (1) में बताया, उपयुक्त भवन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने पर डिस्पेन्सरी चालू की जा सकेगी। वहां के जो डाक्टर हैं वह अपने अपने जिला केन्द्र पर बैठे हैं। जब भी जन सहयोग से भवन उपलब्ध हो जायेगा उसको अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण डिस्पेन्सरी चालू नहीं की जा सकी। तो क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कोई आदमी टाइमली भवन की वैकल्पिक व्यवस्था कर दे तो सरकार ऐसे भवन के अन्दर डिस्पेन्सरी चालू करने की इजाजत दे देगी जिसको खोलने की घोषणा की गई थी ? एक बार में तो पैसा इकट्ठा होगा नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने इसका उत्तर दे दिया है इन हालात में यह डिस्पेन्सरी खोली गई थी जब यह कहा गया था कि जनसहयोग से भवन का निर्माण हो जायेगा। इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है कि भवन जनसहयोग से बन जाये उसके बाद वह डिस्पेन्सरी खोली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब तक भवन तैयार नहीं हो पाता जनसहयोग से तब तक और कोई प्राइवेट आदमी अपना भवन देने के लिए तैयार हैं तो आप खोल देंगे ?

Page No 16

(16

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
तक भवन जनसहयोग से तैयार नहीं होता तब तक आपका मतलब यह है कि वहां डिस्पेन्सरी नहीं खोली जायेगी ? आप स्पेसिफिक जवाब दे दें, हां या ना में ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस स्थिति में यह डिस्पेन्सरीज खोलने का सारा उपक्रम था उसकी चर्चा मुख्य मन्त्री जी ने कर दी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । जिन हालात में वह बातें हुई हैं उनकी जानकारी सदन को मुख्य मन्त्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय दी है । इसके बाद भी कोई ऐसा स्थान है कि जहां एडपोस्ट भी है और आयुर्वेद का भी औषधालय है फिर भी डिस्पेन्सरी खोल दी गई तो उसकी चर्चा नहीं करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन सहयोग से डिस्पेन्सरी के लिए भवन बनायें उसके बाद वहां खोली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यनारायण चौधरी ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम-का-थाना) : मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं । क्या राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इस नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जहां गांववासी या जनता के लोग सरकार द्वारा दिये गये नक्शे के मुताबिक किसी भी ऐलोपैथी डिस्पेन्सरी के लिए भवन निर्माण कर के दे दें वहां आप डिस्पेन्सरी खोल देंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वित्तीय साधन होने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय ने यह बताया कि जिन जगहों पर डिस्पेन्सरी खोली गयी वहां पर भवन तैयार नहीं हैं और डाक्टर अपने हैडक्वार्टर्स पर बैठे हैं तो सरकार क्या इस बात पर विचार कर रही है कि जिन गांवों में डिस्पेन्सरी भवन तैयार हैं वहां उनको शिफ्ट कर दे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके हिसाब से इस पर पुनर्विचार किये जाने की सम्भावना है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जहां भवन तैयार हैं और डाक्टर नहीं हैं वहां भेज दें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां प्राइवेट लोग मकान बना कर देने के लिए तैयार हैं । जब तक वैकल्पिक मकान नहीं बनता है वहां डिस्पेन्सरी खोली जाये । इस सरकार को शर्म आनी चाहिये । आप कहते हैं कि जन-सहयोग से जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक डिस्पेन्सरी नहीं खोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : 30 साल तक कांग्रेस सरकार चिकित्सा व्यवस्था नहीं करा सकी । आप आज इस तरह से कह रहे हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन गांवों के अन्दर जन-सहयोग से भवन नहीं बनेगा वहां राज्य सरकार डिस्पेन्सरी नहीं खोलेगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक सप्लीमेन्ट्री मैं भी पूछ लेता हूं। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एक एड-पोस्ट है और और आयुर्वेदिक औषधालय है, दो-तीन तरह की व्यवस्था है वहां डिस्पेन्सरी की व्यवस्था नहीं की जायेगी। मैं तो इसकी सराहना करता हूं। एक ही व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन जहां कोई व्यवस्था नहीं है और गांव वाले तैयार हैं ऐसी व्यवस्था करने के लिए तो क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब में कहा था कि खैरात बांटी गयी है और यह सब जाते जाते किया गया है। मैं नहीं चाहता था उस बात को पुनः आपके बीच में रखना किन्तु जैसी नीति डिस्पेन्सरीज खोलने में बरती गयी, कभी इस प्रकार का विचार लेकर आ गये कि समस्त राजस्थान को लेकर...

श्री शिवचरण सिंह : यह गांवों में डिस्पेन्सरी खोलने की बात है। चाहे जन-सहयोग मिले या नहीं मिले डिस्पेन्सरी खोली जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शासन अपने पैरों पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गांवों में डिस्पेन्सरी खोलने की बात है। वहां जब भवन मिल रहा है तो वहां क्यों नहीं खोली जाये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शासन अपने पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप पुराने मंत्री हैं। शासन कहता है तो बैठ जाइये। शर्म तो करो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

क्या आपमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि सरकारी उत्तर को सुनें ? सरकारी उत्तर आता है उसके पहले ही आप खड़े होकर तरह तरह की बातें पूछते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्...

श्री अध्यक्ष : आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम करेंगे मजबूर।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी चर्चा कर ली है। अब इस पर चर्चा विशेष करने की आज्ञा नहीं दे सकता। Stop please.

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले मंत्रिमंडल में आप थे। आपने तो अपने क्षेत्र में खूब स्कूल खोले हैं। अस्पताल खोले हैं। अब हम पर रहम करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या यही जनतन्त्र की परम्परा है ? और आप इनसे सीखेंगे जनतन्त्र की परम्परा ?

श्री श्रवण लाल ।

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों पर नियुक्ति

100. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गजेटियर्स विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन अप्रेल, 1975 में लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया ? अगर हां, तो किस किस का ?

(2) क्या यह सही कि इनमें से एक को मार्च, 1976 में सरप्लस घोषित कर दिया गया जब कि विभाग में इससे निचले रिसर्च आफिसर के पद पर सीनियर रिसर्च आफिसर की ग्रेड से ज्यादा ग्रेड में एक आई.ए.एस. अधिकारी की पत्नी कार्य कर रही थी ?

(3) विभाग में उस समय कुल कितने अधिकारी थे और उनमें से कितने अधिकारी डेपूटेशन पर थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस विभाग में ऐसे मामलों में अनियमितताएं होती रही हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि गजेटियर्स की हिन्दीकरण योजना सन् 1969 से प्रारम्भ हुई और उस पर 7 वर्षों में लगभग 2 लाख 80 हजार रुपया खर्च करने पर भी कोई फल सामने नहीं आया है ?

(6) क्या यह भी सही है कि शुरू के एक श्री गोविन्द अग्रवाल को कन्सल्टेंट विद्वान विभाग ने मान रखा है ? श्री गोविन्द अग्रवाल को अब तक कितनी राशि दी गई है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(7) श्री रामलाल सांवल को विभाग की ओर से अब तक कितना पैसा दिया गया है और क्यों ?

(8) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में विभाग में एक महिला को ट्रान्सलेशन कार्य करने के लिए लगाया गया है ? यदि हां, तो उनका अनुवाद का अनुभव क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि मैं प्रश्नकर्ता हूं, मुझे समय ज्यादा दिया जाये, दूसरे जो खड़े हो रहे हैं उन्हें रोका जाये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : रोका ही नहीं जाये, हो हुल्लड़ करने वालों को बाहर किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ सुनाई नहीं देता । अब क्या करूं, यह भी समस्या है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब ही नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न का ?

श्री श्रवणलाल : प्रश्न संख्या 100 का ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति में कोई जवाब चाहता भी है ? आप जवाब सुनने के लिये भी सहयोग देने की कृपा करें। तीन चार आदमी एक साथ बोलते हैं, मैं कैसे क्या व्यवस्था दे सकता हूं ? क्या सुन सकता हूं ? अगर आपकी यही इच्छा है कि शासन को सहयोग नहीं देना है, तो शासन को भी कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा।

श्री स्वरूपसिंह मकासर : हम खुद परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे ही पूछता हूं कि कौनसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ? वह पूछें।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया बोलें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जो हास्पिटल्स और स्कूल्स खोलने की बात है, क्या मंत्री महोदय इस बात का··

(व्यवधान)

श्री श्रवण लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लिया जा चुका है और मंत्री महोदय जवाब देने के लिये खड़े हो गये हैं। इसका उत्तर दिलाया जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम स्कूलों और चिकित्सालयों की बात कर रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय, कुछ तो उत्तर दें इसका।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में, साफ तौर से कहा गया है कि जनता पार्टी ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान देगी। अब मंत्री महोदय ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां जन सहयोग से बिल्डिंग्स बनेंगी वहां ही अस्पताल और स्कूल खोले जायेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहरों में लाखों रुपये खर्च कर के कालेज और अस्पताल खोले जाते हैं, सब सरकार के पैसे से बनाये जाते हैं, वहां आप कौन सा जन सहयोग मांगते हैं ? गांवों के लिए आप जन सहयोग की बात करते हैं। यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मेनीफेस्टो पर लीपापोती करना है। मैं कहना चाहता हूं कि शहर की जनता और ग्रामीण जनता के बीच जो यह भेदभाव की नीति है इसको समाप्त करना चाहिये।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय इसका ठोस जवाब दें। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल का प्रश्न था, उसका उत्तर सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : प्रश्न का उत्तर न देना यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करने के लिये मजबूर हो जाऊंगा। I cannot conduct the business of the House like this, hon. Members. Please remember this.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a point of order, Sir,

कई माननीय सदस्य : No point of order.

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते प्रश्न काल में।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं वाक आउट करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया का बहिर्गमन)

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम लोग भी वाक आउट करते हैं सरकार की इस नीति के खिलाफ।

(प्रगतिशील दल के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : जिस पाइन्ट पर वाक आउट कर गये हैं, माननीय मंत्री महोदय उसका जवाब दे रहे हैं? ...

श्री मूलचन्द डागा : बीच में यह बोलने लग गये। आपका नाम पुकारा नहीं। यह नियमों के विरुद्ध है। आप जवाब देने लगे बीच में इन्टरप्शन करके। माननीय मंत्री महोदय चूंकि पुलिस के मंत्री महोदय हैं, इसलिये इन्टरप्शन कर दिया।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ..

श्री शंकरलाल : सब के लिए नियम एक सा होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह : यह तो अपनी पार्टी का मामला है। इससे हमको क्या लेना देना है। हमारा तो जवाब दिलवा दीजिये।

श्री शंकरलाल : क्वेश्चन आवर में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा : इन्हें बता दें, बीच में नहीं बोलें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही दो बार प्रश्न पूछ चुका हूं। उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न संख्या 100 का उत्तर)

आयोजना मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : मैं प्रश्न संख्या 100 का उत्तर दे रहा हूं:—

(1) जी हां। श्री हरिशंकर शर्मा एवं श्री राम पाण्डे।

(श्री आदित्येन्द्र)

(2) आर्थिक मितव्ययता के फलस्वरूप इनमें से एक अधिकारी को सरप्लस किया गया। आई.ए.एस. अधिकारी की पत्नी इस विभाग में अनुसन्धान अधिकारी के निचले पद पर भारत सरकार से प्रति नियुक्ति पर थी और उनका ग्रेड वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी के ग्रेड से कम था, परन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रेड संशोधित कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने भी ग्रेड संशोधित कर दिये हैं। जिसके अनुसार उनका ग्रेड वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी से अभी भी कम है।

(3) सात। इनमें से चार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे।

(4) जी नहीं।

(5) अनुवाद का कार्य सन् 1969-70 में आरम्भ हुआ। इस पर कितना व्यय हुआ। यह अलग से बताना सम्भव नहीं है क्योंकि विभाग में हिन्दी अनुवाद के साथ साथ गजेटियर लेखन, प्रकाशन, मार्टायर्स आदि का कार्य भी होता है और इनके लिये अधिकारी व कर्मचारी अन्य कार्यों के अतिरिक्त कार्य करते हैं। अब तक चार गजेटियर्स का अनुवाद हो चुका है और पांचवें पर कार्य चल रहा है।

(6) जी नहीं। इन्हें क्षेत्रीय इतिहास के जानकार की दृष्टि से कुछ जिलों के गजेटियर्स के कुछ अध्यायों को क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर देखने हेतु नियमानुसार निर्धारित मानदेय कुल 750 रु. वर्ष 1972 से 1975 में दिये गये। ये अनुसन्धानकर्ता हैं।

(7) इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वर्ष 1973 से वर्ष 1977 तक गजेटियरों के हिन्दी अनुवाद में भाषा सुधार हेतु कुल रुपये 2624 की राशि दी गई।

(8) केवल अनुवाद कार्य के लिये वर्तमान में किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री श्रवण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (2) का जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसके बारे में मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि नौ महीने के लिये उसको प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था ? फिर लोक सेवा आयोग ने चयन क्यों कराया गया ?

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order, Sir. क्वेश्चन आवर एक घंटे का होता है। एक घंटा हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। प्रश्न को पूरा करना है।

श्री आदित्येन्द्र : मैंने निवेदन किया, दो अधिकारियों की पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयन करने पर नियुक्ति हुई थी—श्री हरि शंकर शर्मा और श्री राम पाण्डे। श्री राम पाण्डे जूनियर मोस्ट हैं इसलिये सरप्लस घोषित किये गये। आई.ए.एस. अधिकारी की पत्नी डेपूटेशन पर अनुसंधान अधिकारी के निचले पद पर कार्य कर रही हैं। इस बीच में केन्द्रीय सरकार ने इनके ग्रेड में संशोधन कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने भी संशोधन किया। इनको तब भी जो वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को मिल रहा था उससे वेतन कम मिला।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री राम रघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं । यह जो आई. ए. एस. अधिकारी की पत्नी रिसर्च आफिसर के पद पर कार्य कर रही हैं वे कहां पर काम कर रही हैं? जहां काम कर रही हैं, वहां क्या रिसर्च का काम चल रहा है ? रिसर्च आफिसर के और सीनियर रिसर्च आफिसर के ग्रेड में कितना अन्तर है ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है । उसमें लिखा है:--

आपका 26 जुलाई, 1977 का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ. 10(1) सदन/वि. स./77/24313 मिला । इस कृतज्ञता सन्देश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ । आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं, एक एक करके खड़े होकर पूछें । यथा सम्भव मैं उनका उत्तर दूंगा, आपको सन्तोष दिलाने की मैं चेष्टा करूंगा । चार-चार, पांच-पांच माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर एजीटेट करें तो आसन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था देने में बहुत ही कठिनाई होती है । मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य आसन को इस सम्बन्ध में सहयोग देंगे ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:--

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से 26 जुलाई, 1977 को राजस्थान विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौन्सिल की मीटिंग में कुछ विद्यार्थियों द्वारा घेराव करने के विषय में । यह राजस्थान विद्यालय का आन्तरिक मामला है अतः मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

(2) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर जेल में गत 20 जुलाई सन् 1977 से करीब 500 बंदी व हवालाती बन्द हैं व भूख हड़ताल पर हैं- के विषय में है ।

यह स्थगन प्रस्ताव भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, परन्तु माननीय सदस्य चाहें तो पांच मिनट के लिये चर्चा उठा सकते हैं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
प्रस्ताव दिया है वह ग्रभी बीकानेर जेल में हड़ताल चल रही है उससे सम्बन्धित है। वहां के सारे बन्दी हड़ताल पर हैं। वे ग्रभी नहीं ग्राए बल्कि पिछले ग्राठ महीनों से वहां हैं। वहां की हालत बहुत ही खराब है। वहां के एक बन्दी का पत्र ग्राया है जिससे वहां के ग्रधिकारियों का रवैय्या मालूम होता है। इसके साथ साथ जयपुर जेल के ग्रन्दर भी लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था ग्रौर मैं समझता था कि चुनाव के बाद जनता पार्टी की हुकूमत ग्राई है। जनता पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य हैं जिनके लिए जेल एक वरदान सिद्ध हुई है, उन्होंने 19–19 महीने जेलों में काटे हैं। हम लोग भी जेलों में थे। हम लोग बन्दियों से बात करते थे, बन्दी हमारे काम करते थे, इन्फार्मेशन पहुँचाते थे। दौराने बन्दी उन्होंने जो उनके सामने मुसीबतें ग्रौर परेशानियां ग्राती हैं वह सारी रखीं। मेरे सामने एक बंदी का पत्र है। सबसे ज्यादा सदमा ग्रगर किन्हीं को लगा है जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद, ग्रौर किन्हीं लोगों ने महसूस किया है तो वह बन्दी हैं। मैं इन पत्रों के आधार पर कह रहा हूं जो कि वहां के बन्दियों ने हमारे पास भेजे हैं, उन्होंने हमको उलाहना दिया है ग्रौर कहा कि जेलों में हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे। ग्राप हमारे स्वास्थ्य की बातें करते थे ग्रौर बातें करते थे लेकिन हुकूमत ग्राते ही, केन्द्र में हुकूमत बन गई, स्टेट में हुकूमत बन गई, ग्रापने उनको एक भी रिलीफ नहीं दिया। ग्रगर ग्राप इजाजत दें तो मैं पत्र को पढ़ कर सुनाऊं। मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता, इसलिए पत्रों के ग्राधार पर बताता हूं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत थी तब उनको रेमिशन मिलता था, उनको 15 ग्रगस्त के बाद रेमिशन मिलता था लेकिन ग्राज तो ग्राप बिल्कुल ही भुला बैठे। यह उन्होंने बड़ा भारी उलाहना दिया है। इतना ही नहीं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की हड़तालें चल रही हैं तो फिर कांग्रेस की हुकूमत ग्रौर जनता पार्टी की हुकूमत में फर्क ही क्या है? हमने लगातार उन बन्दियों के साथ 19 महीने बिताये थे। उन लोगों ने हमारी सेवायें की हैं ग्रौर उन लोगों ने हमारे काम किए हैं, बाहर से समाचार लाने ग्रौर ले जाने में हमारी इमदाद करते थे। ग्रापातकाल के संकट का मुकाबला करने में इमदाद की है लेकिन ग्राज तक हमारी राज्य सरकार ने कोई इण्टरवीन नहीं करके उन ग्रधिकारियों को ही बिठा रखा है ग्रौर उन ग्रधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उनको पाबन्द नहीं किया। उन बन्दियों ने ऐसे ऐसे काम किये जेल के दौरान, हमारी जेल के दौरान उन्होंने हमारी इमदाद की, बाहर से समाचार भेजते थे, लाते थे, सरकार की नीतियों के बारे में ग्रौर जो सरकार जुल्म ग्रौर ज्यादतियां कर रही थी उनके बारे में, इन टाइम हमारे बच्चों को पैगाम ले जाते थे। लेकिन आज हुकूमत ग्राते ही हम उन लोगों को भूल गए। हम उनके लिए ग्राज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हड़ताल शुरू क्यों की? मैं माननीय गृह मंत्री ग्रौर कारागृह विभाग के मंत्री से कहूंगा कि ग्राप इस पर ध्यान दें, क्या वजह है कि ग्राखिर दस दिनों से हड़ताल चल रही है? क्यों जयपुर में हड़ताल हो रही है? इसके बारे में पहले भी सदन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य खेत सिंह जी ने चाहे किसी तरह से इस मामले को उठाया हो लेकिन यह तो सच है कि हड़ताल चल रही है। फिर इस पर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया ? क्यों नहीं उन कैदियों से पूछा गया ? यह झगड़ा तय क्यों नहीं किया गया अब तक ? क्यों नहीं दोषी अधिकारियों को हटाया गया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की जेल के अधिकारियों को हम जानते हैं। हमारे मीसा बन्दियों को उनके खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। अभी हमने कमेटी नियुक्त की है, उस रेफरेंस में। श्री कानसिंह जी की जांच कमेटी उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए बनाई गई है। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री से कि दौराने मीसा, 19 महीनों में जितनी भी जेल से दरख्वास्तें दी गई थीं मीसा बन्दियों के द्वारा, बन्दियों की तरफ से, आप उनकी जांच करिये। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के बदनाम और भ्रष्ट अधिकारी हैं जेलों में। आपके पास रिकार्ड मौजूद है। आप दुबारा एप्लीकेशन्स इन्वाइट करना चाहते हैं तो उसमें फिर क्या चाहते हैं ? जब हम लोग जेलों में थे तब हम लोगों ने जेल से एप्लीकेशन्स दी हैं। जेल के अन्दर जिस प्रकार की घटनायें हुई उनको लिखा था। आप उनकी जांच कराइये, अब और क्या एप्लीकेशन्स चाहते हैं ? अगर आप इस तरह से ही उनकी जांच करा लेंगे तो हम आपको शाबाशी देंगे कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने बहुत अच्छा किया है। मीसा में जिनको गिरफ्तार किया गया, 107, 109 और 110 में जिनको गिरफ्तार किया गया, डी.आई.आर. में गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ जेलों के अन्दर अभद्र व्यवहार किया गया है और बहुत से अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उन अधिकारियों के खिलाफ एप्लीकेशन्स दी हुई हैं यह सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप उनकी जांच करेंगे तो सारे फैक्ट सामने आ जायेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वे पकड़े जायेंगे। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इन बंदियों को, इन बन्दी दोस्तों को, मित्रों को मत भूलो जिन्होंने आपकी हमारी बहुत सेवायें की हैं। हमारे समाचार पहुंचाते थे, बाहर के समाचार लाकर देते थे। आप इतनी जल्दी उनकी दोस्ती भूल गए ? जनता पार्टी की हुकूमत आने पर आपको रेमिशन देना चाहिये था लेकिन आपने रेमिशन नहीं दिया। आपका भी दिमाग ऊंचा चढ़ गया क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करना चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दीजिए कि क्यों हड़ताल हो रही है, क्या कारण है ? वहां के अधिकारियों को फौरन बदला जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री रामकिशनदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन...

श्री अध्यक्ष : पहले डागा जी को बोलने दीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था···

श्री रामकिशनदास गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से आया है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें जो मुद्दा उठाया गया है वह कम गम्भीर है । इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इन कैदियों ने हमारी जेल के दौरान बहुत इमदाद की । उस भयंकर संकट के समय इन कैदियों ने साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया । यह वे कैदी ही थे जिन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने में हमको मदद दी थी, हमारा साथ देकर जेलों के अन्दर जिस प्रकार के अत्याचार होते थे उनके समाचार पहुंचाते थे । हमें वह दिन भी याद है जब आटे में कीड़े मिलते थे, आटे में लटें मिलती थीं और दूध की जगह दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलता था····

श्री अध्यक्ष : आपने कोई प्रस्ताव मुझे नहीं दिया है ।

श्री रामकिशनदास गुप्ता : मैं अपने साथी को सपोर्ट करने के लिए दो मिनट बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट के लिए ।

श्री रामकिशनदास गुप्ता : दो मिनट सिर्फ ।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनट ।

श्री रामकिशनदास गुप्ता : तो हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि जेलों के अन्दर क्या हालत थी, अधिकारियों का क्या रवैया रहा था । मीसा बन्दियों के लिए जो लटों का आटा था वही लटों का आटा और सड़ी सब्जियां अब मिलने लगी हैं । उनको दूध में पानी नहीं मिलता बल्कि पानी में दूध मिलता है । वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से घूंस ली जाती है वह हम सबको अच्छी तरह से मालूम है । हमें आशा है कि जेल मंत्री महोदय उनकी मांगों पर विचार करेंगे और उनको आश्वासन देंगे कि सरकार इस संबंध में एक्शन लेगी । आज बीकानेर में हड़ताल चल रही है, मेरे पास भी आज तार आया है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खुद ऐसी कार्यवाही करें कि जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोका जाय । जनता सरकार सत्ता में आई है यह जनता की जीत है, इसमें जेल के कैदियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको रेमिशन देकर रिवार्ड दिया जावे ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय··

श्री विज्ञान मोदी (राज्य मंत्री कारागृह) : मैं इस सम्बन्ध में···

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन है ।

श्री शिवचरण सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं । यह सरकार तो आप कैदियों की है । फिर भी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, विश्वविद्यालयों में अशांति के वातावरण ने भयंकर रूप धारण कर लिया है । यहां पर एकेडेमिक

Page No 26

(26)

(श्री मूलचन्द डागा)
कौंसिल की मीटिंग हुई जिसमें धारा 23 के तहत कोई विद्यार्थी जा नहीं सकता था लेकिन दो सौ विद्यार्थी जनता पार्टी की विद्यार्थी परिषद् के छात्र . . .

श्री केदारनाथ : युवा कांग्रेस के।

श्री मूलचन्द डागा : आपके ही लोग उसमें घुस गए थे। वहां बैठकर एकेडेमिक कौंसिल से जबरदस्ती और धमकी देकर निर्णय करवाये। यह इसलिए भी किया जाता है; अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर क्योंकि यह जनता पार्टी अपनी पार्टी के, अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देती है। मैंने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मुझे दुःख है, सारे पत्रों ने बड़ी हाई लाइट्स दी हैं इस समाचार को। अध्यक्ष महोदय, दो सौ छात्र विश्वविद्यालय के भवन के बाहर प्रदर्शन करने लगे और नारे लगाने लगे। फिर उनको एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग में बुला लिया गया। जनता सरकार शिक्षा के पवित्र मन्दिरों में अपनी घृणित राजनीति का उपयोग कर अपनी राजनैतिक सत्ता को कायम करने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री केदारनाथ : आपकी तरह लाठी चार्ज नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा! तो यह सारी घटना मेरे ख्याल से हमारे मंत्री महोदय को मालूम है। मैं नहीं जानता था परन्तु उन्होंने बीच में खड़े होकर कहा, इससे 'चोर की दाढ़ी में तिनका' की कहावत मंत्री महोदय चरितार्थ कर रहे हैं। ये बोले इसका मतलब है इन्हें मालूम है कि 200 छात्र जो कि एकेडेमिक कौंसिल में जा नहीं सकते थे, अन्दर घुस गये, उन्होंने वहां पर प्रवेश किया। उन्होंने फोन भी किया परन्तु आपकी ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी और जबर्दस्ती शिक्षा शास्त्रियों के साथ, प्रोफेसर के साथ, जो बातें की हैं, उससे मालूम होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी पार्टी का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है। यह एक भयानक और खतरनाक कदम है।

श्री केदारनाथ : मैं तो यह सोच रहा था कि आप रेमिशन की बात कहेंगे . .

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

शासकीय वक्तव्य

बन्दियों को परिहार

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, जेलों के कैदियों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किये हैं . .

मेजर श्री फतहसिंह : क्या आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदुपरांत भी यदि आप उत्तर देना उचित समझें तो उत्तर दें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो उनको समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के विपरीत है। उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे सकते हैं अन्यथा नहीं। इसके उपरान्त भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, उत्तर न देना चाहें तो उनको मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव है, उसके बारे में मैं केवल यही कहूंगा कि सरकार के सामने यह रेमिशन का मामला विचाराधीन है। जनता पार्टी की सरकार बनने के उपलक्ष में शीघ्र ही आम कैदियों के रेमिशन की घोषणा की जाने वाली है।

श्री खेतसिंह : यह कोई उत्तर नहीं है। जो प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूध के अन्दर पानी है या नहीं, यह बताइये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पूरा जवाब देना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है कि खड़े होकर जो मर्जी आवे वह कह दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हड़ताल क्यों चल रही है ? यह बताइये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने से राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में व्याप्त असन्तोष

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

मेजर श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतह सिंह : अध्यक्ष महोदय, यू.जी.सी. के वेतनमान लागू न करने से राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में असन्तोष व्याप्त है जिसकी ओर नियम 131 के अन्तर्गत मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने विभागीय शिक्षकों पर पड़ने वाले परिणामों पर विचार किये बिना ही 7-4-77 को यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने की घोषणा की थी। इससे राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे उनके वेतनमान, ग्रेच्यूटी, पेन्शन और पदोन्नतियां आदि सभी कम हो जायेंगी। श्रीमन्, पुरानी सरकार के समय में भी इन शिक्षकों की पदोन्नतियों के मामले में भेदभाव बरता गया है। राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देर से पदोन्नति मिलती है, जहां दूसरी सेवा में 6 से 10 वर्ष में पहली पदोन्नति मिल जाती है और 15 से 20 साल में दूसरी पदोन्नति, इसी प्रकार राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1968 के, और राजस्थान जुडिशियल सर्विस में 1971 के व्यक्ति को पहली पदोन्नति 1150 से 1650 की पे-स्केल में मिल चुकी है, वहां राजस्थान एजुकेशन सर्विस में 1958 से 1969 के व्यक्तियों की पदोन्नति 1977 में हो पायी है और वह भी 1000 से 1600 की पे-स्केल में। इसी प्रकार राज्य की दूसरी सेवाओं के व्यक्ति, जो 1958 से 1968 में नियुक्त हुए थे, उनको 1550 से 1900 की पे-स्केल मिल चुकी है। श्रीमन्, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में वेतनमान इस प्रकार है:—

निदेशक, कालेज शिक्षा का वेतनमान 2050 से 2500 है।

आचार्य, उपाचार्य, स्नातकोत्तर महा विद्यालय और संयुक्त निदेशक का वेतनमान 1500 से 1900 तक है।

आचार्य, उपाचार्य, स्नातक महा विद्यालय, अध्यक्ष और सम्बद्ध अध्यक्ष स्नातकोत्तर विभाग उपनिदेशक शिक्षा का वेतनमान 1150 से 1650 है।

वरिष्ठ व्याख्याता का वेतनमान 1000 से 1600 तक है और व्याख्याता का वेतनमान 750 से 1350 है।

(मेजर श्री फतहसिंह)

श्रीमन्, भूतपूर्व मुख्य मंत्री की घोषणा के परिणामस्वरूप उपरोक्त सभी पद समाप्त होकर केवल दो वर्ग शेष रह गये हैं। वे दो वर्ग हैं, आचार्य जिनका नवीन वेतनमान है 1200 से 1900 और दूसरा व्याख्याता, जिनका वेतनमान 700 से 1600 है। इस प्रकार शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर समाप्त कर देने से, श्रीमन्, शिक्षा सेवा में से प्रतिभा का पलायन प्रारम्भ हो जाएगा और शिक्षा सेवा के व्यक्ति अन्य राजकीय सेवाओं की ओर आकर्षित होने लगेंगे और शिक्षा सेवा में प्रतिभावान व्यक्ति नहीं आयेंगे।

श्रीमन्, मुझे ज्ञात हुआ है, सूचना मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के वेतनमान की घोषणा के बाद से राजस्थान शिक्षा सेवा में से 12 व्यक्ति राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा चुके हैं। इस विषमता के रहने से, श्रीमन्, राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 500 शिक्षकों में गहरा असन्तोष है। शिक्षकों ने अपनी समस्याएं ज्ञापन, शिष्ट मण्डलों द्वारा सरकार तक पहुंचाई हैं लेकिन सरकार की ओर से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिससे शिक्षकों में असन्तोष व्याप्त है जो शिक्षा जगत और छात्रों, दोनों के हित में नहीं है। इसलिये, श्रीमन्, मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार को कहना चाहता हूं कि समय रहते सरकार यह समझे कि शिक्षकों का जीवन सम्मानपूर्ण हो तथा उनके सामने इनिशिएटिव, प्रेरक तत्व बने रहें। शिक्षकों का असन्तोष आन्दोलन का रूप भी ले सकता है अतः मेरा इस प्रस्ताव के जरिये सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कालेज खुलने से पूर्व कारगर कदम उठावे जिससे शिक्षा जगत में सद्भावनापूर्ण व शांतिमय वातावरण बना रह सके, यही मुझे कहना है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सदन का ध्यान आकर्षित किया है, इस विषय पर मैं उनका बहुत आभारी हूं। इस विषय में जब से हमारी सरकार बनी है तब से न केवल चिन्तन किया गया है वरन् इस विषय पर विचार कर इस समस्या को जल्दी से जल्दी किस प्रकार हल किया जा सके, उस बात का प्रयास किया गया है और उसी नाते सारी जानकारी करने का और क्या करना सम्भव होगा उसके करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : निश्चित तारीख बता दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूर्व में राजस्थान की सरकार ने विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और प्राइवेट महाविद्यालय के प्राध्यापकों को यू.जी.सी. का वेतनमान देने का निर्णय लिया था। इससे नव नियुक्त प्राध्यापक और जिसकी सर्विस कम हुई है, ऐसे 2000 अध्यापक हैं, उनको तो बड़ा फायदा पहुंच सकता है। परन्तु जितने विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, जो कि वरिष्ठ हैं जहां तक उनका सम्बन्ध है, उन वरिष्ठ प्राध्यापकों का मेमोरेण्डम प्राप्त हुआ है। उन्होंने उन सारी कठिनाइयों को व्यक्त किया है जिसको माननीय सदस्य ने सदन में रखा है। मैं भी उनको आपके बीच में दुहराना चाहता हूं।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दो हजार प्राध्यापक ऐसे हैं जो कि लाभान्वित हुए हैं। परन्तु 500 ऐसे वरिष्ठ प्राध्यापक हैं उनके सामने यू.जी.सी. वेतनमान के कारण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। उनके वर्तमान पदों में जो बढ़ाये जाने वाले पद हैं, उनके समाप्त होने की बात की गई है। इससे दो ही पद रह जायेंगे। एक व्याख्याता और दूसरा प्राचार्य। यह सच है कि नये वेतन मान में दो प्रकार के पद होने के कारण पदोन्नतियों के अवसर लगभग समाप्त हो जायेंगे। इस बात की जानकारी करने की कोशिश की गई है कि वेतन स्थिरीकरण करने से कालान्तर में क्या असर पड़ने वाला है। इस प्रकार के मेमोरेण्डम की जो बात कही गई है वह सच है। अब जो पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान सरकार इसका ठीक हल किये जाने का प्रयत्न कर रही है। इसके हल के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले का सम्पूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार और यू.जी.सी से मार्ग दर्शन दिये जाने का निवेदन किया गया है। सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं भी शिक्षक रहा हूं। मैं शिक्षकों की कठिनाइयों को समझता हूं। मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं। अगर विधान सभा का सत्र बीच में नहीं आ जाता है तो यद्यपि मैं इसके लिए भी नया हूं फिर भी मैं आश्वासन देता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त होगी वह की जायेगी, वायदा तो नहीं कर सकता किन्तु इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि 31 अगस्त तक पूरे प्रयत्न से इस वेतनमान के लिए निर्णय लिया जा सके इसका प्रयत्न किया जायगा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने से भारत सरकार 80% अनुदान देगी। अगर आप यह वेतनमान नहीं देंगे तो 80% अनुदान बन्द हो जाने से सरकार पर कितना भार आयेगा? और उससे क्या कठिनाइयां आयेंगी? इसे इस सरकार को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह हमारे मन में है। परन्तु आखिर 500 लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह : 1500 के साथ किया जा सकता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसी का 60/–रु. कम होता है और किसी का 50/–रु. कम होता है। शायद ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं होगा कि नया वेतनमान देने के कारण वेतन में कमी हो जाये। इस सन्दर्भ में पूर्ण विचार के बाद सरकार निर्णय लेगी।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री श्योपत सिंह (मकासर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री मूलचन्द डागा : पहले मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप आपस में तय कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम के अन्तर्गत एक कानूनी प्रश्न उठाया है । मैं इस विधान सभा का सदस्य 14 जून को घोषित किया गया हूं । फिर मुझे पे स्लिप 22 तारीख से क्यों मिली है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं । 14 तारीख, 15 तारीख को निर्वाचित घोषित कर दिया गया । हमको रिटर्निंग आफिसर ने लिखकर दिया है, आप सदस्य घोषित किये जाते हैं । श्रीमान, यह सरकार की लापरवाही का नमूना है । यह 22 तारीख से हमें तनख्वाह देगी अध्यक्ष महोदय, आपके होते हुए यह हुआ है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप 14 तारीख से ही हमारा बिल बनवायें । इसमें जनता पार्टी भी पूरा सहयोग देगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसका एक मात्र कारण यह है कि हमारा विधान सभा का सत्र काफी देर से बुलाया गया है । हमारे यहां के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ इन्डिया को देर से सूचना दी है । इसलिए यह 22 तारीख से हुआ है । हमारी सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया है कि जो गलती हुई है उसको दूर किया जाये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सात ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं । मुझे अफसोस है कि उनका कोई उत्तर नहीं मिला है । यह सत्र कल समाप्त हो रहा है । उन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों में बहुत ही अहम मुद्दे थे । कल सत्र समाप्त हो जाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को कल रखा जाय । उनमें राजस्थान के हित में जनता की समस्याएं हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो कहना चाहते हैं, उमरावसिंह जी ने वह कह दिया है ।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : आपका भी आया है ?

श्री एच. एन. शर्मा : एटमिक एनर्जी का तो अलग है । अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है . . .

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट बोल लें ।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था । लेकिन उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली । अध्यक्ष महोदय, वहां पर छंटनी की जा रही है । मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग से राणा प्रताप सागर बांध से 208 कर्मचारी . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव दिया नहीं है । स्थगन प्रस्ताव के रूप में देते तो मैं समय देता । वरना दो मिनट बोल लें ।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 4,250 कर्मचारियों की सिंचाई विभाग से और माही डेम से छंटनी की जा रही है, 3,958 बेलदार और कुली हैं, जो बड़ी मुश्किल से

(श्री एच.एन. शर्मा)
अपने परिवारों का पालन कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया है। एक तरफ उन पर प्रकृति प्रहार कर रही है, दूसरी तरफ वहां के अधिकारी, जिनकी अब तक कांग्रेस सरकार से मिली भगत रही है, जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए छंटनी कर रहे हैं। मैं श्रम मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी, जो यहां बैठे हैं, और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा यह जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।

श्री माधो सिंह : बदनाम आप अपने कर्मों से हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें 3958 बेलदार और कुली हैं, 25 चौकीदार हैं, 70 हेल्पर हैं, 8 चवालिया, 3 ब्लेक स्मिथ, पांच जीप ड्राईवर, तीन ट्रक ड्राईवर, इस तरह से कुल 4,250 आदमियों को उस रेन्ज से निकाला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो श्रमिकों का रोष व्यापक रूप धारण कर सकता है और उसको कन्ट्रोल करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के अधिकारियों पर, जो भ्रष्ट हैं, तुरन्त अंकुश लगाया जाय और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके कर्मचारियों को तुरन्त राहत दिलाने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : You don't expect a reply, Finished.

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय मैंने 25 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों में ज्यादा फीस लेने के सम्बन्ध में पेश किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव गैर सरकारी प्रस्ताव है। फ्राइडे को, शुक्रवार को आप यह प्रस्ताव कर सकते हैं। कल का शुक्रवार तो सरकारी बिजनेस के लिए है। आइन्दा सत्र में आपका प्रस्ताव अगर ढंग से आयेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के बारे में ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गुल मोहम्मद, आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 27 तारीख को रखा था। सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों में अधिक फीस ली जा रही है और गरीब लड़कों के साथ कई ज्यादतियां की जा रही हैं। इनके अन्दर खेल के लिए-क्रीड़ा के लिए 6/- रु. एक छात्र से लिए जाते हैं। अगर किसी स्कूल में तीन सौ छात्र हैं तो 6/- रु. के हिसाब से अठारह सौ रुपये हो जाते हैं जब कि किसी प्रकार के खेल का प्रबन्ध नहीं होता। वह पैसा खेलों के काम में नहीं आता है। बहुत से बैकवर्ड सैक्शन के

Page No 32

(32)

(श्री गुल मोहम्मद)
व्यक्ति हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। वे इस तरह से फीस नहीं दे सकते हैं। उद्योग के लिए 6 रुपये लेते हैं जब कि किसी प्रकार का उद्योग वहां पर नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। इसी प्रकार से विकास के लिए 5/- रु. लिये जाते है लेकिन यह रुपया विकास के लिए खर्च नहीं किया जाता। सामान्य विज्ञान के 12/- रु. और अल्प बचत के लिए दो-दो रुपये प्रत्येक छात्र से लेते हैं। जब कि बच्चे स्कूल छोड़कर जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी जांच करवायें और इस बारे मे उचित कार्यवाही करें, जिसमे कि यह जो फीस ली जाती है. वीकर सेक्शन के बच्चों से, और सभी से इसके कारण उनके मां बाप उनको दाखिला नहीं दिलवा सकते हैं, उनको सौ डेढ़ सौ रुपया फीस देनी पड़ती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं यह कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस तरफ तवज्जह करें, इस मामले को सुलझाने की कृपा करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल जो प्रस्ताव रखा था······

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसके बारे मे आपने व्यवस्था दी थी कि माननीय उद्योग मन्त्रीजी आज इसका उत्तर देंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से उत्तर आयेगा तब उत्तर दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी और मन्त्री महोदय ने हां भरी थी कि मैं उत्तर दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, दफ्तर की ओर से जो मुझे सूचना दी गई है वह गलत दी गई है। इसमें एक निमन्त्रण पत्र दिया गया है इसमें लिखा है कि 15 अगस्त को आपको सपत्नीक आना है। और साथ में मेरी बहन पुष्पा जैन को भी इसी प्रकार का निमन्त्रण पत्र मिला है। मैं निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए और उनको यह भी देखना चाहिए सदन में महिला सदस्यायें भी हैं। मैं बहुत ही सोच में हूं, पत्नी कहां से लाऊं ? कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। राजस्थान के विभिन्न जिलों से जो प्रहरी के रूप में विधान सभा की सेवा के लिए उपस्थित होते हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी कोई पूर्व सूचना तो है नहीं। आप मेरे कक्ष में आकर मिल लें। मैं इसको हल करने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था दी थी और माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि मैं इसका कल जवाब दूंगा। कल की प्रोसीडिंग मंगाई जाय और देखा जाय कि यह वचन दिया गया है या नहीं। यदि दिया गया है तो क्या मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं। जो समस्या उठायी जाती है, उसके ऊपर मन्त्री महोदय चुप रहते हैं और जवाब नहीं देना चाहते जब कि उन्होंने घोषणा की थी। यह शर्म की बात है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय उत्तर दें। आप कल की प्रोसीडिंग मंगा कर देख सकते हैं। इसके ऊपर आप व्यवस्था देवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे कमरे में आकर मिल लीजिये। मैं मन्त्री महोदय को भी बुलाने की चेष्टा करूंगा। इस बारे में बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने कमिट किया है तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मन्त्री जी को बाध्य कर सकता हूं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप उनको आदेश दे सकते हैं, आप अपने अधिकारों का उपयोग करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उचित रूप से मैं मेरे अधिकारों का उपयोग करूंगा यह बिलकुल मेरे डिस्क्रिशन की समस्या है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सब मामला आपके मन पसन्द पर है। फिर भी प्रश्न के औचित्य पर आप आश्वस्त हैं तो इस पर सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए, शासन से हमेशा इस प्रकार की व्यवस्था रही है। वैसे उनकी मर्जी है, देना चाहे या नहीं। आप हर प्रश्न पर वक्तव्य नहीं दिलायेंगे। लेकिन यदि आप उचित समझें कि यह मेटर आफ पब्लिक इम्पार्टेंस है तो सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, आप आदेश दे सकते हैं सरकार को। सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था और प्रक्रिया यहां पर रही है। मैं समझता हूं सरप्राईजिंगली आप उनको बाध्य नहीं कर सकते लेकिन फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाने के बाद और पब्लिक इम्पार्टेंस देखकर इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं, यह व्यवस्था रही है सदन में।

श्री अध्यक्ष : आपकी राय के लिए मैं आभारी हूं लेकिन इस स्थिति में नहीं हूं कि इसको अत्यधिक पब्लिक इम्पार्टेंस की आवश्यकता का प्रश्न समझकर प्राथमिकता दूं। ऐसी समस्या मेरे सामने उत्पन्न नहीं हो पाई।

श्री शंकरलाल : स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि वह वक्तव्य देंगे। तो फिर उनको देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलायें।

Page No 34

(34)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मंत्री जी ने कहा था कि मैं वक्तव्य दूंगा। तो फिर आज कौनसी बात हो गई कि नहीं देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उनको ऐसे मौके पर यहां रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो आपने विचार प्रकट किए हैं उनमें कोई सन्देह नहीं । यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि आप उनको निर्देश दें किसी वक्तव्य के लिए अथवा नहीं। उनका स्वयं का कमिटमेंट है कि आज वे वक्तव्य देंगे ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए उनको आपने 5-5 मिनट का मौका दिया। उसी तरह से मैं समझता हूं मेरे पर भी मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या प्रस्ताव है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं मैंने, मुझे कोई सूचना नहीं कि कितने मन्जूर हुए कितने नहीं, सब पब्लिक इम्पार्टेंस के इश्यूज हैं । इसलिए मुझे भी उन पर बोलने की इजाजत दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस तो नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सचिवालय से जानकारी करें ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आए ।

श्री खेतसिंह : मेरे कक्ष में मिल लें ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक ।

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1977 ।

व्यवस्था का प्रश्न विधेयक में हिन्दी में संशोधन

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इस बारे में सदन में निवेदन किया था कि मैंने जितने भी संशोधन जिन विधेयकों पर दिए है, वे हिन्दी में दिए हैं । आज जो हमें कार्यसूची मिली है, उसमें मेरे संशोधन नहीं लिखे गए हैं जब कि कल आपने यह व्यवस्था दी थी कि चाहे हिन्दी में हों चाहे अंग्रेजी में हो उनको जोड़ा जाना चाहिए परन्तु आपका सचिवालय आपकी आज्ञा की अवहेलना करता है । जब सदन में वायदा किया जा चुका है कि सन् 1967 से सारा काम हिन्दी में होगा, उसके बाद अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देते हुए मुख्य मंत्री ने भी घोषणा की थी कि राजस्थान में सारा काम हिन्दी में होगा और स्वयं राज्यपाल महोदय ने भी यह घोषणा की थी कि सारा का सारा काम हिन्दी में होगा उसके बावजूद अगर यहां पर किए गए वायदों को तोड़ा जाता है, तो यह सारी धोखाधड़ी है। मेरे संशोधन उन्होंने स्वीकार नहीं किए हैं । जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें उनको नहीं छापा गया है। क्या अभी उनको आज्ञा देंगे कि हिन्दी में छापें ? कल विरोधी दल के नेता ने भी कहा था कि अगर हिन्दी में भी हैं तो उनको अंग्रेजी में

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)
अधिकृत समझा जाना चाहिए। उसके बावजूद आपका सचिवालय अपनी मनमानी करके आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हिन्दी भाषा में सारे काम करने चाहिए। 1967 से लेकर अब तक जो एक्ट्स बने हुए हैं उनका हिन्दी अनुवाद नहीं किया गया है, तो यह मेरी, आपकी और सदन की गलती नहीं है बल्कि उन लोगों की गलती है जिन पर यह जिम्मेदारी थी इसलिए उनको तुरन्त सस्पेंड किये जाने की व्यवस्था दी जाए। आपकी व्यवस्था के बाद एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय मुझे बताया जाए कि इसके क्या कारण हैं? आप भविष्य में हिन्दी में संशोधन मंजूर करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि मेरी आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं हुई। न कल विरोधी दल के नेता ने कोई ऐसी भावना व्यक्त की। मैं चाहता हूं कि हिन्दी को प्राथमिकता दी जाय। हमने राजनैतिक निर्णय लिया है कि हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, किन्तु हमारी कमियां और विवशतायें भी हैं। जो विधेयक अंग्रेजी में आते हैं उसका अनुवाद हो सकता है, अनुवाद के रूप में व्यवस्था करने का इस सदन में बार-बार विचार भी किया गया है और इस निर्णय पर सदन पहुंचा है कि हिन्दी को प्राथमिकता दी जाय। इसके अलावा हमारे यहां पर संसदीय परम्परा है उसके विपरीत एक क्षण में कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : पहले मेरा पाइंट आफ आर्डर चल रहा है। मैंने कहा था कि आपकी व्यवस्था के बाद मैं निर्णय लूंगा। अगर आप इस मामले में विवश हैं, जो व्यवस्था कल हुई थी इस बिल पर हिन्दी में संशोधन पेश करने की, अगर आप उसको अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि जब तक सारे बिल का हिन्दी में अनुवाद न हो जाए तब तक इस पर कार्यवाही स्थगित की जाए। जो हिन्दी राष्ट्रभाषा है उसका अपमान करने के लिए ये अंग्रेजी की कापियां इस सदन में फाड़कर फेंकता हूं। ऐसी बात बरदाश्त नहीं की जा सकती कि अंग्रेजी को इस तरह से कायम किया जाए। जब कि 1967 में इस बात का फैसला किया है और कई बार सदन में कह चुके हैं कि हम लोग हिन्दी में काम करेंगे, उसके बावजूद आपके सरकारी अधिकारी, जिनको हिन्दी नहीं आती है, आपको मिसगाइड करके सारा काम अंग्रेजी में करना चाहते हैं। इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन किया)

विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कल आपने बहुत ही सुन्दर निर्णय लिया। वह सारा समाचार पत्रों में छपा है कि कोई भी विधेयक दो दिन पहले पेश किया जाए ताकि सदस्य अपने संशोधन दे सकें। कल तो भूल की, आज भयंकर भूल की, आज इन्होंने 7 संशोधन दे दिए हैं। सरकार अपना माईंड नहीं बना सकी। केबीनेट निर्णय नहीं ले सकी, एक छोटे से बिल पर 4 संशोधन आज और आ गए हैं और संशोधन आने के बाद भी,

Page No 36

(36)

(श्री मूलचन्द डागा)

मेरे विचार बनते हैं, उसके अनुसार संशोधन देने में वंचित रह जाता हूं। मैं सचिवालय को दोष नहीं देता लेकिन ये संशोधन जो आए हैं आपके नोटिस आफिस में आज माने जायेंगे क्योंकि तीन बजने के बाद कल के। टाइम के बाद नोटिस आवर के बाद संशोधन दिए हैं। इस प्रकार आज भी आए हैं तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बिल में अमेन्डमेन्ट देने थे, बहस में भाग लेना है लेकिन मैं आज के वातावरण से ऐसा समझता हूं कि सारी पावर्स माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केन्द्रित कर ली हैं। मैं समझता हूं कि माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जी शिक्षा मन्त्री कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा बिल है इसमें चार संशोधन कर दिये हैं। जिन्हें, मैं समझता हूं, चतुर्वेदी जी शायद पढ़ नहीं सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि आप इस बिल को आज नहीं लें और मुझे मेरा राइट, जो अमेन्डमेन्ट देने का है, रेस्टोर करावें। आज इसको विथड्रा करें।

एक माननीय सदस्य : तो कब लें इसे?

श्री मूलचन्द डागा : आज नहीं, कल लें या परसों लें। लेकिन मैं आपसे मेरे अधिकारों की रक्षा करने के लिये पुकार रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपने इन्हें ताड़ना कल दी। पर मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसका इन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी का यह कारण है कि बिना नोटिस दिये ही यह बिल आज सदन में आ गये हैं। मैं आज मेरे अधिकारों से वंचित हो रहा हूं क्योंकि मैं इस बहस में बिना संशोधन दिये भाग ले नहीं सकूंगा। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। इस बिल में संशोधन देने के लिये जो मेरा राइट है उसकी आप रक्षा करें। मैं आपसे मेरे अधिकारों की रक्षा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मेरी सहानुभूति है। आपने जो ध्यान मेरा आकर्षित किया है उसके लिये मैं आपको रेफरेन्स पढ़ कर सुनाता हूं।

'The Speaker may also waive the notice period for an amendment provided that the House is agreed upon it. Government amendments are as a general rule allowed to be moved even without notice unless public interest is vitally affected in any way,

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ को मजबूर नहीं कर सकते। मैं किसी को भी प्रायोरिटी दे सकता हूं। गवर्नमेन्ट को अधिकार है यह बात नहीं, यह मेरे डिस्क्रिशन की बात है। मैं चाहे जिसे प्रायोरिटी पर लूं। मैं इस परम्परा का हामी नहीं हूं यह माननीय सदस्य को ध्यान रहे। स्पीकर को अधिकार है Speaker is empowered माननीय सदस्य, कौल एण्ड शकधर पेज 493 देख लें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की मंशा है···

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं वोट करवा लूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, तो मैं मेरे अमेन्डमेन्ट कब पेश करूं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन का कीमती समय व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कल आपने जो सदन में निर्णय दिया था उसको अखबारों में बड़ा हाईलाइट किया गया। यह तारीफ हुई थी कि आप बहुत ही अच्छा निर्णय देते हैं।

श्री अध्यक्ष : I agree with you, but in exceptional cases the general rule does not apply, Hon. Member

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

विधायी कार्य। श्री शिक्षा मन्त्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि "जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

तालीम का जो सबसे बड़ा अदराक जो देश के अच्छे यूथ हैं वह खुद पैदा करते हैं। आज बार बार अवाम में यह बात आती है कि यूनिवर्सिटीज में कई प्रकार की गड़बड़िया होती हैं और इसलिये उसमें तरमीम होना, मैं समझता हूं, बहुत ही जरूरी है। वाइस चान्सलर को आप इस बिल को सदन में पेश करके चार और मेम्बर्स को मनोनीत करने की पावर्स दे रहे हैं। इससे वाइस चान्सलर तो ज्यादा ही पावरफुल होगा। यूनिवर्सिटी सिन्डीकेट में 19 सदस्य आपने रखे हैं और उसमें कोरम वन-थर्ड का रखा है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वाइस चान्सलर खुद चार सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तो फिर वह कोरम पूरा करके पैसे का नाजायज उपयोग करेगा। आज से पहले भी आपने सुना होगा कि पैसे का वहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है, किया गया है और भविष्य में भी किया जायेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बिल में ऐसी व्यवस्था करें, यदि कोई भी रिजोल्यूशन यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को पास कराना है तो सिन्डीकेट में टू-थर्ड मेजोरटी से वह रिजोल्यूशन पास होने की बात को ही जायज माना जाना चाहिये। नहीं तो आप इस बिल को पास करके वाइस चान्सलर को खुली छूट दे रहे हैं पैसे का दुरुपयोग करने के लिये। ज्यों ही कोरम हो जायेगा वाइस चान्सलर कोई भी रिजोल्यूशन पास करा लेगा। वैसे भी आप जो व्यवस्था कर रहे हैं

(श्री अब्दुल अजीज)

उसमें वाइस चान्सलर को कहीं भी दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि 6 का कोरम होता है। एक वाइस चान्सलर, और चार सदस्य वह होंगे जिन्हें वह मनोनीत करता है। उसके साथ ही अगर वह एक सदस्य को अपनी ओर कर लेता है तो कोरम तो 19 में छः का ही है, वह वन-थर्ड कोरम कर रिजोल्यूशन पास करके मनचाहे ढंग से खर्च करेगा। दो-तिहाई अगर रिजोल्यूशन को पास होने के लिए कोरम आप रखते हैं तो मैं यह समझता हूं कि वाइस चान्सलर को मनमाने ढंग से पैसे खर्च करने की खुली छूट नहीं मिल सकती। वाइस चान्सलर पर अंकुश रहेगा। राज्य सरकार जो अनुदान लाखों रुपये का विश्वविद्यालयों को दे रही है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास होना हो तो टू थर्ड सिन्डीकेट के मेम्बरों का कोरम होना जरूरी है अन्यथा वह रिजोल्यूशन पास नहीं किया जावे।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि "जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन 15 सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत करे।"

जनता पार्टी की सरकार ने कई गलत कदम उठाये हैं। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा गलत कदम उठाया है वह है कि सदन द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, और राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल पास किये गये हैं उसमें संशोधन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज के लिये एक कोडीफाइड लॉ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चतुर्वेदी जी अपनी बड़ी तारीफ समझते हैं कि वह यूनिवर्सिटीज में प्रजातान्त्रिक पद्धति लाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने राजस्थान के अखबारों में अपनी तारीफ करवायी है, राजस्थान पत्रिका में भी छपी है। यह पत्र के लोग मन्त्री महोदय की चापलूसी करते हैं।

श्री बालदयाल जोशी : यह सही है चापलूसी नहीं है। चापलूसी तो आपने करवायी थी। जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज में जोशी जी की फोटो लगवायी पांडे जी द्वारा...

(व्यवधान)

आपने इमर्जेन्सी में पोस्टर छपवाये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : प्वान्ट ए पोइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, आखिर सदन के अन्दर इतना शोरगुल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आसन ने मौन व्रत धारण कर रखा है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्ति रखें।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े दुःख की बात है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतनी पैरवी कर रहे हैं। अभी सदन में मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। अगर वह होते तो मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करता। शायद इससे दूसरी लिस्ट में आ जायें।

Page No 39

(39)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप दुआ करो सभी मिलकर।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ दल बनी है उसका ध्यान अब विश्वविद्यालयों की ओर गया है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के पवित्र मन्दिरों में जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक नापाक कदम रखने शुरू कर दिये हैं। मैं समझता हूं जनता पार्टी को चाहिए कि कम से कम शिक्षा के मन्दिरों को तो अछूता रखे। अध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्वेदी जी 15 साल तक शिक्षक रहे। और चतुर्वेदी जी आप शिक्षा के नोबल प्रोफेशन को छोड़कर इस राजनैतिक दायरे में क्यों आ गये ? आप खुद जानते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रांगण एक पवित्र प्रांगण है, उसमें राजनीति का प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप खुद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट के मेम्बर रह चुके हैं। अब यह नापाक कदम राजनीति के यहां क्यों पड़ रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अधिनियम में जब जब कोई संशोधन आया था कोई प्रश्न आया तो जो आपने भाषण दिये उन्हें भी पढ़ा है। आप उस वक्त अपने भाषणों में कहा करते थे कि गन्दी राजनीति को विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण से दूर रहना चाहिए। विश्वविद्यालय में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। चतुर्वेदी जी, जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट के मेम्बर थे तो राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने 60 लाख रुपये के घाटे में डाला था। आज आप यह बिल लेकर आ गये है और इस बिल के जरिये हमको यह बात कहना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालयों को ज्यादा डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं।

इस बिल को पढ़िये, इस बिल में डेमोक्रेसी कहां है ? इस बिल के द्वारा तो सरकार के सब नुमाइन्दे सिण्डीकेट में आवेंगे। चतुर्वेदी जी की जिस पर आंख ठंडी होगी वह हो जावेगा। जनता पार्टी विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करना चाहती है, देखिये।

एक माननीय सदस्य : डर लग गया।

श्री मूलचन्द डागा : वाइस चान्सलर, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, इमिनेन्ट पर्सनेलिटीज प्रिन्सिपल्स, प्रोफेसर्स, डीन आफ फेकल्टीज। अनगिनत लोग। सिण्डीकेट में दस आदमी तो आपके नोमिनेटेड होंगे और चार-पांच आदमी आपके इलेक्टेड होंगे। यह डेमोक्रेसी है। इस प्रकार यूनिवर्सिटीज को प्रजातान्त्रिक रूप दिया जावेगा। चतुर्वेदी जी, आपने अखबारों में खबरें छपवा दीं। यह डेमोक्रेटिक रूप नहीं होगा। आपका नाम जपते हुए आपके आदमी कम होंगे। जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने जा रही है। नौजवानों की पार्टी बना रही है। नौजवानों की बात कर रही है। सिद्ध राज जी ढढ्ढा का भाषण देखा है मैंने। मुझे दुःख है कि इस छोटे से बिल पर केबिनेट निर्णय नहीं दे सकती। सारी सत्ता और सारे निर्णय मुख्य मंत्री जी के हाथ में केन्द्रित हो गये हैं। कल केबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी। दो दिन में यह संशोधन आ गया। आप इस बिल को पढ़ें। मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े विद्वान हैं। आप बतायें, इस बिल के [illegible] सिण्डीकेट में किनको लाना चा[illegible] कौनसे विद्यार्थी सिण्डीकेट में आ ज[illegible] टेढ़ी चाल चलता हो, तिरछी नज[illegible] हो, या दादा हो वह आ जायग[illegible] के द्वारा यूनिवर्सिटी में ज्यादा[illegible]

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रक्रिया इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप यह कहिये कि मेरिट्स पर जो लड़के टॉप करेंगे, क्लास में टॉप करेंगे उनको नोमिनेट कर दिया जावेगा। यूनिवर्सिटीज पर लाखों रुपया खर्च होता है। मां बाप की गाढ़ी कमाई का रुपया खर्च होता है। आपने यह लिख दिया जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये, उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये, राजस्थान विश्वविद्यालय के लिये स्टूडेंट सिण्डीकेट के मेम्बर होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से स्टूडेन्ट्स होंगे मेम्बर ? अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिख दिया स्टूडेन्ट्स होंगे। स्टूडेन्ट्स कौन होंगे ? मेरिट पर होंगे वह होंगे, कोई स्पोर्ट्समैन होंगे वह होंगे या इमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट हैं वह होंगे। स्टूडेन्ट्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी ? जल्दी-जल्दी में बिल गढ़ दिया, या सरकारी कर्मचारी को कह दिया और उसने लिख दिया। कौन स्टूडेन्ट नेता बनता है ? जो दादागिरी करता है या मजनू के गाने गाता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यही पैदा किये हैं 30 वर्ष में ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके आने के बाद और बढ़ गये। भगवान जाने, आपकी सरकार आने के बाद दुर्दशा क्यों बढ़ गयी ? मैंने कहा, चतुर्वेदी जी क्या कर रहे हैं ? टीचर्स के इलेक्शन करवायेंगे। यह बीमारी ...हां से पैदा हो गयी ? शिक्षक लोगों का ... कराने आवेंगे। एकेडेमिक इन्स्टीट्यूशन्स ... के पवित्र मंदिरों में इन नापाक ... नहीं डालिये। आप रहे या नहीं, ...न पवित्र मंदिरों को नापाक ...त होने से बचाइये। विश्व- ...नापाक कदम नहीं रखिये।

जनता पार्टी के लोग खुले आम दोष लगाते हैं। कौन बनेगा शिक्षा मंत्री ? जो आर. एस.एस. का मेम्बर रह चुका है। आज्ञा का आपने पालन किया। जोधपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर हिन्दू कालेज के प्रोफेसर को बनाया जो आर. एस. एस. का है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि यहां कोई भी वाइस चान्सलर बनने लायक ही नहीं रहा। इतने बड़े बड़े विद्वान्, पारंगत, महनती लोग राजस्थान में होते हुए भी उनमें से क्यों नहीं बनाया ? एक आर.एस.एस. का मेम्बर, जिसने जिन्दगी भर काम किया आर. एस. एस में...

एक माननीय सदस्य : आर. एस. एस. का मेम्बर होने से उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज नहीं, आप भी कल बनोगे।

एक माननीय सदस्य : हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन पर देश को गर्व है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा दुर्भाग्य है कि देश में संकीर्णवाद पैदा करने वाले लोग हैं। इस हिन्दू कालेज के प्रोफेसर को लाकर वाइस चान्सलर बनाया है। हिन्दू शब्द से मतलब नहीं है, उनके पिछले जीवन को पढ़ लीजिये, राजस्थान पत्रिका में उनका जीवन निकला है। बड़ी गर्दन नीची हो रही है। चतुर्वेदी जी, आप की जनता पार्टी कब गठित हुई है और वे आर. एस. एस. के कब से रहे हैं ? उनको लाकर बैठा दिया है। आपके आने के बाद उदयपुर का इन्स्टान्स आपके सामने है। जनता पार्टी के सदस्यों को यह कहना चाहता हूं, आप इसको पढ़िये। इसमें है।

Page No 41

(41)

(श्री मूलचन्द डागा)

"(ii) Director of College Education,

और कौन होंगे ?

(v) Two Deans of faculties, to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation, in accordance with their inter se seniority as Professor/Director/Principal of Post-graduate College"

बहुत नम्रता से प्रार्थना करता हूं, माननीय चतुर्वेदी जी, आप शिक्षक रहे हुए हैं। यह शिक्षक का स्थान नहीं है। शिक्षक का राजनीति में प्रवेश करना कहां तक उचित है ? खैर आगे बढ़िये। स्टूडेन्ट को आपने मेम्बर बनाया है :

(ix) Two persons elected by the Senate from amongst students who are elected as "other members of the Senate......"

फिर अमेन्डमेन्ट दे दिया। अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी या पता नहीं क्या निर्णय किया। अमेन्डमेन्ट पर अमेन्डमेन्ट दे दिया। वह कैसा है, यह पढ़ने से पता लगता है। टीचर्स को इन्टर-से सीनियोरिटी के आधार पर नामीनेट किया जावेगा। महरबानी करके सोचिये, 60 वर्ष का बूढ़ा भी होशियारी बरत सकता है और नौजवान लड़का भी राज्य करने योग्य हो सकता है। जनता पार्टी बड़ी प्रगतिशील बन रही है। इसमें कहा है जो सीनियोरिटी में होगा उसको बना देंगे। आपने यह नहीं सोचा कि वह मेरिट पर हो, उसके द्वारा इतनी किताबें लिखी हुई हों, उसकी यह क्वालिफिकेशन हो और वह प्रोफेसर हो। एक कलम से आप नोमिनेट कर देंगे। कर दें, मन में आये सो। जो हमने गलतियां कीं उसका तो वह परिणाम सामने है आप जो गलतियां कर रहे हैं उससे देश को खतरे में डाल रहे हैं, राजस्थान को खतरे में डाल रहे हैं, विश्वविद्यालयों को खतरे में डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

आपके प्रति हमदर्दी के कारण बोल रहा हूं। चतुर्वेदी जी को बचाने के लिये बोल रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन की ओर इंगित करके बोलें तो अच्छा है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ देख कर ही मुझे प्रेरणा मिलती है क्योंकि मैंने आपके भाषण पढ़े हैं।

आगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने सिण्डीकेट के कम्पोजीशन को चेंज करने का कारण क्या दिया है ? इन्होंने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स क्या दिये हैं ? तीनों के एक से लिखे हुए हैं, सिर्फ नाम पलट दिया है। आखिरी सेन्टेन्स में क्या दिया है ? आपकी मन्जिल कहां है :

"it is felt necessary that the composition of the Syndicate should be changed forthwith to provide for the representation of the elected representatives of the people, teachers and students and thereby restore its democratic character in keeping with the declared policy of the Government."

(श्री मूलचन्द डागा)

यह है आपकी मन्जिल/आपके कहने और करने में अन्तर क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हाथ में रामायण और अन्दर कोकशास्त्र अलमारी में, यह तरीका है। यह कौन सा तरीका है, आपने कहा है डेमोक्रेटिक करेक्टर इन्स्टीट्यूशन का कायम करेंगे। क्या यह डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हो गयीं ? जहां नामीनेटेड मेम्बर्स ज्यादा हों वहां डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स होंगी, क्या आप यह मानते हैं ? क्यों दुनियां को धोखा देते हैं ? आप दुनियां की नजर से नहीं छुप सकेंगे। आपने नोबल प्रोफेशन क्यों छोड़ा और राजनीति से मोह कब हुआ ? आपने क्या किया। मैं कहता हूं कि इनमें राजनीति को प्रवेश कराने के यह तरीके हैं। नामजद करने के तरीके से ही आप इसमें राजनीति का प्रवेश करा रहे हैं। सारे समाचार-पत्र और दुनियां कहेगी कि विश्वविद्यालय में आप राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं। अभी तो मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब बिल आयेगा उस समय मौका मिलेगा और उस समय सारी बातें बताऊंगा और सारा रिकार्ड बताऊंगा। आप सिन्डीकेट के मेम्बर रहे हैं यह आपका सौभाग्य था। उस समय की कथायें भी बताऊंगा। मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। आप जल्दी से जल्दी मिलकर और एक्ट में अमेन्डमेंट करवाकर जनता पार्टी सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वहां भी यह सरकार ही काम कर सके। साथ ही हमारे जो अधिकार हैं उससे हमको आप वंचित करना चाहते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ आपकी ठंडी नजर होनी चाहिये और उनकी तरफ आंख होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अमेन्डमेंट मैंने दिया है वह मान लें कि इसको कल तक के लिए स्थगित किया जाये। मैं फिर कहता हूं कि यदि ऐसा नहीं किया जाये तो फिर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग वाइस चान्सलर, अलग अलग तरीके। फिर क्या मतलब है लॉ को बनाने का ? मेरे ख्याल से आप लॉ के प्रोफेसर नहीं होंगे। क्या बी.ए.एल एल.बी. हैं ? पता नहीं, शायद लॉ ग्रेजुएट नहीं है। यूनिवर्सिटीज में चेन्जेज लानी हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Law is always codified

श्री मूलचन्द डागा : आप समझ गये सूर्यनारायण जी। आप वकील हैं।

मैं कहता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेजिये। अध्यक्ष महोदय, आप इनको सलाह दीजिए अपने कमरे में बुलाकर कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाये। हमारे सामने इनके कान नहीं खींचें, प्राइवेट में खींचें। हम नहीं चाहते हमारे सामने कुछ कहें इनको। लेकिन प्राइवेटली कहें कि इस तरह से बिल नहीं आते। चतुर्वेदी जी, इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मन्जूर कर लें। उसमें आप भी मेम्बर रहेंगे। आपके मुख्य मन्त्री महोदय ने एलान किया है कि विरोधी दल का सहयोग भी हमको मिले तो इसके लिए आतुर हैं। हमारी आतुरता को आप स्वीकार कर लीजिये और इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। श्रीमान्, आपकी

(श्री मूलचन्द डागा)
गरदन नीची है। आशा है आप मेरी बात को मानेंगे।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही बात निवेदन करूंगा . . .

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार की बात कही है मैं एक ही बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि आपातकाल के समय जिस समय देश में इमर्जेन्सी लागू थी राजस्थान विश्वविद्यालय के फण्ड से इन्दिरा गांधी . . .

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये।

श्री शंकरलाल : आखिर आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल आधा मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह समर्थन में बोल रहे हैं। सुन लीजिये फिर आपको मौका दे देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, केवल आधा मिनट का समय।

श्री अध्यक्ष : तीन, चार सदस्य समर्थन में बोलेंगे, आप पहले इनको सुन लें।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि "जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

छोटा सा बिल है फिर भी इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए मैंने इसलिए प्रस्ताव रखा है कि इस बिल का संबंध हमारे विश्वविद्यालय से है, शिक्षा के क्षेत्र से है। शिक्षा के जरिये हमारी आने वाली पीढ़ी का निर्माण होता है। विश्वविद्यालय देश के भविष्य को बनाने वाले हैं। इन विश्वविद्यालयों में लोग शिक्षा पाते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालयों में ऐसी विद्या दी जाय जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में योग दे, वहां की व्यवस्था ठीक चले और वहां स्ट्राइक कम से कम हों। लोगों को न्याय मिले और छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के प्रशासन के लिए सिन्डीकेट के पास अधिकार होते हैं। उस सिन्डीकेट का रूप कैसा हो, उसमें कौन कौन हों इसके लिए जो बिल लाया गया है मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जल्दी के अन्दर लाया गया है। यह इस बात से साबित होता है कि स्वयं मंत्री महोदय ने दो बार इसमें संशोधन प्रस्ताव रखे हैं। कल एक प्रस्ताव किया और आज सुबह दूसरा संशोधन लाये। इसका तात्पर्य यह है कि जो बिल उन्होंने पेश किया है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके अन्दर संशोधन भी स्वयं लाना चाहते हैं। कई बातें ऐसी हैं कि जिन पर माननीय मंत्री महोदय स्वयं विचार करना चाहते हैं तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस बिल पर प्रवर समिति के अन्दर विचार करना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करना

(श्री शंकरलाल)

चाहूंगा कि मैंने प्रस्ताव रखा है कि एक सप्ताह के लिए हाउस की सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें जिस कमेटी के अन्दर आपकी तरफ के भी लोग हों और इधर के भी हों। मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य श्री डागा जी ने आरोप लगाया है कि वास्तव में ऐसी बू आती है कि कहीं आप सिन्डीकेट का निर्माण ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उसमें कहीं राजनीति तो नहीं डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं उनसे घोषणा चाहूंगा, वह इस बात को स्पष्ट करें कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को लाना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। इस बात की वह सबसे पहले सैद्धांतिक घोषणा करें। मैं समझता हूं कि अगर प्रभारी मंत्री जी और जनता पार्टी के लोग इस बात को मन्जूर करेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विचार है कि हम शिक्षा को राजनीति से दूर करेंगे। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, आदर्श शिक्षा चाहते हैं और वास्तव में हम शिक्षा को अच्छा बनाना चाहते है तो हमको राजनीति से इनको दूर रखना पड़ेगा। चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, यह सिद्धान्त सरकार स्वीकार करे। विश्वविद्यालय में झगड़े होते हैं, मारपीट भी होती है, कई दफा भूतकाल में मर्डर तक हुए हैं, झगड़े हुए हैं और पुलिस तक गयी है। कई प्रकार की बातें हुई हैं। हमने इसको माना है कि प्रेस के अन्दर और पब्लिक के अन्दर असंतोष है वह सारा असंतोष तब दूर होगा जब कि पहले आप इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति को दूर रखेंगे। अगर इस नीति को देखें तो आपको इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने कहा कि वाइस चान्सलर रहेगा सिन्डीकेट में, डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन रहेगा, और

"(iii) Two eminent educationists to be nominated by the Chancellor:"

वह इमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट्स कौन होंगे ? उनकी क्या परिभाषा होगी ? आपने आगे जाकर कहा कि :

"The expression 'eminent educationist' means a person who has had close association with an institution of higher learning for a considerable period of time or who has made distinctive contribution in the field of education and learning or in the sphere of educational administration."

इमिनेन्ट एजूकेशनिस्ट होने चाहिये लेकिन वह ऐसे होने चाहिये कि किसी राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले नहीं हों। इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल में आपने कहा है:

"one Professor from amongst the Professors of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation

आप अपने रीडर्स से जो यह बात करते हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के ऊपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तरजीह देकर विश्व-

(श्री शंकरलाल)

विद्यालय चलाना चाहते हैं जिससे कि इसके अन्दर लोकतांत्रिक बात आवे ।

Earlier, the elected representatives of the people the teachers and students' representatives were also included in the Syndicate.

इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होना चाहिये । उद्देश्य में तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेशन की बात कहते हैं लेकिन जब सिन्डीकेट के निर्माण की बात करते हैं तो यहां शब्द आया है नामीनेटेड । नामीनेटेड की जगह इलेक्टेड लिखिये । यह बिल प्रवर समिति को सौंपिये इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार 'Two Deans of faculties, to be nominated by the Vice Ohancellor.''

यहां भी क्यों नामीनेशन हो ? जब नामीनेशन होगा, नामीनेशन वाइस चांसलर के द्वारा होगा और वाइस चांसलर आपके द्वारा नियुक्त होगा तो वही बात आयेगी कि आप अपने विचारों का आदमी चाहते हैं । डेमोक्रेटिक वेल्यूज के बारे में आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है तो आप इलेक्शन कीजिये

"Two eminent educationists to be nominated..."

"One Professor from amongst the Professors of the University, to be nominated..

"Two Deans of faculties, to be nominated....

यह क्यों नहीं हो इलेक्टेड । यहां आप इलेक्टेड लेवें । स्टूडेंट्स का इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हो, टीचर्स, प्रोफेसर का इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हो जिससे लोकतंत्र बढ़े, जिससे यह नहीं कह सकें कि उसके अन्दर अपनी बात रखना चाहते हैं ।

दूसरी बात महत्वपूर्ण आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि आपने लिखा है ।

"(viii) One member of the State Legislature nominated by the Speaker thereof;"

अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि एम. एल ए. के उसमें नामीनेशन की जरूरत क्या है ? एम. एल. ए. राजनीतिज्ञ होता है, उसको रख कर उसके अन्दर राजनीति को घुसेड़ना चाहते हैं । उस नामीनेटेड एम. एल. ए. के जरिये से सिन्डीकेट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं । मैं यह नहीं कहता कि उसमें आर.एस.एस. की बात है । माननीय सदस्य, डागा जी बोल रहे थे, वे आर.एस.एस. के ऊपर विशेष बोल रहे थे । आर. एस. एस. बुरा है या अच्छा लेकिन एजूकेशनल इन्सटीट्यूशन्स के अन्दर किसी प्रकार की रिलीजियस बात न हो, इसका हमारे संविधान में इन्द्राज किया है । अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री जी से कहूंगा कि संविधान के आर्टिकल्स 28, 29 और 30 इन तीनों का अध्ययन करें । इनके अन्दर लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की रिलीजि
बात शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर
चाहिए । इसलिए
रिप्रेजेन्टेशन की को

(समय-समा

Page No 46

(46)

(श्री शंकर लाल)

मै निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एम.एल.एज. को रखना ही चाहते हैं, मैं तो कहता हूं न रखें, अगर रखना ही चाहते हैं तो जो भी माननीय सदस्य नामीनेटेड होंगे माननीय अध्यक्ष के द्वारा नामीनेटेड होंगे तो एक आपके और एक कांग्रेस के दो एम. एल. एज. को रखिये, एक सरकारी पक्ष के हो तो एक विरोधी पक्ष के हों। मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष होकर नामीनेट करें जिससे आपकी बात पर शंका न की जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपकी बार-बार घंटी आ रही है इसलिए अधिक नहीं कहता हूं।

मैं इतना ही निवेदन करता हूं यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जिसके जरिये जितने भी कालेजेज हैं, जितने आपके प्रोफेसर्स हैं उन सब पर प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं बार-बार संशोधन लायें, इससे कोई बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। प्रवर समिति गम्भीरता से विचार करे और विचार करके ऐसा कोई रूप इस बिल को दे, जिससे यह आदर्श बिल हो जिससे किसी को कोई शंका न हो। वह बिल सदन के सामने आये और फिर उस पर विचार किया जाये। यह बिल वास्तव में राजनीति से प्रेरित है और शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिनके नाम होते हैं उनको बोलने का अधिकार होता है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो केवल एक बात का जवाब चाहता हूं। जब आपात्कालीन स्थिति थी,...

एक माननीय सदस्य : यह कौन सा तरीका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान विश्वविद्यालय से 20 हजार रुपये प्रधान मंत्री को सादर समर्पित भेंट किये गये। यह क्या राजनीति नहीं थी इस यूनिवर्सिटी के अन्दर....

एक माननीय सदस्य : आप जवाब दे रहे हैं....

श्री दाऊ दयाल जोशी : मिश्रा जी, जिनका खुद का मकान है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अतिथि गृह में रहते थे। जो कमरा 30 रुपये रोज के किराये का है, उस का 4।। रुपये रोज का किराया दिया क्योंकि वे कांग्रेस की तरफ से राज्य सभा के नुमाइन्दे थे....

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर! अध्यक्ष महोदय, नियम 272 के अन्दर स्पष्ट लिखा है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जो सदन में न हो, एलीगेशन लगाने के बारे में अध्यक्ष महोदय को लिख कर न दिया हो, उसके खिलाफ 272 में एलीगेशन्स नहीं लगा सकते।

श्री दाऊदयाल जोशी : भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कोई पाप नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

जनता सरकार जोधपुर विश्वविद्यालय के कानून में संशोधन रखने जा रही है इस विधेयक में संशोधन के जो उद्देश्य और कारण बताये हैं उनसे ऐसा महसूस होता है कि कारण और उद्देश्य तो पहले ही बता दिये थे जब राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इस अहिंसक क्रांति के हम दृष्टा व सृष्टा हैं। मैं अपने मन में समझती थी कि हमारे नये जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र का उन्हें अनुभव है, ज्ञान है। काफी अर्से वह इस क्षेत्र से सम्बन्धित रहे हैं, मैं उन्हें उस समय की बात भी याद दिलाना चाहती हूं जब यह महसूस किया कि विश्वविद्यालय ज्ञान के पवित्र मन्दिर हैं, इन विश्वविद्यालयों में इस तरह का राजनैतिक हस्तक्षेप या इस तरह की हलचल या वारदातें होने लगी थीं कि हम यह महसूस करने लग गये थे और इस सरकार ने यह आवश्यकता महसूस की कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाये। जहां तक विधेयक की मंशा का प्रश्न है वह ठीक है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल देखकर मेरा मानस सन्तुष्ट नहीं हो पाया है। जो कुछ नये प्रावधान किये हैं क्या उनसे पिछली गलतियां बिलकुल दुरुस्त हो जायंगी ? कोई भी उप–कुलपति कार्य भार सम्भालेगा वह क्या जो सिन्डीकेट का प्रावधान किया है उसके मुताबिक उन्हीं पद चिन्हों पर चलेगा जिन पद चिन्हों पर पिछले वाइस चान्सलर चल रहे थे ? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को टैगोर की उक्ति याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा है···

"The mistake of a doctor is buried in the grave" एक डाक्टर की गलती श्मशान भूमि में दफन हो जाती है। "The mistake of an engineer is cemented in the bricks" एक इंजिनियर की गलती ईंटों में छिप जाती है। "The mistake of a lawyer lies in the files"

एक वकील की गलती फाइलों में पड़ी रहती है "But the mistake of a teacher is reflected in the nation for a long time"

लेकिन एक टीचर की गलती··

श्री मूलचन्द डागा : ध्यान दीजिये चतुर्वेदी साहब···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राष्ट्र के निर्माण में बहुत लम्बे समय तक प्रतिबिम्बित होती है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना है एक एक खड़े होकर कहें तो मैं समझ सकूंगी और उसका उत्तर भी दे सकूंगी। अगर मेरी गलती है तो आप खड़े होकर कहें लेकिन इस प्रकार जो कह रहे हैं यह नियमों के विपरीत है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : डागा जी भी बोल गये हैं बैठे-बैठे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो कोई बोलता है, नियम के अनुकूल नहीं है। सब के लिए ही इस तरह बोलना नियमों के विपरीत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि नये सिन्डीकेट का आपने क्या स्वरूप दिया है, क्या भिन्नता दी है, क्या नया परिवर्तन किया है? एक तरफ आप यह कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव ज्यादा आने चाहिये, दूसरी तरफ सिन्डीकेट का जनतन्त्रात्मक रूप होना चाहिये। चुने हुये लोगों का स्थान होना चाहिये लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट का निर्माण किया है उसमें कुल 14 सदस्य हैं, फोर्टीन मेम्बर्स में पांच वाइस चान्सलर के नामीनेटेड होंगे। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वाइस चान्सलर के जो नोमीनी हैं, इसमें इफ्स एन्ड बट्स लगाकर सीनियोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा चाहे कोई भी हों, इस बार दो सदस्य जायें, और अगली बार कोई दो जायें, डिस्क्रीशन उनको अपना यूज करने का अधिकार है। तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि 14 सदस्यों में यदि 5 सदस्य का, वन थर्ड, कोरम माना है, वह वाइस चान्सलर के नोमीनेटेड मान लेते है तो कहां इसका स्वरूप भिन्न होता है? इसका स्वरूप तो पहले जैसा था वैसा ही है। इसलिये इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका सम्बन्ध हमारी आगे आने वाली पीढ़ी से होगा, जिसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान की युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण से होगा। शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न हमारी लोकतन्त्र की सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी आप इतनी ताबड़-तोड़ में पास करने वाला विधेयक नहीं लायें। बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार करें कि अच्छे से अच्छा सिन्डीकेट का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें सबका रिप्रेजेन्टेशन हो, सब विचार-धारा वाले लोग हों, और जैसा जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि एक अध्यक्ष महोदय का नोमीनी होता है, तो अध्यक्ष महोदय का एक नोमीनी होगा तो वह कौन होगा, वह विपक्ष से होगा या सत्तारूढ़ दल का होगा।

राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट में, जैसा प्रोविजन है, अध्यक्ष महोदय के दो प्रतिनिधि होंगे। अच्छा हो सारी ही यूनिवर्सिटी में यदि हम एक के बजाय अध्यक्ष महोदय के दो नोमीनी कर सकें। मैं समझती हूं यह ज्यादा उपयुक्त होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करती हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिल हम यहां पास करने जा रहे हैं जिसका सम्बन्ध बहुत अहम मसलों के साथ जुड़ा हुआ है। इसको इतनी जल्दी में और एक दिन में पास कराने की क्या आवश्यकता हो गई? मैं निवेदन करूंगी इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मेरा सलेक्ट कमेटी के लिए भी प्रस्ताव है। आप चाहें तो इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय लेकिन इतनी जल्दी में और शीघ्रता से पास करने वाला बिल नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि : 'जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।''

मैंने यह जो प्रस्ताव रखा है इसलिए रखा है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह बड़े महत्व का विधेयक है और इससे यूनिवर्सिटी की एजूकेशन के स्तर पर भी असर पड़ेगा। आज जिस प्रकार का यूनिवर्सिटीज का वर्किंग चल रहा है, माननीय मंत्री महोदय ने भी इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स है एण्ड रीजन्स में बताया कि बराबर कम्पलेन्ट्स आती हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाय। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जब यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है तो सब बातें एग्जामिन की जा सकती हैं। जैसा स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है डेमोक्रेटिक करेक्टर सिण्डीकेट का बनाने के लिए इसमें संशोधन किया है। इसमें 14 सदस्य हैं जिनमें से 9 सदस्य नोमिनेटेड हैं और पांच सदस्य इलेक्टेड हैं। अगर वास्तव में इसको डेमोक्रेटिक बनाना है तो ये जो प्रोफेसर्स और डीन आफ फेकल्टीज हैं क्यों नहीं इनका भी इलेक्शन हो? एक टीचर्स की कान्स्टीट्यूएन्सी बन सकती है और इनका भी इलेक्शन हो सकता है। नहीं तो यह होता है कि सीनियर प्रोफेसर्स हैं वे ही योग्य हों, यह कोई जरूरी नहीं है। ये सीनियोरिटी के कारण आ जाते है और जो यंग पर्सन्स हैं और जो योग्य होते हैं, उनको चान्स नहीं मिलता है। क्या डेमोक्रेटिक वे है? अगर टीचर्स की कान्स्टीट्यूएन्सी बना दी जाती हैं और एक प्रकार से डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होता है तो अगर जूनियर पापुलर है तो वह क्यों नहीं आयेगा? सिर्फ सीनियर मोस्ट ही सिन्डीकेट में आये, यह कहां तक उचित है? इसलिए प्रवर समिति में इसको एग्जामिन किया जा सकता है। जितना भी यूनिवर्सिटीज में पावर का मिस यूज होता है, फन्ड्स का मिस यूज होता है, यूनिवर्सिटी के फन्ड्स के अलावा जो फन्ड्स हैं, जो राजस्थान सरकार प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी को उनका मिस यूज नहीं हो इसलिए जो फाइनेन्स कमिश्नर है, उनको इसके अन्दर सदस्य बनाया जाय तो इसके लिये भी सोचा जा सकता है। प्रवर समिति के अन्दर रख कर बहुत सी बातों के बारे में डेमोक्रेटिक वे से इसमें अमेंडमेंट किये जाने के बारे में, फाइनेन्स कमिश्नर को सदस्य बनाने के बारे में थिंक किया जावे।

स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन है उस रिप्रेजेण्टेशन को अभी और भी बढ़ा सकते हैं या नहीं? वैसे स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन बढ़ाना चाहिये क्योंकि स्टूडेन्ट्स की कम्पलेन्ट है कि जो प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में हमें मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में केवल एक विद्यार्थी को लेते हैं। इसको और भी बढ़ाना है या नहीं, यह प्रश्न सामने आता है।

इस सब के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन है इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद वाइस चांसलर का होता है। वाइस चांसलर केवल योग्य ही न हो वह विद्वान ही न हो, उच्च कोटि का विद्वान ही न हो साथ ही साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो तो यूनिव-

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

सिटी का मामला बरबाद हो जाता है। देखा यह गया है कि जो वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया और भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने क्या किया ? वे अक्सर यह कोशिश करते हैं कि वे अपने प्रान्तों के व्यक्तियों की लेक्चरार पद पर नियुक्ति करें । वे प्रोफेसर्स के पद पर अपने रिलेशन्स की नियुक्ति करते हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है जोधपुर यूनिवर्सिटी में कि नाइन्टी पर्सेन्ट प्रोफेसर और लेक्चरार दूसरे प्रान्तों के हैं। तो वे बराबर भाई-भतीजावाद और प्रान्तीय दृष्टिकोण रख कर यूनिवर्सिटी का नक्शा ही चेंज कर देते हैं। इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। वाइस चांसलर का जो सलेक्शन करते हैं वह तो एक कमेटी करती है परन्तु अभी जो सलेक्शन हुआ है, जिसके बारे में प्रकाश डाला है पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कि हिन्दू कालेज देहली, जो प्राइवेट कालेज है, के प्रिंसिपल थे। अब उनकी क्या योग्यता है, उनका स्टेन्डर्ड क्या है, यह भी देखना चाहिये। कहां तो वाइस चांसलर डाक्टर राधाकृष्णन के केडर के होते थे, मुदालियर के केडर के बनते थे और कहां एक हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल को जोधपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। यूनिवर्सिटी का इस प्रकार का हाल रहेगा तो यह यूनिवर्सिटीज किस प्रकार से चलेंगी, किस प्रकार से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ? अगर वह आर.एस.एस. के विचारों के हैं तो राजनीति का प्रवेश इसमें हो जाता है। वाइस चांसलर के रैंक का आदमी इस प्रकार से आर.एस.एस. की एक्टीविटीज में भाग लेता है तो हम ही नहीं कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का होगा, वह एक बिल्कुल ही संकीर्ण दृष्टिकोण का होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण का व्यक्ति वाइस चांसलर नहीं हो, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का और इम्पार्शल दृष्टिकोण का व्यक्ति वाइस चांसलर हो जो योग्य हो और जिसकी विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा हो। अभी आपकी गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट आई है, ठीक है इसमें संघ का ज्यादा प्रभाव है, आर.एस.एस. के मेम्बरों का ज्यादा प्रभाव है लेकिन इन इंस्टीट्यूशन्स में इसका ज्यादा प्रभाव पैदा करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। देश को बड़ा भारी नुकसान होगा। इन सब बातों को हम प्रवर समिति में बैठ कर एग्जामिन कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में रखा जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी यह संशोधन प्रस्ताव रखा है, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस बिल को रखने का उद्देश्य स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है, जो विवरण इसमें दिया है उसको हमने पढ़ा है। इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जोधपुर विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है वह बहुत बिगड़ा हुआ है और इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हैं। बार बार लड़के पर्चे फाड़ रहे हैं। पर्चे अगर उनके मन माफिक नहीं आते हैं तो अध्यापकों को मजबूर करते हैं कि दुबारा पर्चा दो। इस हद तक हालत बिगड़ी हुई है कि पिछले एग्जामिनेशन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : पोइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सदन में माननीय सदस्य क्या अखबार पढ़ सकते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जो सब्जेक्ट से रेलेवेन्ट है उसको पढ़ सकते हैं। यह कानून में लिखा हुआ है। मैं आपसे बात करता हूं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : यह रेलेवेन्ट है या नहीं, यह पता कैसे चलेगा?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो पढ़ने से ही पता लगेगा। राजस्थान पत्रिका में जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है, उसको ढूंढ रहे हैं, अगर आप बता दें तो नहीं ढूंढेंगे। यह उसी को ढूंढ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अखबार को पढ़ना नहीं चाहिये, देख सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी ने दुबारा पर्चा छांटा। हिन्दी का पर्चा फाड़ा और उसके विरोध में लड़कों ने फिर पर्चा फाड़ दिया। बहुत सी लड़कियों को लिखी हुई कापियों को फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद सोशियोलोजी की एक लड़की की कापी फाडी गई इस कारण सारी सारी लड़कियों का इम्तिहान दुबारा लिया गया। दुबारा इम्तिहान लेने के लिए भी नोटिफिकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर चिपका दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, इम्तिहान देकर चली गई और वापस आ करके नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो उसका एक साल के लिए भविष्य खराब हो गया। इस तरह की व्यवस्था यूनिवर्सिटीज में चल रही है। वह इसलिए चल रही है कि सरकार बदल गई है। न मालूम सरकार बदलने से क्या हो गया है कि कोई देखता नहीं है। कोई एक्शन लेने की प्रवृत्ति नहीं है. हर जगह जो चाहे सो कर रहा है, जो चाहे सो ऊधम मचा रहा है. जिसको चाहे उसको पीट रहा है। लड़के पर्चा फाड़ देते हैं, प्रोफेसरों को मजबूर करते हैं कि पर्चा आउट कराया जाय। किताबें पास में रखकर नकल करते हैं और कोई पकड़ ले तो उसको पीट देते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो अव्यवस्था है उसको सुधारने का जो उद्देश्य रखा है वह तो बहुत ही सुन्दर है, इसकी मैं सराहना करता हूं। परन्तु, माननीय अध्यक्ष जी, यह जो जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक्ट है इसके अन्दर जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं उसके क्लॉजेज को अगर देखें तो उसे देखकर बड़ी हैरानी होगी। उद्देश्य स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिये हुए हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी? आप अपने अन्तःकरण से पूछिये, किस तरह से सारे प्रशासन में सुधार होगा? आप यह कहते हैं कि इमर्जेन्सी के समय में जो संशोधन, आर्डिनेंस लाए गए, जो एक्ट बन गया उसने यूनिवर्सिटी के प्रशासन को खत्म कर दिया, उसकी आटोनोमी पर कुठाराघात किया इसलिए वापस इलेक्शन करा कर अच्छी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सिण्डीकेट बनाना चाहते हैं। यह आपकी मंशा है जो इसमें जाहिर की गई है। परन्तु, अध्यक्ष जी, इसके अन्दर गवर्नमेंट का सिर्फ एक नोमीनी रख कर बाकी के लिए वाइस चांसलर को अधिकार दे दिया है। वाइस चांसलर जिसको चाहेगा नोमीनेट करेगा। अब वाइस चांसलर के ऊपर गवर्नमेंट प्रेसर डालेगी या नहीं डालेगी, यह बात अभी कहना बड़ा एम्बीगुअस होगा। जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वे इन्डिपेंडेंट नोमीनेशन करायेंगे या प्रेसर डालेंगे, इस स्टेज पर मौटिव इम्प्यूट करना तो उचित नहीं होगा परन्तु वाइस चांसलर की जो नियुक्ति हुई है, उसके सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्य ने जनमत जानने का प्रस्ताव प्रेषित किया है, उन्होंने भी अपनी शंका जाहिर की है। मैं भी उस शंका का समर्थन करता हूं और शंका जाहिर करता हूं कि दिल्ली के हिन्दू कालेज के प्रिंसिपल को आप अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर इतने ऊंचे सुशोभित कर रहे हैं तो उससे शंका होगी। इतने ऊंचे पद पर यहां पहले भी यह कहा गया है कि अगर आर. एस. एस. से सम्बन्धित व्यक्ति को आप बिठायें तो हमको एतराज नहीं लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो बहुत बिगडा हुआ वे वह व्यक्ति कितना उसको सुधार सकेंगे? उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन क्या है? क्या उनकी प्रमुख पृष्ठ भूमि है? क्या वे कण्ट्रोल कर पायेंगे लड़कों को? मुझे इसमें शंका है। अगर आपकी मंशा की पूर्ति होती है और आपने जो उद्देश्य उद्धृत किये हैं उनकी पूर्ति हो जाती है तो उसके लिये हम साल भर बाद आपको धन्यवाद देने की स्थिति में होंगे। परन्तु जिस तरह से नियुक्ति वाइस चांसलर की की गई है, उससे साफ है कि सिर्फ वाहवाही कराने के लिये कि जनता सरकार आई है, यह यूनिवर्सिटी में आटोनोमी देना चाहती है, सरकार के पास किसी नोमीनेशन को नहीं रखना चाहती है। एक और नोमीनेशन का प्रावधान आपने विधान सभा सदस्य का रखा है। तो माननीय अध्यक्ष जी के सामने भी बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होगी कि किस पक्ष के सदस्य को रखा जाय? जनता पार्टी का सदस्य हो तो वह जनसंघ घटक का हो, समाजवादी घटक का हो, बी.एल.डी. घटक का हो, पुरानी कांग्रेस का हो, किस घटक का रखा जाय या हमारे अन्दर में से भी कोई सदस्य रखा जावे? किन को आप रखेंगे? क्या दृष्टिकोण रखेंगे, यह आपने नहीं रखा है। क्या प्रतिभावान होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी? यह नहीं बताया है। वाइस चांसलर के द्वारा ज्यादा नोमीनेशन करने का प्रावधान आपने रखा है, बताया है। परन्तु हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने यह समस्या आयेगी। इसलिए कम से कम दो सदस्य इसमें रखे जाने चाहिये ताकि विरोधी दल के सदस्य को भी नामीनेट किया जाये। यह अध्यक्ष महोदय के सामने आपने दुविधा रखी है। मेरा निवेदन है कि कम से कम दो सदस्यों का प्रावधान आपको रखना चाहिये। यह खुशी का विषय है कि आपको सरकार में आने का सौभाग्य मिला है। एक तरफ जनता पार्टी के सदस्य हैं दूसरी तरफ कांग्रेस पक्ष के सदस्य हैं। हम भी 30 वर्ष उधर बैठे थे। तीस वर्ष के अनुभव के बाद आपकी सरकार बनी है तो कम से कम यूनिवर्सिटी का संचालन ठीक ढंग से हो, तो यह जो आप प्रावधान ला रहे हैं,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय चतुर्वेदी जी, आप भी शिक्षाविद् रहे हैं, प्रोफेसर का काम कर चुके हैं, तो यह क्या उच्च स्तर की शिक्षा दे रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, हमारे यहां पर एक सदस्य थे, वे लेक्चरार थे । शिक्षकों पर अत्याचार हो रहे थे, सुधार नहीं हो रहा था, इस मकसद से उन्होंने विधान सभा का चुनाव लड़ा । वे चुनाव जीत कर आये । सदन में मैंने उनसे कहा, माननीय सदस्य, आपकी धोत आपके मन में ही रह जाएगी । और वही हुआ । इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप बड़े बहुमत से जीत कर आये हैं, यह पोर्टफोलियो आपको मिला हुआ है, आप शिक्षा क्षेत्र में काम किये हुए हैं इसलिये आप निष्पक्ष होकर शिक्षा क्षेत्र में सुधार करें ताकि यूनिवर्सिटीज निष्पक्ष रहें ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यूनिवर्सिटीज में डिसीप्लीन हो और उनमें दलगत राजनीति न हो । यह आपको देखना है । मंत्री महोदय आपके भाषण हमने पढ़े हैं । इसी प्रकार से लोगों को आपने कहा है कि यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर लगाये जायें वे अच्छे हों । परन्तु आपने हिन्दू प्रवृत्ति के आर. एस. एस. ट्रेन्ड व्यक्ति को लगाया है । कल यह विचार उठ सकता है कि हमारी विचारधारा के हों तो इससे झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे माननीय राधाकृष्णन्, शिक्षा क्षेत्र में वाइस चांसलर हुए हैं, जिनको हिंदुस्तान भर में ही नहीं, दुनिया भर में मानते हैं, ऐसे वाइस चांसलर आप यूनिवर्सिटी में लगावें ताकि वह निष्पक्ष होकर नामीनेशन कर सकें वरना आपकी विचारधारा, गवर्नमेन्ट की मंशा की पूर्ति कैसे हो सकेगी । आप हमारे पर, कांग्रेस सरकार पर जो चार्ज लगाते थे, वे ही आप पर लगेंगे । आप कम से कम हमारी गलतियों को न दुहरावें । इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को आगाह करूंगा ।

यह जो अमेन्डमेन्ट है, यह जो अंकुश लगाया है, उसको डिलीट करने का प्रावधान आपने रखा है । दूसरा यह आपने सिन्डीकेट के फार्मेशन का प्रावधान रखा है, तो इसको पढ़ने से, अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो यह मानस प्रशासन को सुधारने का, यूनिवर्सिटी को आटोनोमी देने का है, यह आपके मन में ही रह जायेगा । साल भर बाद आप यह महसूस करेंगे कि यह जो प्रावधान आपने किया उसके पूरे नतीजे नहीं आये हैं । एडमिनिस्ट्रेशन को आप सुधारना चाहते हैं तो आप इस पर गंभीरता से विचार करिये । इसलिए मैंने सलेक्ट कमेटी में इसको भेजने का प्रस्ताव रखा है । दूसरा सत्र भी जल्दी आने वाला है । यूनिवर्सिटी में इमर्जेन्सी के पीरियड में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, अच्छी तरह से चल रही हैं हालांकि कुछ बुराइयां हैं । इमर्जेन्सी में आपको जेल में जाना पड़ा । आप कम से कम इस स्थिति से बचिये और ऐसी स्थिति तो पैदा न कीजिये कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो और वाइस चांसलर उस स्थिति को कन्ट्रोल न कर पावें । स्टूडेन्ट्स यूनियन के प्रेसीडेन्ट को आप लें । लड़कों के इलेक्शन का आपने रखा है इससे लड़कों में झगड़ा होगा । इसलिए कम से कम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यूनियन प्रेसीडेंट को नामीनेट करके लें। यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते हैं, यूनियन के प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरी इन रिप्रेजेन्टेटिव को आप लें और लड़कों पर अनुशासन पूरा रखें ताकि आपका बचाव कर सकें, शिक्षकों की सुरक्षा कर सकें। आप गंभीरता से विचार करें। मेरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का विचार है, इसको आप गंभीरता से लें। हम जो बात कह रहे हैं, यह न समझें कि हम समय जाया करने के लिए कह रहे हैं। आप मानते हैं तो विचार करें, गंभीरता से विचार करें और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करें और फिर विचार करें ताकि और संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े। आपने जल्दी में यह दूसरे संशोधनों का पुलिंदा पेश कर दिया है। आज शाम तक भी आपको विचार करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आकर कह दे तो आपको फिर संशोधन पेश करना पड़ेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, 500 शिक्षकों में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के वेतनमान न मिलने से असन्तोष है:...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो महाविद्यालयों से संबंधित है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने भी कहा है, यू.जी. सी. वेतनमानों से उल्टा असर पड़ा है। उनको भी आप न्याय दें। फिर भी आपके हाथ से ऐसा विधेयक आना चाहिये जिसके अन्दर कोई कमी न हो और बजट सत्र में आपको दुबारा संशोधन लाने की आवश्यकता न हो। इसलिए यह जो प्रस्ताव है इस पर गंभीरता से विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा जो प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द करने का है, वह प्रस्तुत करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है,

"जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

मेरा खास यह निवेदन है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि रही है, वह अलग से रही है। कल मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि जोधपर यूनिवर्सिटी की शुरुआत बड़ी बोदी रही है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में जैसा आप जानते हैं यू. पी. के बहुत प्रोफेसर आये। सब से पहले वहां के वाइस चांसलर मि. झा ने जितने भी अपाइन्टमेन्ट किये, वे आम तौर से यू पी. के व्यक्तियों के किये। गत सत्र में भी यहां पर इस बारे में एक प्रस्ताव रखा गया था। जिस वक्त, माननीय अध्यक्ष, आप विपक्ष के नेता थे उस वक्त बड़े भाषण हुए थे और यह कहा गया था कि इस जोधपुर यूनिवर्सिटी को यू. पी. यूनिवर्सिटी कहा जाय। यह सत्य है, आज भी वहां पर यू. पी. के प्रोफेसर्स का बाहुल्य है। इसलिये जितने भी आपने इसमें खंड रखे हैं, उनके अन्तर्गत जितने भी लोगों का चयन होगा, वह आम तौर से यू. पी. के प्रोफेसर्स का होगा। आपकी जो सिन्डीकेट होगी वह जोधपुर यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। वहां पर दो ग्रुप चल रहे हैं, एक राजस्थानी और दूसरा नॉन राजस्थानी। तो राजस्थानी उसमें नहीं आयेगा। जितने भी नीचे के लेक्चरार वगैरह हैं उनके अन्दर इस कारण बेहद डिससेटिस्फेक्शन है। यू. पी. के लोगों ने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वहां पर एक संगठित गुट बना लिया है। और तो और चपरासी तक की जो नियुक्ति होती है वह यू.पी. के लोगों की होती है। वहां का प्रत्येक प्रोफेसर यू. पी. से अपने साथ चपरासी लाता रहा है। इसलिए आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट बनाते वक्त खास तौर से इन बातों का ध्यान रखा जावे। इसके अन्दर इस प्रकार की गलतियां न हों जो वर्षों से हो रही हैं। जिस तरह से राजस्थान के लोगों को पीछे रखा गया है, जितनी भी पोस्ट्स पर अपाइन्टमेन्ट हुए वे आम तौर से यू. पी. के लोगों के हुए, यह परम्परा सिन्डीकेट को बनाने में रखी गई तो निश्चित मानिये, वहां पर असन्तोष फैलेगा और आपके सामने निश्चित तौर से समस्या आयेगी।

मैं यह सोचता हूं कि आपने जिस प्रकार की यह सिण्डकेट बनाई है उस कारण आपको 12 महीने के अन्दर ही नया संशोधन लाना पड़ेगा और अमेण्डमेण्ड करना पड़ेगा। जैसी यह सिन्डीकेट है इसमें राजस्थान का एक भी व्यक्ति नामीनेटेड नहीं आ सकेगा। पहले आपने रखा है, वाइस चान्सलर, जिनको आप दिल्ली से लेकर आये हैं। वह कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, यह तो पता नहीं है लेकिन वह दिल्ली के रहने वाले हैं। आप आर. एस. एस. की शाखाएं लगवाना चाहते हैं तो लगवायें लेकिन इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा आपने रखा है :

"Two eminent educationists to be nominated by the Chancellor."

चान्सलर जो भी नामीनेट करते हैं, वह गवर्नमेन्ट की राय से करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय चतुर्वेदीजी जी राय देंगे। तीसरा है :

"One Professor from amongst the Professors of the University"

उसमें भी आपने सीनियोरिटी का प्रावधान रखा है। इस सीनियोरिटी में कभी भी कोई राजस्थानी प्रोफेसर नहीं आ सकेगा। आज आप देखें, दो तीन प्रोफेसर हैं राजस्थान के वरना सारे के सारे यूपियन हैं। उन्हीं को आप सीनियोरिटी के हिसाब से मौका देते हैं। वह पूरा ग्रुप यूनिवर्सिटी में मनमानी करता है, यदि आप पुरानी प्रोसीडिंग देखें तो यह आप को पता चलेगा। अगर इस विषय पर नहीं सोचा गया तो फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी। आपने सब क्लाज 5 में रखा है :

"Two Deans of faculties to be nominated by V.C. in rotation in accordance with their inter se seniority"

इस प्रकार से आपको निवेदन करूंगा कि आगे आपने वन प्रिंसिपल लिखा है। उसमें आप डायरेक्टर भी कर दें क्योंकि जो भी डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। इसको भी आप सुधार लें। इसमें टीचर्स का प्रावधान आ गया है इसलिए मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। आपने एक मेम्बर असेम्बली का रखा है जब कि अभी तक हमेशा दो रखे गये हैं ताकि अगर एक नहीं पहुँचे तो दूसरा पहुंच जाये और जनता क्या चाहती है, इसका रिप्रेजेन्टेशन हो सके। इसलिए हमेशा दो मेम्बर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

असेम्बली के रखे गये हैं। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स में से भी आपने प्रावधान रखा है, इसमें सलेक्शन का रखवायें। आपने एक लड़का रखा है। मैं यह मानता हूं कि लड़का रखा जाये लेकिन जिसके मार्क्स अच्छे आयें उसको रखा जाये। अगर आप यूनियन के प्रेसीडेण्ट को नहीं रखेंगे तो आपकी सिण्डीकेट की मीटिंग कभी नहीं चल सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यूनियन के प्रेसीडेन्ट को अवश्य ले लीजिए। अगर एक्स आफि-सियो नहीं लेंगे तो मीटिंग में बाधा डालेंगे। लड़कों की कोई प्राब्लम होगी तो प्रेसीडेन्ट सिण्डीकेट में रख देगा। यदि आप मौका नहीं देंगे तो हड़ताल पर हड़ताल होगी। आपका भी घेराव होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ऐसी सिण्डीकेट बनाइये कि जिससे सबको मौका मिल जाये। इस बात से मैं सहमति प्रकट करता हूं कि यूनिवर्सिटी की हालत जो बिगड़ी हुई रही है उसको सुधारने के लिए सभी को रिप्रेजेन्टेशन मिल जाये। यह सुझाव मैंने दिये हैं कि यू. पी. का ग्रुप नहीं आ जाये, छात्रों का रिप्रेजेण्टेशन हो जाये और चुने हुए लोगों का रिप्रेजेण्टेशन हो जाए। इसके अलावा एक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस और जोड़ दिया जाये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी में खर्चा होता है, उस पर कोई पाबन्दी नहीं हो सकेगी और यूनिवर्सिटी की मांग कभी पूरी नहीं हो सकेगी। आज भी जोधपुर यूनिवर्सिटी में 390 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं। इतने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेक्रेटरियट में भी नहीं लगे हैं। आटोनामी के नाम पर फाइनेंस का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए फाइनेंस का एक आदमी होना चाहिए।

इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने कहा है कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये ताकि अच्छी तरह से विचार कर सकें। इस प्रकार से विचार करने से आपको सहूलियत होगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको फिर से संशोधन लाना पड़ेगा। यही मेरे सुझाव हैं, जो मैं रखना चाहता था।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव कि :

"जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।"

एक भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के भाषण के बाद इस प्रस्ताव को कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये, मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यह बिल सदन के समक्ष विचाराधीन है। सिण्डीकेट के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कोई लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था मैं फिर इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग जो सदन में बैठने वाले हैं चाहे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं यह चाहते हैं कि सही मायने में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी वाकई ढंग से चले। मेरे इस पर कुछ

(श्री मथुरादास माथुर)

सुझाव है। मैं बहुत दिनों से इन्तजार में था जैसा कि मैंने निवेदन किया, एक समय यह विचार था कि मुख्तलिफ सूबों के साथ हम एक कमेटी बनायेंगे। वह कमेटी बनाई जाती तो उसके अन्दर बैठकर हम आपस में सलाह मशविरा करते। वह नहीं हुआ इसलिए मैं यह समय ले रहा हूं। राजस्थान में तीन यूनिवर्सिटी हैं। ये यूनिवर्सिटी कैसी हैं?

University belongs to people, University belongs to teachers, University belongs to Students and the University belongs to Government

ये चार लोग हैं। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, स्टूडेन्ट्स के माँ-बाप और सरकार। यह चार हैं। जिस मकसद से ये यूनिवर्सिटी चलाई गई है, उस मकसद को हम तभी पूरा कर सकेंगे जब चारों का सहयोग हो। मुझे खेद है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, यूनिवर्सिटी जिस मकसद से कायम की गई थी, उस मकसद को यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर सकी। खास तौर से जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा निवेदन है, इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में मेरा भी हाथ था। मेरा उसके बारे में एक नजरिया था। मगर जिस नजरिये से, जिस भावना से, काम किया गया उससे मकसद पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी को आटोनामी एडकेमिक फील्ड में मिलनी चाहिए। मैं इसका हामी हूं एकेडेमिक कौंसिल जो बने वह पूरी एकेडेमिशियन्स की बने, इसमें किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, इस बात का भी मैं हामी हूं। यूनिवर्सिटी की आटोनामी का मतलब यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर, या कोई भी आथोरिटी जैसा और जिस तरह से चाहे पैसा खर्च करे। अगर ऐसा होगा तो आपको और हमको दोनों को ज्यादा परेशानी होगी। आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे जनता पर और जो यूनिवर्सिटी का असली मकसद है वह पूरा नहीं हो सकेगा। जब मकसद पूरा नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी का काम कैसे चल सकेगा? इसलिए यूनिवर्सिटीज के अन्दर फाइनेन्सियल कन्ट्रोल पूरा रखना चाहिए। सरकार की तरफ से फाइनेन्स कमिश्नर या और कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव सिन्डीकेट में अवश्य बैठने चाहिए। जो पैसा यूनिवर्सिटी को दिया जाता है उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है या नहीं यूनिवर्सिटी के हित में, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए।

तीसरी बात, यूनिवर्सिटीज की प्रोब्लम क्या है? इस बारे में कई बार सदन में और बाहर भी चर्चा हो चुकी है। अपोइन्टमेन्ट्स को लेकर यूनिवर्सिटीज में जितना नेपोटिज्म और फेवरिटिज्म होता है, उसका आपने भी जिक्र किया है। जो भी वाइस चान्सलर आ जाते हैं, कुछ प्रोफेसर उनसे मिल जाते हैं और कई एडहॉक अपाइन्टमेन्ट कर लिये जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो सौ से अधिक लेक्चरार एडहॉक बेसिस पर चल रहे हैं। उनको अभी तक रेगुलेराइज नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में यह प्रश्न हमारे सामने हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, श्रीमन्, आपके जरिये शिक्षा मंत्री जी को, जब इतनी यूनिवर्सिटीज बन गई तो उनके लिए एक सर्विस कमीशन होना चाहिए। इस सुझाव को जब तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन नहीं मानेगा और इण्डिपेन्डेन्ट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। अब

(श्री मथुरादास माथुर)
तक एक आदमी बाहर से बुलाया जाता है। वह कह देता है कि यह होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक सर्विस कमीशन यूनिवर्सिटीज के लिए मुकर्रर होना चाहिए, इन्डिपेन्डेन्ट सर्विस कमीशन, इससे आज जो भी प्रोफेसर और लेक्चरर्स और दूसरे एम्प्लाइज हैं जिनकी तादाद बहुत बढ़ गई है वह भी चैक हो सकेगी।

चौथी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज में पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़ सकते। जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार ने चुनाव लड़ा, एक स्टूडेन्ट उनके सामने खड़ा हो गया, लेक्चरार साहब पिट गये जो स्टूडेन्ट्स के सामने लेक्चर दिया करते थे। मुझे याद है, पहले ज्यादा केसेज इस तरह के नहीं आये लेकिन अभी बिहार के अन्दर कई प्रोफेसर चुनाव में खड़े हुए। अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को चुनाव लड़ने की इजाजत देते हैं, तो हमको भी प्रोफेसर अपाइन्ट कर दीजिये। उनसे अच्छा लेक्चर दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : आप तैयार हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में पालिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं तो यूनिवर्सिटी मे यूनियन के इलेक्शन के भी खिलाफ हूं, चाहे आप मुझे कन्जरवेटिव कहें। मैंने पिछली यूनिवर्सिटी का तजुर्बा देखा है। इधर कांग्रेस पार्टी, उधर जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो कहीं कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही है, और कहीं पर किसी दूसरे को...

श्री अब्दुल अजीज : मर्द लड़ते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम लोग भी रिप्रेजेन्टेटिव हैं। मेरे ख्याल से एक दो जरूर ऐसे हैं जो सीधे, अभी है, कमसिन हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादातर आर.एस.एस. के लोग शादी नहीं करते हैं। एक वो उधर बैठे हैं।

श्री केदार शर्मा (गृह मंत्री) : याद आ गई आपको।

श्री माधोसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वोट लेने वाले बहुत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाई के सवाल को समझ नहीं सका।

श्री माधोसिंह कछवाहा : वोट लेने वाले बहुत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अच्छा, वोट लेने वाले बहुत हैं। मैं बोल लेने वाले समझा था।

इसलिए यूनिवर्सिटीज के बेसिक स्ट्रक्चर में चेन्ज करना चाहिए। इमर्जेन्सी में थोड़ा चेन्ज आया था, पढ़ाई भी होने लगी थी और स्टूडेन्ट की यूनियन के इलेक्शन भी नहीं हो सके थे। इसलिए मेरा कहना है कि यूनिवर्सिटीज में पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए तभी यूनिवर्सिटीज कुछ

Page No 59

(59)

(श्री मथुरादास माथुर)

चल सकेंगी वरना जनता का पैसा है, टैक्स के जरिये वसूल कीजिये और इस पर खर्च करिये। आज हालत यह है कि यूनिवर्सिटीज साल में 6 महीने चलती हैं, तीन महीने स्ट्राइक होती हैं, लड़के पढ़ते नहीं हैं, नकल करते हैं, हड़तालें करते हैं, पुलिस आती है, छुरेबाजी होती है। यह सब आज यूनिवर्सिटीज में होता है। इसलिए, श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अमेन्डिंग बिल आप लाये हैं, यह बहुत जल्दी में लाये हैं। बहुत सी बातें जल्दबाजी में नहीं होती हैं।

दूसरी बात आपने यह कही कि आप इस बिल में एग्जीक्यूटिव को रिआर्गेनाइज कर रहे हैं। सिण्डीकेट को रिआर्गेनाइज करने का तो प्रस्ताव रखा है लेकिन आपने सीनेट के बारे में कुछ नहीं सोचा है। क्या आप उसको उसी तरह से रखना चाहते हैं? आपने जेनरल बाडी को देखा नहीं। एग्जीक्यूटिव से कुछ निर्णय होते हैं और उसमें कुछ किये गये हैं। आप किस प्रकार का निर्णय चाहते हैं, इसका तो फैसला कीजिये? यूनिवर्सिटीज में दो बॉडीज होती हैं, सिण्डीकेट और सीनेट। ऐसी सूरत में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने सीनेट के बारे में कुछ सोचा नहीं है। आपकी घोषणा थी कि कुछ एक्ट्स बन गये हैं, 1975 में चेन्ज कर दिये हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा और स्टेटमेंट में भी कहा। हर जगह आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन कहने से ही डेमोक्रेसी नहीं होती; कुछ संस्थायें चलानी पड़ती हैं, उनको सब्जेक्टिवली देखना पड़ता है और आदमियों की काबलियत भी देखनी पड़ती है। आपने पैराग्राफ 3 में यह कहा है :

"It is felt nec ssary that the composition of the Syndicate should b changed forthwith to provide for the representation of the elec ed representatives of the people."

इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव तो पहले ही हैं

"teachers and students and there by restore its democratic character in keeping with the declared policy of the Government.

अब जरा गौर कीजिये, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कोई सुनेगा तो विरोध नहीं कर सकता। लेकिन आप सिन्डीकेट में कौनसी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं? आपका मतलब क्या है? एक्जीक्यूटिव बाडी चाहे सरकार की हो, उनसे कह दीजिये कि मिनिस्टर का चुनाव होता है तो बनायें। एग्जीक्यूटिव बाडी बिना नार्म्स के कैसे हो सकती है? एग्जीक्यूटिव बाडी के लिए कुछ नार्म्स होते हैं।

आपने जोधपुर विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट में एक ही विधायक रखा। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं लेकिन खोदा पहाड़, निकली चुहिया। 14 आदमियों में एक विधायक बैठा-बैठा क्या करेगा? हम इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्स हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, यूनिवर्सिटी जनता की है : University cannot remain in Glass Houses. इसका सेंट पर्सेन्ट पैसा जनता देती है। ओन फंड से एक पैसा नहीं है। कोई प्रदेश की यूनिवर्सिटी बता दें जो ओन फण्ड से पैसा देती हो? वाइस चान्सलर बाजार में जाय तो कोई सलाम नहीं करता। जोधपुर यूनिवर्सिटी को 5 पैसे भी कोई उधार नहीं देता क्योंकि उसने पहुले के

(श्री मथुरादास माथुर)
बिल्स नहीं चुकाये, कर्ज हो गए। बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बनाये जा रहे हैं। इतना बड़ा अहाता खींच दिया है। जमीन तो घेर ली, मगर एक रास्ता बनाया है पत्थर का। कम से कम 100 मीटर जमीन है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसमें खेती करते हैं। कौन करता है ? स्टाफ मेम्बर्स और क्लास फोर्थ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं : मगर यह सब यूनिवर्सिटी की ड्यूटी नहीं है, फंक्शन्स नहीं हैं, स्टाफ के अन्दर प्राडयूस बेचने हैं, उससे करप्शन होता है और बोरियां की बोरियां चुराई जाती हैं। यूनिवर्सिटी को मजाक बना रखा है। मुझे बड़ा दर्द होता है, इसको पार्टी इश्यू न बनायें, खुदा के वास्ते यूनिवर्सिटी में ऐसा न कीजिए। अपनी औलाद के साथ न खेलें। उनको पढ़ा कर होशियार करें। बाकी पालिटिक्स आपकी भी है हमारी भी है। मैं अपने विचार रख रहा हूं, मेरी पार्टी के सदस्य के दूसरे विचार हो सकते हैं। शिक्षा के द्वार से निकल कर शिक्षक मंत्री बनता है तो और ज्यादा आशायें बढ़ जाती हैं। आप आर. एस. एस. में थे, जनसंघ में थे, फिर जनता पार्टी में गए, आज उधर जायें, कल इधर आ जायें...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसी आशा छोड़ दें।

श्री मथुरादास माथुर : छोड़ो इस बात को। आज हां या ना नहीं कह सकते।

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हालांकि एज ए स्टूडेंट आफ एजूकेशन, हमारे पास कोई पी एच डी. की डिग्री नहीं है लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, करदाता हैं, इसलिए दर्द होता है जब इन संस्थाओं में कत्ल होते हैं। आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में कत्ल तो छोड़िये एक ऐसा अपराध भी नहीं हुआ जिससे मुकदमा बना हो। यह जो बिल लाया गया है वह वेस्टेज आफ मनी आफ एक्सचेकर है, छपाई में पैसा बरबाद किया। कोई जल्दी नहीं थी, क्या होने वाला था ? जो समस्या है वह तो रह गई, जो समस्या नहीं है, उसका बिल लाकर संशोधन कर रहे हैं। हमने सोचा फ्रेश वाटर आया है, स्टैगनेट वाटर नहीं है। हमें क्या मालूम कूड़ा-करकट अपने साथ लाये हैं। आप चिंतन करें, आप कमेटी बनायें एजुकेशनिस्ट्स की, अध्यक्ष की चैयरमेनशिप में। वाइस चांसलर कुछ आदमी नामीनेट करता है, चांसलर दो आदमी नामीनेट करता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त हुए। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैं उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स नहीं जानता हूं। आप बता सकते हैं तो महरबानी। मैंने सुना है कि हिन्दू कॉलेज के प्रिन्सिपल थे। किसी कॉलिज के प्रिन्सिपल को वाइस चांसलर बनाना था तो राजस्थान के प्रिन्सिपल्स कोई देवलोक थोड़े ही चले गये। किसी राजस्थान के प्रिन्सिपल को बना देते। जस्टिस गजेन्द्र गड़कर जब रिटायर हुए तो मैं और सुखाड़िया उनके पास गए कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाओ He is an eminent Educationist and Jurist. ऐसे वाइस चांसलर आयेंगे तब यूनिवर्सिटीज का स्टेटस बढ़ेगा। बाकी यह तो एक इन्डिविजुअल का प्रमोशन हो गया। यूनिवर्सिटी का स्टेटस बढ़ा है, व्यक्ति का स्टेटस बढ़ गया जिससे आपकी कोई

(श्री मथुरादास माथुर)

पुरानी जान पहचान हो। जो वाइस चांसलर आते हैं अपने साथ कुछ व्यक्ति लाते हैं। मैं भी एक छोटा सा शिक्षा मन्त्री इस सरकार का रह चुका हूं, उस जमाने में अच्छे वाइस चांसलर थे महाजनी, मेहता साहब। अब जो वाइस चांसलर आते हैं वे आते बड़ी मुश्किल से हैं जाते जल्दी हैं। किसी वाइस चांसलर ने अपनी टर्म पूरी की है ?

वाइस चांसलर के पास आपके विद्यार्थी जाते हैं, उनको घेर लेते हैं कहते हैं कि लिखो, ऐसा होगा। वह लिख लेते हैं। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। एक ने कहा लॉ एग्जामिनेशन में बैठूंगा, हुक्म दो। उसने फार्म नहीं भरा था और फीस जमा नहीं कराई थी। मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहता। जो चीज पहले हुई है उसके कहने में शर्म नहीं आती है, उसे सुधारना है। कुछ करना है तो करो, जुम्मे जुम्मे चार दिन की जिन्दगी है। बड़ी मुश्किल से 30 साल के बाद आये हो। अगर करना है तो कर डालो। आप हमसे सहयोग ले लो। बड़ी मुश्किल से जो विधायक जीत कर आये हैं वे आपसे यह आशा करते हैं, नहीं तो आपकी दुकानदारी नहीं जमेगी और न ही इनकी दुकानदारी। इतने दिन एकादसन किया तो अब पारण करो तो अच्छा होगा। No politics. No favouritism. No nepotism. इसमें कोई तकलीफ आये तो हम आपके साथ हैं। यूनिवर्सिटीज में पालिटिक्स को चैक करें, फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज को दूर करें। अच्छा एकेडेमिक एटमोस्टफियर बनायें।

राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बन गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए शुरू में हमने फैसला किया था कि वह रेजिडेन्शियल यूनीवर्सिटी होगी। अब इतने कालेजेज बन गये तो रेजिडेन्शियल करेक्टर इनसिगनिफिकेण्ट हो गया। अब तो परीक्षा लेने वाला डिग्नीफाइड बोर्ड आफ एजूकेशन हो गया। इसे अलग कर दो। अजमेर में बोर्ड आफ एजूकेशन है उसे यूनिवर्सिटी बना कर एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी बनाकर सब स्कूल्स और कॉलेजेज को उसके नीचे डाल दो और इस यूनिवर्सिटी को ठीक करो। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात तो समय आने पर कहूंगा। जितने छोटे-मोटे कालेजेज हैं उनके टीचर्स रिप्रेजेन्टेशन करने आये और यहां पर पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूशन्स के प्रोफेसर्स भी रिप्रजेन्टेशन करने आये, वह भी 60 साल के और ये भी 60 साल के।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पोस्ट ग्रेजुएट एजूकेशन यूनिवर्सिटी कैम्पस में होनी चाहिये। कालेजेज में नहीं हो सकती। आज एम. एस सी. की क्लासेज आप फालना, या फागी या मेरे ही क्षेत्र की बात कह दूं डीडवाना के कालेज में नहीं खोल सकते। Don't make it cheap. अगर आप एम.एस सी. की क्लासेज फालना या फागी में खोलते हैं तो आप न्याय नहीं करते हैं। वहां पढ़ाई नहीं हो सकती। वहां पर आपको कहां अच्छे लेक्चरार, प्रोफेसर मिलेंगे, कहां आपको उनके लिये अच्छी लाईब्रेरी मिलेगी ? यह वह बात नहीं है कि आठवीं पास की और नवीं में बैठ गये और बी. ए. पास करते ही एम. ए. में बैठ गये। एम. एस सी. की पढ़ाई में आगे की पढ़ाई होती है। रिसर्च करने की विश्वविद्यालयों में जरूरत पड़ती है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में अगर आप राजस्थान की शिक्षा की तस्वीर अच्छी करना चाहते हैं तो आपको एमीनेन्ट एजूकेशनिस्टों को रखना पड़ेगा, वी. सी. की जगह पर। अब आप इसमें ऐसा संशोधन करने जा रहे हैं कि आप मनोनीत करेंगे। मान लो कल आपने कोई एम.एल. ए. को मनोनीत किया तो वह अकेला एम. एल. ए. वहां क्या करेगा ? वहां तो कीचड़ ही कीचड़ है। हम वहां पर अकेले बोल भी नहीं सकेंगे। सिर्फ यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट के मेम्बर होकर हमें कोई तगमा थोड़े ही लेना है कि साहब हम विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट के भी सदस्य हैं। हम तगमा नहीं चाहते। आपको भेजना है तो दो मेम्बर आफ लेजिस्लेचर भेजिये। वह भी देखेंगे कि दो हो यह विधान सभा के सदस्य हैं। उन्हें यह डर रहेगा कि अगर इन्हें कुछ पता लग जायेगा तो यह जाकर विधान सभा में जरूर कूकेंगे। वह जानते हैं कि एक-एक एम एल ए. एक-एक लाख जनता द्वारा चुन कर आता है। वहां जो टीचर्स हैं वह सिर्फ 400–500 स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्ट करते हैं। तो यह बात तो मेरी समझ में आयी नहीं। आपके विश्वविद्यालय में कौनसी कोकटेल पार्टी कर दी ? 14 प्रोफेसर्स हों, एक एम एल. ए को भेज दिया, एक कोई आपने और नोमीनेट कर दिया, इससे आपका मकसद पूरा नहीं होगा। If you want to hand over the University to the teachers, you want to hand over to the people, and if you want public donations, then you give due representation.

मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव इस बिल पर दिया है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सौंपा आप ताकि हम सभी वहां बैठकर सभी पहलुओं पर विचार करें। यह मसला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का ही नहीं राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटी का है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप प्रवर समिति को सौंप देंगे तो उस प्रवर समिति में निर्णय लिये जायेंगे। उसके बाद में जो बिल आपके सामने आयेगा उससे न केवल राजस्थान के समाज का ही भला होगा बल्कि उससे यूनिवर्सिटीज को भी काफी फायदा होगा। बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि "जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के कई कारण हैं। इसके साथ मैंने कुछ अमेन्डमेन्ट्स इस बिल के अन्दर हिन्दी में दिये थे लेकिन मुझे दुःख है कि उन्हें अमेन्डमेंट्स की सूची में जोड़ा नहीं गया है, उन्हें एडमिट ही नहीं किया गया है। अगर उन अमेन्डमेन्ट्स को आप देखते तो आज जो भी जोधपुर विश्वविद्यालय में और दूसरी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में गलतियां हैं, खामियां हैं उनका पता लग जाता। उन संशोधनों को अगर आप मान लेते तो काफी सुधार विश्वविद्यालय में हो जाता।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की तीन यूनिवर्सिटीज हैं। अगर उत्तर

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

प्रदेश में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि यहां बहुत-सी यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा यहां पर जो भी वाइस चान्सलर आया वह बाहर से आया। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में कोई विद्वान ही नहीं है सिर्फ राजस्थान के बाहर के लोग ही विद्वान हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश में राजस्थान में भी विद्वान हो सकते हैं। पर कम यूनिवर्सिटीज होने का कारण एकमात्र यह रहा है कि जब से राजस्थान बना और राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी तब से सिवाय डाक्टर मोहनसिंह मेहता के कभी कोई आदमी राजस्थान का वाइस्स चान्सलर यूनिवर्सिटी का नहीं बनाया गया, न जोधपुर यूनिवर्सिटी में, न उदयपुर यूनिवर्सिटी में। अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति को वाइस चान्सलर बना भी दिया गया तो उसे मार पीट कर निकाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह जो बाहर से वाइस चान्सलर बनाने की देन है वह हमारे राजस्थान के भूतपूर्व महामहिम राज्यपाल डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से वाइस चान्सलर लाकर रखे। उन्हीं के मार्फत यहां पर कई हैड आफ डिपार्टमेन्ट, प्रोफेसर्स और डीन आफ दी फैकल्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही आये। अध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर और यह सभी हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स राजस्थान में इम्पोर्ट ही किये गये। यहां राजस्थान के जो लेक्चरार थे चाहे कैसे ही होशियार हों उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। इस कारण राजस्थान के विद्वान लोग पिछड़े के पिछड़े रह गये। अध्यक्ष महोदय, जो गलती पिछली कांग्रेस सरकार ने की वही गलती जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। अभी हाल ही में हमने सुना था कि जोधपुर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर दिल्ली के एक कालेज के प्रिन्सिपल को बनाया है। वह भी इम्पोर्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह महाशय दिल्ली के हिन्दू कालेज के प्रिन्सिपल थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कोई व्यक्ति राजस्थान में इतना काबिल बिल्कुल था ही नहीं जो आपको यहां के बजाय बाहर से वाइस चान्सलर को लाना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, अगर बाहर से वाइस चान्सलर्स आते रहे तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी होना बन्द नहीं होगा।

मैं आपके सामने राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एपोइन्टमेंट के मामले में जो पिछले वर्षों में पक्षपात हुआ है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपके सामने राजस्थान के एक ऐसे योग्य लेक्चरार का नाम लेना चाहूंगा जिसे आज दिन तक प्रोफेसर का ग्रेड नहीं दिया गया। वह व्यक्ति जोधपुर यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट क्वालिफाइड है। उनका नाम न सिर्फ हमारे हिन्दुस्तान में ही है बल्कि विदेशों में भी है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि वह व्यक्ति मेरे रिश्तेदार हैं और मुझे उनकी सिफारिश नहीं करनी चाहिये पर चूंकि वह बहुत ही विद्वान हैं इसलिए निवेदन करना पड़ता है। वह हैं ज्योग्राफी के लेक्चरार डाक्टर श्री सरदारसिंह ढाबरिया जिन्हें जोधपुर यूनिवर्सिटी में तीन बार इन्टरव्यू में बुलाया गया, रीडर की पोस्ट के लिये वह तीनों ही बार सलेक्ट हुए। हालांकि कमेटी में वाइस चान्सलर भी बैठे थे और यू.पी. से स्पेशलिस्ट भी आये थे। पर यहां पर तो सभी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं इसलिये उनका सलेक्शन होने पर

(श्री उमराव सिंह डाबरिया)

भी उन्हें नहीं लिया गया। उन्हें रीडर नहीं बनाया गया। वह व्यक्ति हिन्दुस्तान के उन तीन व्यक्तियों में से एक हैं जो कि इन्टर-नेशनल डवलपमेन्ट कमीशन में चुने गये। यही नहीं आज से पांच साल पहले जब रूस से एक कमीशन यहां आया था ज्योग्राफिकल सर्वे के लिये तो उनका मास्को यूनिवर्सिटी के लिये चयन किया गया था। जो व्यक्ति 300–350 इन्डिया के ज्योग्राफी के एमीनेन्ट लोगों में से मास्को के लिये चुने गये उन्हें वहां नहीं जाने दिया। मैं खुद उनके लिये श्री रामनिवास मिर्धा जी से मिला जो कि सिण्डीकेट के सदस्य हैं। मैंने उनसे कहा कि अकेले का ही सलेक्शन हुआ है पर वह भी लाचार हो गये। उनके हैड आफ डिपार्टमेंट जोशी ने उन्हें नहीं जाने दिया। मैं श्री अमृत नाहटा से भी मिला जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के मेम्बर सीनेट के थे, एम.पी. भी थे और जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में काफी दिलचस्पी रखते थे पर वह भी जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़ियां हो रही थीं उनके कारण बहुत ही दुखी थे। इतना ही नहीं पहले जब मैं यहां पर एम.एल.ए. था तब भी मैंने इसी सदन में जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़ घोटाले हो रहे थे उनके बारे में कहा था और कुछ बातें प्रकाशित भी हुई थीं। उनमें से कुछ जो सोनिनियर जोधपुर यूनिवर्सिटी से निकलता है उसमें भी छपा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जायेगा कि वास्तव में जोधपुर यूनिवर्सिटी में कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अभी जो हमने रेडियो में सुना है, एक बाहर के व्यक्ति को वाइस चान्सलर नियुक्त किया गया है क्या उन वाइस चान्सलर के आदेश को कैंसिल करके जोधपुर यूनिवर्सिटी के किसी सीनियर विद्वान प्रोफेसर को आप वाइस चान्सलर बनायेंगे? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो

(2.50 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

आज जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो गड़-बड़ियां और पक्षपात हो रहा है वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर आप वहीं के किसी सीनियर आदमी को वाइस चान्सलर का चान्स दे देते हैं तो उससे नीचे वाले आदमी को प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा।

मैंने अमेन्डमेन्ट यह दिया था कि ये दोनों ही आदमी राजस्थानी होने चाहिये। आज बड़ी पोस्टों पर तीनों ही युनिवर्सिटीज में यू. पी. और बाहर के आदमी हैं। मैंने मेरा यह संशोधन हिन्दी में पेश किया था इसलिये आपके सामने नहीं आया है। क्या, मंत्री महोदय, आप कबूल करेंगे कि जो दो आदमी के नाम भेजे जावेंगे वे राजस्थान के रहने वाले होंगे, बाहर के नहीं होंगे। अगर राजस्थान के लोगों को मौका नहीं दिया तो बाहर के आने वाले आदमी क्या करने वाले हैं, यह आप स्वयं ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां के पढ़ने-लिखने वाले बेकारों की लिस्ट डागा साहब ने पेश की है। यहां के लोग बेकार फिरें और बाहर के लोग आयें तो हमारे लिये यह शर्म की बात है। यही नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स भी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यू. पी. से लेकर आये हैं। जितने पेड सर्वेन्ट्स हैं वह सब वाइस चान्सलर के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वहां पर उन्हीं लोगों को लिया जाता है। उन्हीं लोगों का बोलवाला होगा।

वाइस चान्सलर भी जो यहां आये हैं वे इस तरह के आदमी आये हैं कि जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर नहीं थे। वे प्रोफेसर थे और वाइस चान्सलर बनाकर उनको यहां पर बुला लिया। उनके अपने नीचे जो लेक्चरार थे उनको हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बना कर यहां पर बुला लिया।

इसी तरह से यूनिवर्सिटी के बिल में बातें रखी हैं। आपने कहा कि टॉप प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखे हैं। उन आदमियों में चार तो वे हो जावेंगे। दो चार आदमियों के द्वारा क्या होगा? उनकी मनमानी होगी? बड़े-बड़े आफिसर उसके मेम्बर हो जावेंगे और एक वाइस चान्सलर हो जावेगा। यह तो कहने के लिये बात रखी है कि टीचर्स में से रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कौन आदमी है, कौनसा ऐसा टीचर है जो हुक्म देने वाले लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा? अभी माननीय माथुर साहब ने एम. एल. एज. के लिये कहा। नॉन-ओफिसियल का रिप्रेजेन्टेशन दिया है वह नगण्य है। क्या एक व्यक्ति और लोगों को कन्ट्रोल में कर सकता है? उसकी बात की वहां वकत हो सकती है जहां इस तरह के लोग भरे हुए हों जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं।

आज सदन में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आया। यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, चाहे डीन हों, प्रोफसर हों कोई हों, उनकी तनख्वाहों के बारे में भी सवाल आया। मैं माननीय, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि यूनिवर्सिटी के इन लोगों की तनख्वाहें क्या होंगी, क्या पे स्केल होंगे? उसको कहीं पर तो मंजूर कर लिया। राजस्थान सरकार ने उसको मंजूर करने में इतनी देरी लगायी कि उससे हजारों रुपयों का नुकसान लेक्चरार, प्रोफेसर्स और दूसरे लोगों को हुआ। यह काम जल्दी इसलिये नहीं करना चाहती थी कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे वास्तव में जो रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस उसके खिलाफ थे, उनको वोट नही देते थे। पढ़े-लिखे होने से वे सारी बात को समझते हैं। क्या आप भी यह चाहते हैं कि इन पढ़े-लिखे लोगों को जनता पार्टी से अलग कर दिया जाय, इनका समर्थन प्राप्त न करें? आप भी अगर यह चाहते हैं कि बाहर के लोगों को यहां बुला कर रखा जाय और राजस्थान के बड़े-बड़े काबिल आदमी मारे मारे फिरें तो यह आपको शोभा नहीं देता।

कई मुद्दे आते हैं। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर और हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट योग्य होते हैं उनको विदेश में जाना पड़ता है। उसके लिये यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन अलग अलग यूनिवर्सिटी को पैसा देता है, सालाना खर्चा देता है। जोधपुर विश्वविद्यालय को गये साल में एक लाख रुपया यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने इसलिये दिया था कि वा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आदमी आपके यहां से किसी कमेटी का मेम्बर होकर किसी सेमीनार में हिन्दुस्तान से बाहर जाय तो उसको यह पैसा दिया जाय। मैं आपको डा. सरदार सिंह ढाबरिया का जिक्र कर रहा था। उन्हें इन्टरनेशनल रूरल डवलपमेंट कमेटी का मेम्बर होने के नाते जब ताशकन्द जाना पड़ा तो मास्को एसोशियेसन ने 5 हजार रुपया और जोधपुर यूनिवर्सिटी ने पांच हजार रुपया दिया लेकिन उनको वह पैसा साल भर से नहीं मिला है। वहां पर जितने भी यू.पी. के डीन और प्रोफेसर्स थे वे इस बात में रोड़ा अटका रहे थे कि उनको पांच हजार रुपया दिया जायगा तो हमको भी बाहर जाने की इजाजत दी जाय। नाहटा जैसे इन्डिपेन्डेन्ट लोगों ने कहा कि किसी कमेटी का मेम्बर बाहर जाना चाहता है तो पांच हजार रुपया दिया जाता है तो आपको उसका आधा खर्चा दिया जा सकता है। किन्तु वे किसी कमेटी के मेम्बर नहीं हैं। उनको तो पैसा ग्रान्ट हो चुका था। यूनिवर्सिटी की ग्रान्ट से नहीं दिया जा रहा है। माथुर साहब का पैसा नहीं है। फिर भी जिस मद का पैसा है उस मद में खर्च नहीं करना चाहते हैं। जो लोग होशियार हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि सारी यूनिवर्सिटीज पर आप चेक रखिये। यह एक इन्डिपेन्डेन्ट बोडी जरूर है लेकिन उसमें ग्रान्ट कमीशन का पैसा भी लगता है। उसकी देख-रेख अच्छी तरह से नहीं करेंगे, उसमें पालीटिक्स इन्वाल्व कर लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज नहीं ये राजनीति का अखाड़ा रह जावेंगी। मैंने उस समय भी देखा है जब मैं सोशलिस्ट पार्टी में था। मुझे एक बार नहीं अनेक बार लखनऊ जाने का मौका मिला। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आचार्य नरेन्द्र देव थे वाइस चान्सलर। उनको यूनिवर्सिटी की ओर से रहने के लिये मकान दिया हुआ था। 12-13 कमरे उसमें थे। वह वाइस चान्सलर, जिनको विद्यार्थियों की शिक्षा से प्रेम था, केवल दो कमरों में रहते थे बाकी सब गरीब लड़कों के होस्टल के लिये दे रखे थे। कई गरीब आदमी वहां रह रहे थे जो होस्टल में नहीं रह सकते थे। उन्होंने उनको वहां पर रखा। वे समाजवाद के बड़े भारी पंडित थे। वे विश्वविद्यालय में जब तक रहे तब तक कोई राजनैतिक झगड़ा नहीं हुआ। आज यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, यह आपको मालूम है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत लम्बा समय मैं नहीं लेना चाहता, आप इन सब चीजों को सोचिये, समझिये और समझने की भी कोशिश कीजिए।

आपने टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स में से 3 टीचर्स लेंगे। सारे एफीलियेटेड कालिजेज के टीचर्स भी उसमें हैं और यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हैं। जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं उनके टीचर्स की अलग संख्या आप देखें तो वह पांच सौ और हजार के करीब होती है। उसमें से दो, और यूनिवर्सिटी के अन्दर जहां टीचर्स और प्रोफेसर्स की संख्या 500 होगी उनमें से 3, तो यह कहां का काम्बीनेशन है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं? एफीलियेटेड कालेजेज के छोटे टीचर्स हैं वह तो दो और कम संख्या वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में से तीन—यह कैसा समाजवाद है?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हम कहना चाहते हैं कि जो लोग छोटे हैं लेक्चरार्स हैं उनकी संख्या ज्यादा हो ताकि उनका चैक रहे और जो बड़ी पोस्टों पर अपने आदमी बैठाये हैं वे मनमानी नहीं कर सकें, यह बात आपको विधेयक में लानी चाहिए। मगर आप तो यह चाहते हैं कि इस सदन के सदस्य इसमें कोई अमेन्डमेंट नहीं दे सकें और इसको जल्दी से जल्दी पास करा लिया जाये, अंग्रेजी में पास करा लिया जाये। यही कारण है कि कल भी हमने बहुत कहा था कि हेस्टी लेजिस्लेशन करने से आपको नुकसान होगा। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो विधेयक आज आप पारित करना चाहते हैं वह अगले सत्र में पास करा लेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी में गोलियां चलने वाली नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के अन्दर किसी तरह की गड़बड़ियां होने वाली नहीं हैं।

जो आपकी उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी क्या हालत हुई। जब हमारे चुनाव हो रहे थे उसके पहले जो हमारे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैड थे उनको वाइस चान्सलर बनाकर भेजा गया। उनका क्या हाल हुआ? मारपीट हुई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब उसके पीछे किन लोगों का हाथ है यह तो जांच करने पर ही मालूम होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उनकी जगह जिनको भेजा है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के हैड हैं। यह नहीं सोचा कि यूनिवर्सिटी जैसी इम्पार्टेन्ट जगह पर कैसे काम करेगा? जो कि यहां भी हैड रहे उनको यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन सारे मुद्दों पर फिर से विचार करें। यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीनों विधेयक जो आपने रखे हैं यह इतने जरूरी नहीं है कि इनके लिए अभी सदन में पूरा पूरा समय दिया जाये और इन पर विचार किया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक प्रवर समिति बनाई जाये। उसके नामों की घोषणा बाद में कर दी जाये। सदन को यह अधिकार है कि जो सदन की बैठक थोड़े दिनों के बाद होने वाली है उसके लिए इसे पोस्टपोन कर दे। सवाल 15-20 दिनों का है और 15-20 दिनों के लिए इसको रोका जा सकता है क्योंकि इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को मन्जूर करें और एक समिति बनाकर अगले सदन तक इसको रोकें।

श्री सभापति : अभी केवल जनमत जानने के लिए विचार हो रहा था।...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह सलेक्ट कमेटी के लिए दिया है। दोनों का एक साथ चल रहा है। मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : सभापति जी, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है कि "जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।"

Page No 68

(68)

(श्रीमती मदन कौर)

जब विश्वविद्यालय कानून के संबंध में संशोधन की बात आई तो यह आशा बंधी थी कि विश्वविद्यालय के प्रबंध और व्यवस्थापन जैसी महत्वपूर्ण समितियों के चयन और गठन को यह राज्य सरकार ऐसा रूप देगी जिससे एक ओर शिक्षा के स्तर में सुधार होगा दूसरी ओर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी पक्षों को यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापन में सही और प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं समझती हूं कि राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रीजी की यही मन्शा रही होगी।

विचाराधीन जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार ने उस यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट को अधिक रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर देने और ब्राड बेस देने का प्रयास किया है लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि जिनकी वजह से मौजूदा विधेयक के प्रावधानों से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, जिस समय जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसकी शुरुआत के समय से ही वहां नियुक्तियों और पदोन्नतियों का ट्रेण्ड इस प्रकार का रहा जिसकी वजह से उस यूनिवर्सिटी में राजस्थान के बहुत ही कम शिक्षकों को नियुक्तियां और पदोन्नतियां मिलीं। मैं कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं रखती। अगर उन समस्त नियुक्तियों में सारे देश के कोने कोने से शिक्षाविद्, शिक्षाशास्त्री और प्रतिभावान् शिक्षकों की नियुक्तियां होतीं तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी और न ही जो कठिनाई आज उपस्थित हो रही है वह होती। लेकिन हुआ यह कि किसी कारणवश जोधपुर यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में एक प्रान्त विशेष के लोगों को नियुक्तियां मिलीं। उसके फलस्वरूप आज स्थिति यह बनी है कि उस यूनिवर्सिटी में अधिकांश डीन और प्रोफेसर्स उस प्रान्त विशेष के हैं और वे ही अधिक संख्या में सीनेट के भी मेम्बर हैं क्योंकि विभिन्न संकायों के डीन सीनेट के मेम्बर्स होते हैं और डीन वही लोग हो सकते हैं जो वरिष्ठता की सूची में ऊपर थे, इसलिये वरिष्ठता उनकी आई जिनकी पहले नियुक्ति हुई या जिन्होंने पहले पदोन्नति पायी। ऐसी स्थिति में इस विधेयक के माध्यम से वाइस चान्सलर जिनको मनोनीत करेंगे वह इस प्रकार है :

> 'One Professor from amongst the Professors of the University to be nominated by the Vice Chancellor in rotation in accordance with their *inter se* seniority as Professor in the University.'

तो मेरा निवेदन करना यह है कि प्रोफेसर्स वरिष्ठ वही हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पहले आये अथवा जिनको पहले प्रमोशन मिला। तो जो सिन्डीकेट में मनोनयन प्रोफेसर्स में से होंगे वह भी एक प्रान्त विशेष के प्रोफेसर्स में से ही हो सकेंगे।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि दो डीन का भी मनोनयन सिन्डीकेट में किया जायेगा वह भी वरिष्ठता के आधार पर होगा। इस संबंध में मेरा यही तर्क है कि जो पहले आये जिन्हें पहले प्रमोशन मिला, वही पहले डीन बनें। इस स्थिति में दो डीन भी एक प्रान्त विशेष के ही हो सकेंगे। ऐसी स्थिति, सभापति महोदय, उन वर्गों की है जो निर्वाचन द्वारा सिन्डीकेट के सदस्य बनेंगे।

(श्रीमती मदन कौर)

इस विधेयक के माध्यम से यह प्रोवीजन किया गया है कि एक छात्र, दो अध्यापक और दो जनता के प्रतिनिधि सिन्डीकेट में निर्वाचित हो कर आयेंगे लेकिन इन तीनों वर्गों का भी जो निर्वाचक मण्डल है वह सीनेट है। जैसा मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि सीनेट में बहुत बड़ा बहुमत उसी एक प्रान्त विशेष के लोगों का है। ऐसी स्थिति में जो सिन्डीकेट इस बिल के पास होने के बाद गठित होगी उसमें एक प्रांत विशेष के ही लोग होंगे और उसमें राजस्थान को रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिल पायेगा। सभापति जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान के वहां अधिकारी हैं, राजस्थान के छात्र पढ़ें, राजस्थान के लेक्चरार्स वहां पढ़ायें और फिर भी राजस्थान के लोगों को इस यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापन में सही, समुचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व न मिल सके। यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी।

इसी प्रकार, इस विधेयक में यह व्यवस्था और की गई है इसमें क्लॉज 3 के एक्सप्लेनेशन को देखें :

"No person referred to in clause (iii) to (x) of sub-section (1) shall be eligible for election and/or nomination for more than two terms"

इस एक्सप्लेनेशन के होते हुए दो टर्म, यानि आने वाले 6 वर्षों तक भी यही स्थिति सीनेट और सिन्डीकेट में बनी रहेगी। अगर इस विधेयक में राज्य सरकार यह प्रावधान रखती कि यह दो टर्म जब से जोधपुर यूनिवर्सिटी बनी उससे मानी जाये तब तो राजस्थान के लोगों को इस सीनेट में प्रतिनिधित्व करने का कुछ अवसर मिल सकता था। बिना सीनेट का पुनर्गठन किये सिन्डीकेट में हेर फेर करने के प्रावधानों से सिडीकेट में प्रभावी परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यदि राज्य सरकार की बिना सीनेट में परिवर्तन किये सिडीकेट को अधिक रिप्रेजेन्टेटिव करने की मंशा हो तो इस स्थिति में कुछ हद तक सीनेट से सिन्डीकेट के सदस्यों को चुनने में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का अधिकार भी देने से सुधार किया जा सकेगा और इससे हमारे राजस्थान के कुछ शिक्षकों और छात्रों को सिन्डीकेट में आने का मौका मिलेगा।

इसी तरह से आपने एक और खामी इस बिल में रखी है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगी। क्लॉज 3 के सब–सैक्शन (vi) में हैं :

"(vi) One Principal, to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Principals of Constituent Colleges and recognised colleges in rotation in accordance with their seniority as Principal;"

मैं निवेदन करना चाहती हूं इसमें सीनियोरिटी का आधार क्या होगा ? वेतन श्रृंखला होगी ? सेवाकाल अवधि होगी ? सीनियोरिटी कैसे डिटरमिन करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में कुछ मूल खामियां इस तरह की रही हैं जिससे जो नतीजा आप इस बिल के पास होने के बाद लाना चाहते हैं वह नहीं मिल सकेगा। इसी वजह से इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने किया है। मुझे

(श्रीमती मदन कौर)

आपसे निवेदन करना है कि नगर पालिकाओं को भंग करने के विधेयक अथवा पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग करने के विधेयक में यदि कोई संशोधन हो और राजनैतिक कारण से आप स्वीकार न करें तो कोई बड़े एतराज की बात नहीं है लेकिन यह ऐसा विधेयक है जिसका आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता। ऐसे बिल में आपको प्रतिपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और उनके बाद ही पास करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो सो रहे हैं, लाबी में जाकर आराम करें। Janta Party is sleeping

प्रभारी मंत्री जी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम-का-थाना) : मुझे भी निवेदन करना है। मेरा प्रस्ताव है कि जो तीनों यूनिवर्सिटी के बिल पेश किये गये हैं वे प्रवर समिति को सौंपे जायें। क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे?

श्री सभापति : हाउस की क्या परम्परा है?

(विराम)

बोलिये। वकील साहब हैं, तो कोई बात ही मिलेगी।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम-का-थाना) : सभापति जी, यह जो तीनों यूनिवर्सिटी के विधेयक आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं निश्चित रूप से यह विधेयक काफी गम्भीर प्रश्न को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। मेरी यह मान्यता है कि राज्य सरकार को निश्चित रूप से और अधिक समय ऐसे महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में लेना चाहिए। मैं इस मान्यता का भी हामी हूं कि ऐसे प्रश्न, जो असर रखते हों आने वाले समाज पर, के बारे में इस सदन के प्रतिपक्ष के जो विचार आयें उनको गम्भीरता से लिया जाकर उन पर मनन किया जाकर फिर उस प्रश्न को सदन के सामने रखें।

मेरी यह मान्यता है, सभापति जी, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग पिछले कुछ वर्षों में काफी फिसला है, नीचे गिरा है, उसका स्तर भी नीचे गया है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहें कालेजेज हों जब तक आप उनमें सम्पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक व्यवस्था कायम नहीं करेंगे, उन पर उत्तरदायित्व नहीं डालेंगे तब तक एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स किसी भी प्रकार से अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकें ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता।

इन तीनों विधेयकों में जो प्रावधान किये गये हैं वे प्रावधान करीब करीब उसी चिन्तन के स्वरूप हैं जो पिछली सरकार के दिमाग में था। Educational institutions to be controlled by the Government मैं इसके विरोध में हूं। मैं निश्चित रूप से इस मान्यता का हामी हूं कि जनता ने चुन कर आपको बैठाया है, आप पर उत्तरदायित्व डाला है कि आप शासन चलाओ तो आपको भी इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि पूरा उत्तरदायित्व यूनिवर्सिटीज को दें। माननीय मथुरादास जी ने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक विद्यार्थियों के डिसिप्लिन, उनके अनुशासन के संबंध में उन्होंने प्रश्न उठाया उसका सबसे

Page No 71

(71)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

पहले असर पड़ता है । उसका रिफ्लेक्शन आपकी यूनिवर्सिटीज में मिले तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं । अपने आप उन विद्यार्थियों का स्तर बढ़ता हुआ चले । इस प्रश्न के ऊपर हमें आशंकित नहीं होना चाहिए ।

जो दूसरी बात कही गई है मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता था कि कांग्रेस पार्टी में बैठे हुये व्यक्ति, माननीय मथुरादास जी माथुर जैसे व्यक्ति, जो अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, इस बात की आशंका व्यक्त करेंगे । उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटीज को आटोनोमी दे दी तो यूनिवर्सिटी रसातल में चली जायगी । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय को नम्र निवेदन करना चाहूंगा, चान्सलर, वाइस चान्सलर को नियुक्त करेंगे और करीब सिन्डीकेट के टू-थर्ड मेम्बर्स को वाइस चान्सलर नियुक्त करेंगे तो जो पूर्ण रूप से आब्जेक्ट है कि डेमोक्रेटिक बनाना है उसके विरोध में प्रावधान रखा जा रहा है । मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी को कि इस प्रश्न पर पुनः विचार करें । वास्तव में अगर कोई जोखिम भी उठानी पड़े तो वह भी इन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के लिये उठानी चाहिये । हमारे नुमाइन्दे जो चुनकर आते हैं और सांसद कहलाते हैं वे सरकार चलाते हैं तो क्या कारण है कि जो बी. ए. हैं, एम. ए. हैं, पी एच. डी. हैं और जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, जो वर्षों से गुरुकुल की शिक्षा देते चले आ रहे हैं, आखिर उनके प्रति आपकी आशंका क्या है ? मेरा निवेदन है इस रूप रेखा में विधेयक को अधिक डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की जाय । अगर इस उद्देश्य से इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय तो मैं उसका स्वागत करूंगा ।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : इतनी स्पीचेज होने के बाद में तो माननीय मंत्री जी ने अपना मानस बना लिया होगा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बोलूंगा, साहब ।

श्री नवनीत पालीवाल : डागा जी बड़े चिन्तित रहते हैं ।

श्री सभापति : आप इसी पर बोलना चाहते हैं ।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति जी, जहां तक जोधपुर विश्वविद्यालय के बिल को प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल सदन के सामने विचाराधीन है इसमें ऐसी कौनसी बात है जिस पर बहुत समय तक या बड़ी गहराई के साथ विचार करके निर्णय लिया जाय ? इस बिल के अन्दर सिन्डीकेट के गठन में ना पक्ष द्वारा यह बात कही गई है कि सिन्डीकेट किस प्रकार की हो, उसके बारे में सारी बात पूर्ण है या नहीं । मैं समझता हूं इस सदन में माननीय सदस्य, जो ना पक्ष में बैठे हैं, भली प्रकार इस बात को समझने में असमर्थ हैं····

श्रीमती मदन कौर : समझ रहे हैं ।

श्री माधोसिंह कछवाहा : कि आपात॰ कालीन स्थिति के दौरान जो सारे हिन्दुस्तान का राज्य एक या डेढ़ व्यक्ति को सौंपा गया

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

था उसी तरह यूनिवर्सिटी के अन्दर भी नियमों और एक्ट में संशोधन करके वाइस चान्सलर को एक व्यक्ति ऐसा बना दिया गया कि वे ही सारे फैसले के अधिकारी हैं। जैसे आपातकालीन स्थिति के दौरान इन्दिरा गांधी और संजय गांधी हावी थे वैसे ही यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर सिन्डीकेट पर हावी हो गये। सारी यूनिवर्सिटीज में जो काम होता था उस पर पूरी तरह से हावी हो गए। वाइस चान्सलर ने जिस तरह की ज्यादती, जोर जुल्म किया है इसका विरोधी पक्ष ने वर्णन किया है और बताया है किस प्रकार यूनिवर्सिटी में एक वातावरण कांग्रेस राज्य में बना और किस प्रकार भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, ने यूनिवर्सिटी को दिशा दी। जो हुआ है, उसके सम्बन्ध में पश्चाताप की बात तो नहीं की लेकिन हाउस का समय और बरबाद किया। हमारे जो बच्चे भावी नागरिक हैं, जो राष्ट्र निर्माण का कल काम सम्भालने वाले हैं उनके विषय में जो बिल आया है और जो इसमें सिन्डीकेट के गठन की बात है उसको किसी समिति को सौंपना मैं कतई उचित नहीं समझता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलने दीजिये··

श्री माधोसिंह कछवाहा : आप तो 30 साल बाद समझेंगे उसके लिए, सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने के बजाय····

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य किस बात की चर्चा कर रहे हैं?

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं तो यह कह रहा हूं, सभापति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति को न भेज कर····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं आपका प्रस्ताव तो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का या प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव नहीं है इसलिये यहां विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाहा : तो मैं बैठ जाऊं ?

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी। मेरे ख्याल से अब इस पर डिस्कशन बन्द हो तो अच्छा हो।

श्री नवरंगलाल : सभापति महोदय, दो मिनट का समय दें तो अच्छा हो।

श्री सभापति : नियम के अनुसार चलिये। इसका मतलब होता है members should be vigilant. देखकर काम करें।

श्री नवरंगलाल : सभापति महोदय, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है।

श्री सभापति : नियमों की अवहेलना करते हैं और अन्याय की बात करते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

प्रभारी मन्त्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति जी, जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 सदन के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने और कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने इस पर काफी विचार प्रकट किये हैं। प्रथम वाचन में यह बहुत अच्छा होता कि उद्देश्य की चर्चा अधिक की जाती और बीच बीच में जो क्लाजेज पर संशोधन वाली बातें कही गई हैं, उन पर विचार द्वितीय वाचन के समय होता है तो उस नाते इस पर विचार करने की दृष्टि से सुगमता होती। प्रश्न यह है कि···

श्री परसराम मदेरणा : यह कौनसा वाचन चल रहा है···

I think this is the second stage of the Bill पहला तो आपने इन्ट्रोड्यूज किया, वह आप तीन दिन पहले कर चुके हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन करना यह है कि··

श्री सभापति : Let them learn by committing a mistake.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जब प्रिन्सिपल्स की चर्चा हो जाती और क्लाज बाई क्लाज उस पर विचार करने का अवसर होता उस समय इन संशोधनों की चर्चा की जाती तो बहुत अच्छा होता और सुगमता होती।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सच है कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक में बहुत अधिक विचार और संशोधन की आवश्यकता है। इसको मानने में किसी भी प्रकार से मुझे शंका नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें तीनों विश्वविद्यालयों में हैं कि उनके विधेयकों में बहुत अधिक विचार करके, जैसा कहा गया है, फोर्टीफायी करके विधेयक को लाने की आवश्यकता थी। किन्तु परम आवश्यक समझते हुए, अविलम्बनीय इसकी आवश्यकता समझते हुए इस छोटे से संशोधन को, इस संशोधन विधेयक को इतनी जल्दी जो प्रस्तुत किया गया है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति 10 जुलाई, 1975 को हुई, एक काला अध्यादेश लाकर जो पुराना एक्ट था····

एक माननीय सदस्य : इमोशनल हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो एक्ट था जिसमें कुछ चुने हुए बन्धु थे, विभिन्न क्षेत्रों से, विद्यार्थी क्षेत्र से थे, शिक्षक क्षेत्र से थे, निश्चित रूप उसमें चुने हुए प्रतिनिधि थे किन्तु 10 जुलाई, 1975 को वह काला अध्यादेश लाकर उसमें संशोधन किया गया और बाद में उस पर राज्यपाल महोदय ने सहमति दी। सिण्डीकेट का जो उस समय फार्मेशन था, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियां चलती हैं, प्रत्येक छोटा मोटा कार्य करने के लिए सिण्डीकेट एक गवर्निंग बोडी है, एक एक्जीक्यूटिव बोडी है, जो सारे कार्यकलापों का निर्णय लेती है, क्योंकि आपातकाल का वह समय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

था इसलिए जिन्होंने राज किया आपातकाल में उन्होंने सारी प्रजातांत्रिक परम्पराओं को एक के बाद एक पछाड़ते हुए यह प्रयास किया कि ऐसी कोई अवस्था नहीं रहे कि जिसमें स्वतन्त्र रूप से कोई भी अपना विचार प्रगट कर सके। इस कारण वह अध्यादेश आया और उस अध्यादेश के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि सिण्डीकेट मात्र वाइस चांसलर की कठपुतली बन कर रह गई।

(व्यवधान)

इसकी भी चर्चा करूंगा। कुछ मेरी भी सुनिये।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी सुनेंगे ही, बैठे ही इसलिए हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : दोनों तरफ से शांति।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं कह रहा था, स्थिति ऐसी बन गई कि जिसके कारण आप जानते हैं जोधपुर विश्वविद्यालय...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जोधपुर विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति बनी कि जोधपुर से आने वाले माननीय विधायकगण, जिन्होंने इस परिचर्चा में बहुत भाग लिया है, के मन में जो वेदना है वह प्रगट हो रही थी। यह स्वाभाविक भी है कि उस क्षेत्र के विधायकों की वेदना प्रगट हुई। उसका कारण यह है कि वह काला कानून बन जाने के बाद सिण्डीकेट एक मात्र कठपुतली बन कर वाइस चांसलर के हाथ में आ जाने के बाद जो निर्णय लिए गए, जो आज्ञाएं प्रसारित की गई, उनका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में जो नजारा देखने को मिला जोधपुर भी उससे पीछे नहीं था। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, सिण्डीकेट सारे कार्यकलापों को करने वाली, प्रत्येक गतिविधि का परिचालन करने वाली बोडी रहती है। दो वाइस चांसलर छुटी लेकर चले गये, तीसरे जोधपुर वाले का टर्म पूरा हो गया किन्तु सिण्डीकेट वही चली आ रही है। वही नोमीनेटेड सिण्डीकेट चली आ रही है जिसने सारे विश्वविद्यालयों की यह हालत कर दी। इस कारण से एक भी मिनट खोये बिना यह विधेयक लाया गया। यद्यपि इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है, बिल्कुल सीमित उद्देश्य है जिसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिये, और मैं निवेदन करूंगा...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता हूं। वह कौन सा काला कानून था, कौन सी धारायें थीं जिसके कारण यह हुआ ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री डागा।

श्री रतनलाल वर्मा : आप बीच में नहीं बोलेंगे ।

श्री सभापति : आप भी यह व्यवस्था नहीं देंगे । आप ऐसी व्यवस्था आसान से चाहेंगे । मैं इसके प्रति जागरूक हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि एक बहुत ही सीमित उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है । बड़े परिप्रेक्ष में विचार हुआ, बड़ी चिन्ता प्रगट की है श्री मथुरादास जी माथुर ने, मैं स्वागत करूंगा उनका । बड़ी चिन्ता प्रगट की पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं उनका भी स्वागत करूंगा । हम सब मिल कर बैठेंगे और आप और हम आद्योपान्त तीनों विश्वविद्यालयों के इन सारे एक्ट्स पर पूरा विचार करेंगे । आगे चल कर जो आने वाली समस्यायें हैं, आगे जितनी भी समस्यायें आयेंगी उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके आधार पर यहां संशोधन रखने की कोशिश करेंगे । किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया, सिण्डीकेट के ठीक फार्मेशन के बिना यूनिवर्सिटीज का कार्यकलाप एक भी दिन चलना मुश्किल है । बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है उसमें । जो कोई सिण्डीकेट के सदस्य माननीय सदस्य रहे होंगे, या उसके क्षेत्र से परिचित होंगे, उनको ज्ञान होगा कि एक एक बात के लिए सिण्डीकेट की मीटिंग करके उसके द्वारा निर्णय लेना आवश्यक होता है । जो सिण्डीकेट का अध्यादेश उस समय बनाया गया था आपातकाल की स्थिति में, उसे एक मिनट के लिए भी सहन करना मुश्किल है कोई भी स्वाभिमानी उसको बरदाश्त नहीं कर सकता । उसे समाप्त करना आवश्यक है । इसलिए इस विधेयक को जो प्रवर समिति को भेजने की बात कही गई है, मैं सभी बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरा इसमें सहयोग करेंगे । एक नोमीनेटेड बोडी से इलेक्टेड बाडी की तरफ हम कुछ जा रहे हैं ।

कुछ चिन्ता प्रगट की गई और चिन्ता भी उनके द्वारा प्रगट की गई जिन्होंने सिण्डीकेट को कठपुतली बना कर अपने हाथ में रखा हुआ था । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उस नाते से पुनः विचार कर लिया जाय । किन्तु एक बात देख लीजिये, जो नोमीनेटेड हैं वे बाई रोटेशन हैं । उसमें ऐसा नहीं होता कि केवल कुछ लोग चले आवें, विश्वविद्यालय में जो रोटेशन पद्धति निर्माण हुई है उसमें विश्वविद्यालय के क्षेत्र में तानाशाही को बहुत अधिक समाप्त कर दिया गया । राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट में सदस्य होने के कारण मैंने देखा है कि उसके कारण जो सीनियर लोग थे उनको बड़ी व्याकुलता होती थी किन्तु रोटेशन होने के कारण यह बात नहीं रही । यह बात सच है कि जहां सात प्रोफसर हैं वहां इलेक्शन क्या होगा ? जहां पांच डीन होंगे वहां क्या इलेक्शन होगा ? मेरे माननीय बन्धु इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह रोटेशन एक प्रकार का इलेक्शन ही है । मैं समझता हूं कि माननीय साथी मेरी बात से सहमति प्रगट करेंगे, इस नाते अधिक चर्चा नहीं करना चाहता ।

मैं आपको, श्रीमान, कहना चाहता हूं, यह बात सच है कि सम्पूर्ण रूप से इलेक्टेड बोडी यह नहीं है । किसी भी एकेडेमिक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से इलेक्टेड बोडी शायद सभी

Page No 76

(76)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दृष्टि से श्रेष्ठ भी नहीं होगी । धीरे धीरे इसका प्रयास किया जाएगा, जनमानस बनाया जाएगा किन्तु जहां तक वे पहुँचे थे, जो मंजिल पार की थी 1972 में, 1972 में जो निर्णय किया था, पार्टीसिपेशन आफ स्टूडेन्ट्स, पार्टीसिपेशन आफ इलेक्टेड टीचर्स, पार्टीसिपेशन आफ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, यह जो निर्णय किया था, हमारे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ गये थे परन्तु उस पर रोक आपात काल में लगाई गई थी । एक रोक खड़ी की गई थी । उस रोक को दूर करने का यह प्रयत्न चला है और थिंकिंग चला है । हम चाहेंगे कि समाज को एजूकेट करें । उस नाते से प्रयत्न करें और धीरे धीरे एकेडेमिक क्षेत्र में भी अधिक से अधिक इलेक्टेड लोग आ जावें । इसके लिए सब लोग चिन्ता करेंगे और मुझे भी चिन्ता है । माननीय सदस्य, विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए यह बात कहना चाहता हूं । यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विरोधी दल के माननीय विधायक श्रीमान रघुनाथ विश्नोई, माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जी जैन, माननीय श्री मूलचन्द जी डागा, श्रीमान खेतसिंह जी ने वाइस चान्सलर के सलेक्शन को लेकर बहुत चर्चाएं की हैं । मैं सदन के सामने सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका है । उसमें यू.जी.सी. का एक नामीनेटेड व्यक्ति रहता है. चांसलर का नामीनेटेड व्यक्ति रहता है और सिन्डीकेट का एक नामीनेटेड व्यक्ति रहता है । ये तीनों ही लोग मिल कर, ये गोपनीय नाम है, आपके सामने नहीं बताना चाहूंगा, ये नाम आपके ध्यान में ही हैं, वे हमारे नहीं हैं, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के ही लोग हैं, ये तीन लोग होते हैं, ये तीन लोग मिल कर तीन लोगों का पेनल देते हैं और तीनों में से····

श्री मथुरादास माथुर : ये तीन नाम गोपनीय नहीं है । ये नाम आपको सदन में बताने पड़ेंगे । मेरा निवेदन है कि यह प्रावधान है यूनिवर्सिटी एक्ट के मातहत, चांसलर एक नामीनेट करेगा, एक सिन्डीकेट नामीनेट करेगी और एक यू. जी. सी. नामीनेट करेगा । उनके नाम मालूम होने चाहिए कि वे कौनसे लोग हैं जिन्होंने कि राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के साथ अत्याचार किया है It is my privilege to know the names of those persons.

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक यू. जी. सी., एक सिन्डीकेट और एक चांसलर का रहता है इन तीनों बंधुओं की एक कमेटी होती है और वे पेनल देते हैं तीन लोगों का कि इन तीनों में से वाइस चांसलर बनाया जाये । ये तीन लोग तीन नामों का पेनल देते हैं जो चांसलर महोदय के पास जाता है । चांसलर महोदय उन तीन नामों में से, राज्यपाल महोदय के नाते नहीं, चांसलर के नाते, एक को वाइस चांसलर बनाने का तय करते हैं । माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगाये गये हैं । मैंने भाटिया जी का नाम वाइस चांसलर के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई है, तब जाना है । दोनों प्रकार की बातें

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अखबारों में छपी हैं। इमर्जेन्सी में उन्होंने क्या किया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। यह सीधे सीधे उन तीन व्यक्तियों की कमेटी थी, उनके दिये गये पेनल में से किसी एक व्यक्ति का सलेक्शन करना चांसलर महोदय पर निर्भर करता है। मैं चाहूंगा कि विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य, विशेषकर से जोधपुर से आने वाले प्रभावी सदस्य ...

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के अनुसार श्री भाटिया जी की नियुक्ति की गई है। मैं कहीं गलती कर सकता हूं किन्तु प्रमाणिक ही कहूंगा, अप्रमाणिक नहीं कहूंगा। यह हमारी आदत नहीं है। यह उनकी आदत है, जो इस क्षेत्र में सदा रहते हैं।

इसकी बहुत चर्चा की गई है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति का बहुत प्रवेश कराया जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता यह बात। मैं सिन्डीकेट का सदस्य चुन कर गया था। सिन्डीकेट का इलेक्शन हुआ और मैं सिन्डीकेट का सदस्य बन गया। किन्तु हम को पता है, जिस समय यह अध्यादेश आया, उस वक्त क्या चर्चा चलती थी रूलिंग पार्टी के अन्दर ? क्या मेरा अपराध था ? जनसंघ दल का व्यक्ति होने के नाते मुझे हटा दिया गया। जनसंघ में जनसंघी के नाते और एजूकेशन में एजूकेशनिस्ट के नाते दखलन्दाजी हो सकती है आप यह हेराफेरी करके क्यों चलते है ? संघ का कोई व्यक्ति चुन कर आ गया तो क्या तकलीफ हो गयी ? ऐसे व्यक्ति राजनीति में राजनीतिज्ञ के नाते रहेंगे और एजूकेशन के क्षेत्र में एजूकेशनिस्ट के नाते रहेंगे। यह मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रमाणिक है। अप्रमाणिक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति को कभी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाये। चाहे विद्यार्थी के नाते, चाहे अध्यापक के नाते, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी फूले फले, एक स्वाध्याय का वातावरण वहां पर बने और विरोधी दल के माननीय सदस्य उसमें सहयोग दें। किन्तु इसकी अधिक चर्चा करके आप विधान सभा में क्या करना चाहते हैं ? इसकी अत्यधिक चर्चा करके सारे प्रदेश में ऐसा वातावरण बना दें और यह बात बने, जिसको किसी भी कीमत पर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं समझेगा। आप बैठें, बात करें। सब बातों पर विचार करेंगे और कोई निष्कर्ष उससे निकलेगा। इस प्रकार का वातावरण न बनावें। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय रहने दीजिये। शिक्षा का केन्द्र बनने दीजिये, इस नाते मैं यह कहना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में बहुत अधिक चर्चा की गई कि राजस्थान के लोग बहुत कम है, राजस्थान के अध्यापक बहुत कम हैं। यह बात सच है। कहां गलती हुई कैसे गलती हुई है, यह देखना होगा। परन्तु ये विश्व विद्यालय हैं इनके नाम विश्वविद्यालय रहने दीजिये। इनके बारे में यहां पर चर्चा कर के, इस देश जो उत्तरी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, के बारे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
मे कौनसी भावना, वातावरण पैदा करना चाहते हैं ? यह सच है, हमारे प्रोफेसर काबिल हों, शिक्षा का स्तर बढ़े और, राजस्थान के प्रतिभावान व्यक्ति निश्चित रूप से आगे आवें परन्तु इसकी बहुत अधिक चर्चा करके, कौन सी बात करना चाहते हैं विश्व विद्यालय के माध्यम से।

एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं, कुछ चर्चा पाली से आये हुए हमारे माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा जी ने की है। उन्होंने कहा कि नापाक कदम बढ़ रहे हैं। शोर शराबा बढ़ रहा है। विद्यार्थी जा रहे हैं। जानकारी तो करें, वे कौन विद्यार्थी थे, किन से सम्बन्धित थे ? वे कौन सी बात लेकर गये थे ? विश्वविद्यालय में अनुशासन हो, यह मैं भी चाहता हूं। परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब विश्वविद्यालय की परिधि में घुस कर प्रशासनिक भवन पर कब्जा कर लोग बैठे रहे तीन तीन दिन तक तो वे कौन लोग थे ? इसका भी आप जवाब दें ? उसको नहीं कहा जायेगा, उसकी चर्चा नहीं की जायेगी किन्तु आज इसकी चर्चा की जायेगी। मैं यह कहना चाहता हू माननीय सदस्य से···

श्री जय कृष्ण शर्मा : तो आप यह चाहते है कि चर्चा नहीं करें···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुंह में राम बगल में···

एक माननीय सदस्य : छुरी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : छुरी हो तो बात होती। परन्तु ये तो इसको मानने वाले नहीं। बगल में कोकशास्त्र है। ऋण कृत्वा मदिरा पिबेत। छुरी का प्रयोग नहीं कर कोक शास्त्र का प्रयोग करते हैं। यह कौन सी भावना को प्रकट करना चाहते हैं ? आप कौन सी भावना को पैदा करना चाहते हैं इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ? मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को अविलम्ब आवश्यकता समझते हुए यह विचारार्थ आपके सामने प्रस्तुत है। माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति को सौंपने का विचार प्रकट किया है, उसके साथ मेरी सहमति नहीं है। मुझे आशा है, मेरी बात सुनने के बाद विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य इसका अनुमोदन करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन कब्जा किये हुए बैठे रहे, वह नहीं बताया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से यूनिवर्सिटी फण्ड के बारे में कहा लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल नजरअन्दाज कर दिया है। मैं मानता हूं जैसा उनका बिल छोटा है, वैसा ही उनका दिल छोटा है।

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य :

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खंडशः विचार

खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें। प्रभारी मन्त्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 के खण्ड 2 में...

श्री खेतसिंह : हिन्दी में पढ़ लीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : "सीनेट द्वारा अपने उन गैर अध्यापक और गैर छात्र सदस्यों में से निर्वाचित किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से किसी के भी कर्मचारी न हों।"

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सुराना।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

खण्ड 3 में संशोधन प्रस्ताव मूव करते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपधारा (ix) में निम्नलिखित स्थापित किया जाये।

प्रतिस्थापन हेतु धारा 16 की उप-धारा (i) का खण्ड (ix), निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय :

"(ix) सीनेट द्वारा अपने उन गैर-अध्यापक और गैर-छात्र सदस्यों में से निर्वाचित किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से किसी के भी कर्मचारी न हों।"

श्री मथुरादास माथुर : The Bill is in English. Therefore, the amendment should also be in English.

Page No 80

(80)

श्री सभापति : मुझसे गलती हुई। मूल बिल इंगलिश में है। इसलिए इंगलिश में प्रस्तुत किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : जल्दी जल्दी कर रहे हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : आप कभी हिन्दी की बात करते हैं, कभी अंग्रेजी की।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Replace clause (ix) of sub-section (1) of section 16 sought to be substituted, by the following:—

"(ix) Two persons, to be elected by the Senate from amongst its non teacher and student members who are not the employees of the University or any of the colleges recognised by it;

2. Replace clause (vii) of sub-section (1) of section 16 sought to be substituted, by the following:—

"(vii) Two teachers, who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on the 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Principals, Heads of recognised/constituent colleges, to be elected by the teachers of recognised/constituent colleges from amongst teachers."

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर दिया जाये तो उसको एक दिन पहले दिया जाये। यह एक दिन पहले नहीं आया है। बिल को इन्ट्रोड्यूज करते समय शासन की ओर से ताड़ना दी गई थी। अगर रोज रोज ऐसा किया गया तो उचित नहीं होगा।

श्री बाऊदयाल जोशी : इस पर बात हो चुकी है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने अध्यक्ष महोदय के सामने यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने इस पर निर्णय दिया था कि अनुमति दी जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : समय के अनुसार।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, 3 क्लाज बोला था। नियम से क्लाज 3 के सब क्लाज (vii) और (ix) में अमेंडमेंट दे रहे हैं, सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो हाउस में यह बताना जरूरी है कि क्या जरूरत पड़ी है सब्सटीट्यूट करने की।— The House has a right to know why he is substituting the clause ?

मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि लम्बा चौड़ा भाषण दें। दोस्तों या मित्रों को नहीं सुनायें। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि किसी इण्टेंशन से ला रहे हैं। कोई भी हो सकता है जो आपके ध्यान में आया होगा।

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रक्रिया यह रही है कि मिनिस्टर बिल के क्लॉज को सब्सटीट्यूट करता है तो वह उसके बारे में कुछ कहता है।

श्री एच.एन.शर्मा : अमेन्डमेन्ट है क्या ?

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (ix) में गैर अध्यापक, गैर छात्र, इनको लाने के पीछे भावना यही · · ·

श्री सभापति : नहीं, आपका एतराज यह था कि यह अमेन्डमेन्ट कब दिया गया और किस इरादे से ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह नहीं। मिनिस्टर इन्चार्ज इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट नहीं ला सकते हैं, यह मैं नहीं कहता। मैं यह कह रहा हूं कि इसको आप सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चार क्लाजेज का यह विधेयक है, इसमें आपको सब्सटीट्यूट करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, 'गैर अध्यापक' और 'गैर छात्र' यह शब्द रखने के पीछे मन में यह भावना है कि एक ओर जहां राजस्थान विधान सभा की ओर से एक प्रतिनिधि सिण्डीकेट में भेजने का प्रावधान है वहां विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखने वाले रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, रिकग्नाइज्ड ग्रेजुएट जो रहते हैं, और जो सीनेट के सदस्य चुनकर आते हैं, विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थी रहते हैं, जनता के भी व्यक्ति रहते हैं उनके भी प्रतिनिधि इस नाते वे हों, वरना इन चुनावों के अन्दर छात्रों के लिए अलग रखने का प्रावधान है ताकि इलेक्शन में कोई रजिस्टर्ड ग्रेजुएट आ सके, उनका पार्टिसिपेशन राइट हो, चुनाव में जीतकर आयें। इसी भावना से यह संशोधन सदन के अन्दर रखा गया है।

दूसरा धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (vii) में यह बात विचार करने के बाद लाया गया कि सीनेट जो बॉडी है, जिसका काम केवल मात्र सलाह देना होता है उसमें अध्यापक आने चाहिए। सारे अध्यापक मिल जाते हैं तो हाउस सारे अध्यापकों का रहता है। सिन्डीकेट में भी जिन अध्यापकों का निर्वाचन हो, वह इनडाइरेक्ट नहीं हो, सीनेट में चुने हुए सदस्य ही चुनाव लड़कर नहीं जायें बल्कि सिन्डीकेट के लिए सभी प्राध्यापकों में से चुनाव लड़ सकें और फिर जायें। इस हेतु यह अमेन्डमेन्ट इस सदन में रखा गया है।

श्री सभापति : माननीय श्री माणकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं वे अमेन्डमेंट्स इस बिल को और डेमोक्रेटिक बनाने के लिये पेश किये हैं। अभी मन्त्री महोदय जिन अमेन्डमेन्ट्स को सब्स्टीट्यूट करने का जिक्र

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कर रहे थे उनसे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को बल मिलता है और ये जो सुझाव पेश किये गये हैं इनसे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को बल मिलेगा। मेरा संशोधन प्रस्ताव है:

"Two Professors of the University departments to be elected by the teachers of the University"

यद्यपि जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेन्ड) बिल में वन प्रोफेसर है, मैंने दो प्रोफेसर एड करने के लिये कहा है। he may be elected by the teachers of the university टीचर्स द्वारा इलेक्टेड होंगे तो जो प्रोफेसर पापूलर होंगे, वे ही सिण्डीकेट के सदस्य बन सकेंगे। अगर योग्य नहीं हैं और पापूलर हैं और इलेक्शन के बेसिस पर आ जाते हैं तो सिन्डीकेट के मेम्बर बन कर के अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो स्थिति यह है कि सीनियर मोस्ट बाई-रोटेशन भी हो तो थ्री ईयर्स का टाइम होता है। फिर बाद में बिल में यह प्रोविजन है कि टू टर्म्स के लिए नामीनेट किया जा सकता है। अब यह मान लिया जाय कि एक टर्म के लिए हैं तो थ्री ईयर्स के होने के बाद सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को ही लाभ मिल सकेगा और दूसरे जो योग्य हैं वे नहीं आ सकेंगे, भले ही वे अनुभवी, योग्य और पापूलर भी हों। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है यह प्रोफेसर के बारे में, डीन के बारे में, प्रिन्सिपल्स के बारे में दिया है।

एक अमेण्डमेन्ट रखा है 'Seven years' के बारे में। इसके स्थान पर 'four years' होना चाहिए। सेवन इयर्स पर ही जोर क्यों दिया? फोर ईयर्स एक्सपीरियेन्स रखने वाले यदि योग्य व्यक्ति खड़े होते हैं और जीतकर आ जाते हैं हालांकि इलेक्शन का जो मेथड आपने रखा है उससे मैं भी एग्री करता हूं लेकिन अगर फोर ईयर्स के मिल जाते हैं तो इसमें क्या डिफिकल्टी है? इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी भावना बिल में प्रस्तुत की गई है, इससे उसको बल मिलेगा, और स्ट्रेन्दन करेगा, इसलिए इसको स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मेरा अमेण्डमेन्ट बहुत ही इन्नोसेन्ट है।

श्री एच. एन. शर्मा : आप भी बहुत इन्नोसेन्ट हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह बड़ी महरबानी करके चुने हुए नुमाइन्दे का प्रावधान रखा गया है। मैंने तरमीम में यह कहा है कि एक की जगह कम से कम दो लिख दें। ताकि दो एम.एल.ए. वहां पर जायं तो आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक आदमी तनहाई में क्या करेगा? यह भी मैं नहीं लिखता क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपने लिखा है, representation of the peoples' 's' लगाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो रखे हैं तो जोधपुर और उदयपुर यूनिवर्सिटी के साथ में कोई पक्षपात तो नहीं करना चाहिए। आप आयेंगे तो हम आपका स्वागत ही करेंगे। इसलिए दो होने चाहिए, यह मेरा सुझाव है। दूसरी बात यह है कि इस हाउस में कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, जनता पार्टी के भी हैं, सी. पी. आई. के भी और सी. पी. एम. के भी हैं। घटकों की बात तो मैं नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

कहता मगर इतने लोग बैठे हुए हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है इसलिए दो आदमी कम से कम करें तो पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव कुछ कर सकेंगे, एक बात। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे एक शंका है। यह जो आपने सीनियोरिटी की बात की है और अमेंडमेंट, क्लाजेज में हर जगह यह शब्द काम में लिया है, in accordance with seniority. यह सीनियोरिटी कौन डिटरमिन करेगा? कालेजेज के हैं कान्स्टीट्यूएंट कालेजेज के हैं, तीन तरह के कालेजेज हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। जोधपुर यूनिवर्सिटी का कैम्पस है, उसके दो रिकग्नाइज्ड कालेजेज हैं: सोमानी कालेज और लच्छू कालेज, उनके कुछ कान्स्टीट्यूएंट कालेजेज भी होंगे जैसे कमला गर्ल्स कालेज है– सबके अलग अलग प्रिंसिपल हैं। अब उनकी सीनियोरिटी कौन तय करेगा? There is nothing like seniority list. हमारे कालेज में अलग गवर्निंग बॉडी है, मैं उस कालेज का गवर्नर हूं। मैं सीनियोरिटी डिटरमिन करता हूं। कोई सीनियर इन एज हो सकता है। सीनियोरिटी कौन डिटरमिन करेगा? कौन रोटेशन से तय कराएगा? यह कोर्ट में जाने वाली बात हो सकती है रिट के जरिए। वह कहेगा मैं सीनियर हूं, वह कहेगा मैं सीनियर हूं। आप इसको वर्केबल बनायें। सरकारी कालेजों की तो इन्टर से सीनियोरिटी विभाग में है लेकिन इन्टर से सीनियोरिटी अलग अलग कान्स्टीट्यूएंट कालेजेज की नहीं। न नियम है। there is nothing like seniority list, because they are different institutions, autonomous institutions. इसलिए आप सीनियोरिटी वाले मामले पर और गंभीरता से सोचें नहीं तो यह बिल इन्फक्चुअस हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको तवज्जह दिला रहा हूं ताकि यह वर्केबल हो।

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम रोटेशन से करेंगे। आपने यह भी कहा कि दो टर्म्स तक नामीनेट हो सकता है एक प्रिन्सिपल। तो सीनियोरिटी की बात सोच लीजिए और अपने अधिकारी से पूछिए कि आपको एम्बेरेसिंग पोजीशन में क्यों डाल रहे हैं? एक प्रिन्सिपल नामीनेट हो गया, तीन साल के लिए। तीन साल खत्म होते ही जो दूसरा प्रिन्सिपल सीनियर था उसका ट्रांसफर हो गया या वह रिटायर हो गया, दूसरा नया आदमी आ गया वह जूनियर है। अगर सीनियोरिटी डिटरमिन हो गई, तो जूनियर है वह कहेगा कि मैं पहले तीन साल रह चुका हूं, मुझे दुबारा रखो। हो सकता है, दूसरे टर्म में फिर वह आ जाए जो जूनियर है। इस प्रकार जगह खाली रह जायगी और you will not be able to nominate anybody.

कानून बनाते समय ये बारीकियां सोचनी चाहिए थीं और आपने सोची भी होंगी। मगर मुझे शंका है, आप समाधान करें। सिनीयोरिटी वाला मामला कभी भी आपसे पोस्ट वैकेन्ट रखवाएगा और ये सब क्लाजेज इन्फक्चुअस हो जायेंगे। जिस भावना से यह अमेंडमेंट बिल लाए हैं कि 1975 में इमर्जेन्सी में आर्डिनेन्स से डेमोक्रेसी खतरे में थी, जन प्रतिनिधि नहीं थे, उससे अब ज्यादा खतरा हो जाएगा। जो पहले था वह रह जाएगा, बाकी सब वर्केबल नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका प्रपोजल वर्केबल हो। सीनियोरिटी डिटरमिन नहीं होगी। उसके बाद सैकन्ड पाइंट रेज की है कि रोटेशन के अन्दर कन्फ्यूजन क्रियेट होगा।

(श्री मथुरादास माथुर)
तरमीम नम्बर 2 है ।

after clause (x) add the following new clause (xi) as follows—

(xi) The Finance Commissioner to the Government of Rajasthan or any other person authorised by him, not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Rajasthan

ये सीनेट के सदस्य होने चाहिए । मैं तजुर्बे से कह रहा हूं । वित्त मंत्री व योजना मंत्री के नाते इन तीनों विश्वविद्यालयों की एक हाई पावर कमेटी को मैंने हैड किया है । मेरी पूरी धारणा है कि आप एक्सपर्ट्स लेना चाहें तो लें । प्लान में रुपया 'ए' पर्पज के लिए लिया जाता था, खर्च होता था 'बी' पर्पज के लिये । आज राजस्थान विश्वविद्यालय में ही हाल नहीं है जहां पर शिक्षा मंत्री या बाहर का आया हुआ आदमी जाए और एड्रेस करे । स्वीमिंग पूल जरूर है । हाल के लिए रुपये मांगने आए तो मैंने उनसे कहा कि स्वीमिंग पूल को उल्टा कर दो, अपने आप हाल बन जाएगा । तुमको स्वीमिंग पूल नहीं बनाना चाहिए । रुपया एडहाक देते हैं, वाइस चांसलर की मर्जी जहां आई खर्च कर दिया । जोधपुर यूनिवर्सिटी में इंजिनियरिंग कालेज का रुपया आर्ट्स और कामर्स कालेज पर खर्च किया और इंजिनियरिंग कालेज को स्टार्व किया गया । तो वित्त आयुक्त सभी जगह नहीं जा सकता हो तो डिप्टी सैक्रेटरी के लेवल का अधिकारी, जो आई. ए. एस. होता है, सरकारी प्रतिनिधि होकर इस सिंडीकेट में बैठे । वरना आपका सब रुपया और कहीं काम आ जाएगा, वाइस चांसलर अपनी मर्जी से खर्च करेगा । आप एक विधायक की जगह दो करें, वित्त आयुक्त, सीनियोरिटी और रोटेशन की बात को गंभीरता से सोचें ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने को जरा सीमित रखें क्योंकि अभी विधायी कार्य कार्यसूची के अनुसार बहुत है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो बिजनेस एडवाजरी कमेटी की बात है । इस तरह के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, यदि पाइन्ट आउट नहीं करें तो फिर we are in your hands

श्री हनवंतसिंह (बाली) : सभापति महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी में रोटेशन आफ हैडशिप नहीं है । पहले की सरकार ने वहां इस तरह के प्रोफेसर्स को सलेक्ट किया था जो बिल्कुल हमारे राज्य के नहीं हैं । इसलिए अब जिस मन्शा को लेकर इस बिल पर विचार कर रहे हैं कि सिंडीकेट अधिक लोकतांत्रिक हो, सिंडीकेट के द्वारा हमारी मन्शा पूरी हो, हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व हो, वह पूर्ण नहीं हो पाएगी । मैंने आपकी सेवा में एक संशोधन पेश किया है जिसमें मैंने निवेदन किया है कि एक प्रोफेसर कम से कम ऐसा हो जो यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ में से, सारे शिक्षकों में से चुने जायं और इसका सीनियोरिटी से संबंध न हो । वह सिंडीकेट में टीचर्स का प्रतिनिधित्व करें जो वाइडर सैक्शन है यूनिवर्सिटी का ।

दूसरा संशोधन इस पाइन्ट पर रखा है कि जो भी विद्यार्थी चुनकर सिन्डीकेट में जाता है उसको प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी ही

(श्री हनवंत सिंह)

चुनकर भेजें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वह यूनिवर्सिटी का प्रेसीडेंट क्यों न हो, प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी ही चुनकर उसको सिन्डीकेट में भेजें तथा दो व्यक्तियों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की कान्स्टीट्यूएन्सी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा जाए।

तो, सभापति महोदय, मैंने जो तीन अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं उनके लिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उनको ध्यान में रखें।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय (अमेंडमेंट) बिल पर आज सदन में विचार चल रहा है इसमें मैंने भी कुछ अमेन्डमेंट्स दिये हैं। उसके बारे में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने सेक्शन 1 के अन्दर क्लॉज (iii), (iv) और (v) के अन्दर अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं इस बिल में कहा है :

Two eminent educationists to be nominated by the Chancellor..

इसमें दो एजूकेशनिस्टों के लिए कहा है वह ठीक है। उसे तो मैं मान लेता हूं। पर मैंने संशोधन दिया है वह उसमें आगे जोडा जाय क्योंकि इस बिल में कोई गारन्टी नहीं है कि एक बार इस बिल के पहले जो व्यक्ति सिंडीकेट के सदस्य मनोनीत किये गये वापस उनका सिन्डीकेट में मनोनयन नहीं किया जायगा। मैंने इसके लिये परन्तुक जोडा उसमें यह लिखा है--

after clause (iii) the following proviso shall be added—

"Provided that no person who has been nominated on the Syndicate and had served a full term before the enactment of this Act shall be eligible for nomination."

फिर यही बात मैंने क्लाज चार के लिए वाजिब समझी है। वही बात इस क्लाज पर लागू होती है। क्लाज (iv) के अन्दर है :

"One Professor from amongst the Professors of the University to be nominated by the Vice-Chancellor in rotation in accordance with their *inter se* seniority as Professors in the University."

इसके अन्दर भी कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि इस बिल के पहले जो व्यक्ति सिंडीकेट के सदस्य मनोनीत किये गये थे उनको अब मनोनीत नहीं किया जायगा इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार आप पहले के लोगों को भी नोमीनेट कर सकते हैं। इसलिए फिर वही परन्तुक क्लॉज पांच में जोडना होगा। मैंने इसलिए यह संशोधन रखे हैं। मैं समझता हूं, यह वाजिब है नयी सिन्डीकेट बने उसमें अगर पहले के लोगों को ही ले लेते हैं तो उचित नहीं है। यह भय बना हुआ है। इसलिए जब आप नयी सिन्डीकेट का गठन करने जा रहे हैं तो कहीं उसका पर्पज डिफीट नहीं हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिये है उन पर गौर करें। इसके आगे क्लॉज (x) में है:--

in clause (vii) for the words "to be elected by the Senate from amongst its members" the words "to be elected by the teachers from amongst themselves" shall be substituted

श्री सभापति : सात है, बजाज दस नहीं है।

श्री माधोसिंह कछवाह : हां ! Sorry for clause (x) the following clause shall be substituted—

"(x) One person to be elected from amongst the students"

मुझे खुशी है कि सरकारी पक्ष से जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं वह इसी भावना के अनुरूप हैं। इसलिए इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री परसराम मदेरणा : कहां अनुरूप है ?

श्री सभापति : Let him say please

श्री माधोसिंह कछवाह : इसमें आगे क्लॉज (x) है। सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि जो शब्द मैंने संशोधन के अन्दर प्रस्तुत किया है वह मूल संशोधन से भिन्न है। मैंने प्रस्तुत किया अर्थात् जो अमेन्डमेन्ट मैंने प्रस्तुत किया है :

"One person to be elected from amongst the students"

इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी का चयन सीनेट में हो और वह सिन्डीकेट में जावे, यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में जो सम्बन्ध होने चाहिये वह आज नहीं हैं। सभापति महोदय, आपने सुना होगा, अभी हाल में जोधपुर यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनायें हुई हैं कि परीक्षा के वक्त विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। लोग परीक्षा भवन से वाक आउट कर गये। यह जो प्रवृत्ति आज विद्यार्थियों में है यह उचित नहीं है। आज के विद्यार्थियों में जो भावना है वह आदेशों की अवहेलना करने की है। जो विद्यार्थियों के अन्दर अध्यापकों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए वह नहीं है। अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी में बहुत ही भयंकर स्थिति हुई। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी विद्यार्थी को सीनेट में रखेंगे तो सीनेट में अधिकांशतः अध्यापक, हैड ऑफ डिपार्टमेण्ट्स और प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं। चार विद्यार्थी अगर सीनेट में आते हैं तो वह चारों विद्यार्थी चुनावों में खड़े होंगे और वे अलग अलग अध्यापकों से वोट मांगेंगे। इसके साथ साथ यह भी है कि इन चुनावों में कई बार राजनैतिक पार्टियां भी विद्यार्थियों का बैकिंग करती हैं और विद्यार्थियों को भड़काती भी हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर्स वगैरह के भी इन राजनैतिक पार्टियों के चक्कर में आ जाते हैं। कई बार इन विद्यार्थियों से ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं कि वे उन अध्यापकों पर वोट के लिए अनुचित दबाव भी डालते हैं। वोट के लिए उन्हें परेशान करते हैं। तो मेरा सुझाव इसमें सिर्फ इतना ही है कि चाहे आप विद्यार्थियों को रिप्रेजेन्टेशन दें लेकिन विद्यार्थियों का चुनाव विद्यार्थियों में से ही होना चाहिए और अध्यापकों का चुनाव अध्यापकों में से होना चाहिये। जो विद्यार्थी सिन्डीकेट में आयें वे विद्यार्थियों में से ही चुने जायं। और अध्यापकों का चुनाव सिन्डीकेट के लिए अध्यापकों में से ही किया जाय ताकि विद्यार्थियों और अध्यापकों के सम्बन्ध में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो और दोनों में मधुर सम्बन्ध रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन्हें स्वीकार किया जावे।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैंने इस सेक्शन में चार संशोधन दिये हैं। पहला डीन्स में से सिंडीकेट में मनोनयन वरिष्ठता के आधार पर नहीं करके सभी डीन्स में से किन्हीं दो का मनोनयन किया जाय जिससे जो एक डीन राजस्थानी हैं उन्हें भी सिंडीकेट में जाने का अवसर मिल सकेगा। वरिष्ठता से करने पर यह स्थिति नहीं आ सकेगी। माननीय मंत्रीजी को इसको मानने में एतराज नहीं होना चाहिये। दूसरा संशोधन मेरा यह है कि अध्यापकों में से ही दो अध्यापकों का चुनाव किया जाना चाहिये। जो संशोधन माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसमें मेरे संशोधन की जो भावना है उसका कुछ हद तक समावेश हो गया है इसलिये मैं इस संशोधन को प्रेस नहीं कर रही हूं।

एक माननीय सदस्य : इसको विथड्रा ही कर लीजिये।

श्रीमती मदन कौर : तीसरा जो मेरा संशोधन इस सेक्शन के सम्बन्ध में है वह यह है कि विधायकों में से एक विधायक के स्थान पर दो होने चाहिये। इसके सम्बन्ध में काफी विचार सदन के सामने आ गये हैं। मेरी यह मान्यता है कि सिंपुलस रिप्रेजेन्टेटिव किसी विश्वविद्यालय में एक हो जाय यह उचित नहीं लगता है। पहले भी यह प्रोविजन रहा है और यह व्यवस्था भी थी। इसी परम्परा को माननीय शिक्षा मंत्री जी को मानना चाहिये।

चौथा संशोधन है छात्रों का सिण्डीकेट में प्रतिनिधित्व होने के सम्बन्ध में। इस विधेयक में प्रावधान है कि एक छात्र जो सिण्डीकेट में जावेगा वह छात्र तो होगा परन्तु छात्रों का प्रतिनिधि नहीं होगा। एक के स्थान पर दो छात्रों को लिया जाना चाहिये। जिसमें से एक छात्र वह हो जो स्टूडेन्ट्स यूनियन का इलेक्टेड अध्यक्ष हो। जो छात्र स्टूडेन्ट्स यूनियन से इलेक्ट हो कर आवेगा उसी छात्र को प्रतिनिधि मानना चाहिये। इस अध्यक्ष को एक्स आफिसियो मेम्बर मानना चाहिये। दूसरा स्टूडेन्ट हो वह कान्स्टीट्यूएन्ट कालेजेज और एफिलियेटेड कालेजेज से चुन कर आये। माननीय मंत्री जी मेरी भावना को समझेंगे। छात्र हो तो वह छात्रों का प्रतिनिधि हो, सीनेट का नहीं।

मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्रीजी मेरी भावनाओं को समझेंगे और मेरे संशोधनों को मानेंगे।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन ने यह संशोधन दिया है :

"Two Professors of University departments to be elected by the teachers of the University;"

मैंने पहले ही इस बात का पूरा विश्लेषण कर दिया है। इसलिये मैं माननीय सदस्य का यह संशोधन मानने में असमर्थ हूं।

दूसरा है :

"Two deans of faculties to be elected by the teachers of the University and affiliated colleges;

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
इस बात की भी मैंने चर्चा की थी। डीन्स की संख्या बहुत कम है। दूसरे इसमें यह कहा गया है 'in rotation' उससे यह भावना पूरी हो जाती है। इस कारण से इस संशोधन को भी मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं।

तीसरा है :

"Two Principals to be elected by the teachers of the affiliated colleges excluding the University colleges,"

आचार्यों की संख्या 5-6 रखी है इसलिये एक प्रिन्सिपल का मनोनयन करना है प्रिंसिपल्स में से। यह उनकी भावना को पूरी कर देगा इसलिए इस संशोधन को भी मानने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्रीमती मदन कौर : दो डीन हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चौथा है :

"In clause (vii) the words 'seven years' shall be replaced by the words 'four years.'"

अनुभव का पूरा विचार रखने की दृष्टि से, करने की दृष्टि से यह सात साल की मियाद रखी है। इस कारण से इसको भी मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं।

पांचवां है :

For clause (viii) the following clause shall be substituted—

"(viii) Three members of the State Legislature, two from the ruling party and one from opposition, to be nominated by the Speaker."

मन में एक विचार यह था सरकार के कि जोधपुर, उदयपुर यूनिवर्सिटीज छोटी हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में कालेज और एफिलियेटेड कालेज बहुत हैं इसलिए उसमें दो हों और उनमें एक एक ही रखा जाय। माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए उनमें भी दो दो निश्चित रूप से रखना चाहूंगा। इसलिए जो माननीय श्री मथुरादासजी माथुर का संशोधन है:
"In clause (viii) substitute the word 'Two' for the word 'One'; and यह मैंने मान लिया है।

दूसरा संशोधन उनका यह है : After clause (x) add the following new clause (xi), as follows—

"The Finance Commissioner to the Government of Rajasthan or any other person authorised by him, not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Rajasthan."

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी और है विश्व विद्यालय में, फाइनेन्स कमेटी। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स रहता है, वह सारा विचार रखता है, सारी चिन्ता करता है। इसलिये जो भावना उन्होने प्रकट की है इससे पूरी हो जाती है। फाइनेन्स का उस कमेटी में आदमी रहता है इसलिये मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

एक संशोधन तो दिया नहीं लेकिन इन्टर-सी सीनियोरिटी का प्रश्न माननीय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
सदस्य ने उठाया था। इस सब की जड़ में है कि डेट ग्राफ अपोइन्टमेन्ट सीनियोरिटी का आधार माना गया है। यह सारे विश्व विद्यालयों में माना जा रहा है। यहां के कालेजेज और एफिलियेटेड कालेजेज में जिस तारीख को अपोइन्टमेन्ट हुआ है उस तारीख से ही सीनियोरिटी फिक्स की जाती है। इसलिये यह बात पूरी हो जाती है। इस सम्बन्ध में आपका संशोधन तो नहीं है फिर भी मैंने यह क्लेरिफिकेशन कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा अमेन्डमेन्ट नहीं था। Date of appointment in the degrre colleges अलग अलग है तो सीनियर किसको माना जायेगा? कौनसा रूल है, कौनसा सक्यूंलर है? Under what rules it is to be determined. Rules will be framed by the Government from time to time, It should be done like this मैं सुझाव दूंगा कि सीनियोरिटी के लिये एक क्लाज डलवा दीजिये 'Rules will be framed by the Government from time to time. मेरे यहां शास्त्री कालेज और दूसरा सोमानी कालेज है। इस कालेज का प्रिन्सिपल सीनियर है या उस कालेज का प्रिन्सिपल सीनियर है, यह कौन डिसाइड करेगा? जरा गम्भीरता से सोच लीजिये। यूनिवर्सिटी में गवर्नमेन्ट के रूल्स लागू नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट के अलग रूल्स हैं और यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग हैं। You are taokling the institutions which are autonomous. यदि सीनियोरिटी डेट ग्राफ अपाइन्टमेन्ट से मानी जावेगी तो हो सकता है कि डिग्री कालेज के प्रिन्सिपल की सीनियोरिटी पोस्ट डिग्री कालेज से बढ़ जाय जब कि पोस्ट डिग्री कालेज का आदमी बाहर से आता है और बहुत बड़ा आदमी है, स्कोलर है, एमीनेन्ट पर्सनलिटी है। आप बतायें, कौन सीनियर है और कौन जूनियर है? इसलिए इस मामले पर आप और गम्भीरता से विचार कर लें। आप कहते हैं :

Seniority to be covered by the Government Notification.

ऐसा कर दो इसमें, बचत हो जायेगी। इस पर फिर गम्भीरता से सोचकर संशोधन लायें। वरना मैं मेरे कालेज में बाहर से कोई बड़ा आदमी लाऊंगा जो कि बाहर स्कालर होने की क्वालिफिकेशन रखता है और दूसरी तरफ पोस्ट ग्रेजुएट कालेज का प्रिन्सिपल होगा तो किसको सीनियर मानोगे? यों तो मुझे असेम्बली में बहुत जूनियर मान लो क्योंकि बीच में 5 साल का गैप रह गया। इसलिये A sepera te clause should be put that the seniority will be governed by the rules to be framed by the Government.

श्रीमती मदन कौर : मैं इसमें एक सुझाव देना चाहती थी। मेरा यह विचार है कि इसमें ज्यादा अच्छे शिक्षाविद् और अच्छे प्रोफेसर्स को इन्क्लूड कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ वेतन श्रृंखला को भी सीनियोरिटी तय करने में स्थान दीजिए नहीं तो दिक्कत होगी जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है और उसको सुलझाना मुश्किल होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सीगली इसको एग्जामिन करा लिया जायेगा लेकिन One Principal to be nominated by the Vice Chancellor from amongst

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
the Principals of Constituent Colleges and recognised Colleges in rotation in accordance with their seniority as Principal.' अभी जो पद्धति है उसके अनुसार डेट आफ अपाइन्टमेन्ट से सीनियोरिटी मानी जा रही है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत बड़े आदमी को बाहर से लायें बात सच है....

श्री मथुरादास माथुर : आप अपाइन्ट करें कल और मैंने किया 10 दिन पहले।

श्री मूलचन्द डागा : इस क्लाज को डेफर कर दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : 'रोटेशन' सब-क्लाज (v) में है। चन्द्रावती से आने वाली माननीय सदस्या का अमेन्डमेन्ट है, वह यह है:

"Delete the words 'in accordance with their *inter se* seniority as Professors/Director/Principal of Post-Graduate College."

इसको ओमिट कर दिया जाये। माथुर साहब ने अमेन्डमेन्ट मूव तो नहीं किया है लेकिन जिस एनामाली की तरफ ध्यान आकर्षित किया था वह सब-क्लाज 3 (v) में है, वह प्रिंसिपल आफ दी कान्स्टीट्यूएन्ट कालेजेज के बारे में है। कान्स्टीट्यूएन्ट कालेजेज का मतलब ग्रेजुएट कालेजेज से भी है और पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजेज से भी है। आप कहते हैं कि प्रिन्सिपल की सीनियारिटी से इन्टर-से सीनियारिटी तय करेंगे तो यह एनामाली हो जायेगी। एक तरफ तो आप रोटेशन की बात कहते और यह बात [illegible] 3 का सब-क्लाज (2) है उसमें आपने कहा है कि तीन साल तक आफिस होल्ड कर सकेगा। वाइस चान्सलर और डाइरेक्टर के अलावा तीन साल तक सभी मेम्बर आफिस होल्ड कर सकेंगे। क्लाज (v) में लिख दिया कि रोटेशन से नामीनेट किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि क्लाज 3 का (v) और सब-क्लाज (2) एक दूसरे से कान्ट्राडिक्टरी हैं। आप लॉ डिपार्टमेन्ट से कन्सल्ट कर लीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि सलेक्ट कमेटी में छोटे से छोटे सवाल भी तय हो जायेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर रहा था कि यह संशोधन मूव नहीं किया है लेकिन इन्टर-सी सीनियोरिटी की बात कही गयी है उसको लीगली एग्जामिन करा लिया जायेगा। यह जो बात कही गयी है इस संशोधन में....

(विराम)

श्री सभापति : लीगली तो हाउस एग्जामिन करेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप इसको कल ले आइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने निवेदन किया कि इन्टर-से सीनियारिटी अभी डेट आफ अपाइन्टमेन्ट के हिसाब से है।...

श्री मथुरादास माथुर : What is the law? There should be a definite Law. I don't recognise you. Who are you? आप कुछ कानून की बात कहें कि इसके अनुसार है। यूनीवर्सिटी एक्ट में बता दीजिए। [illegible]

(श्री मथुरादास माथुर)

कन्वेन्शन है But every statement must have a law. Where is the law ? How will you do that unless there is a law ? इसको आप अच्छी तरह से एग्जामिन कीजिए। ऐसा कानून यहां से पास नहीं होना चाहिए।..

(विराम)

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मन्त्री जी, आसन आपसे जानना चाहेगा कि इस सम्बन्ध में आप क्या चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : इसमें मेरी एक अपील है कि अनुदान प्राप्त कालेजेज हैं उनकी सीनियोरिटी के बारे में बड़ी दिक्कत हो जायेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह जो सुझाव आपने दिया था आगे अगर संशोधन के रूप में आ रहा है तो उस नाते डेफर कर दिया जाय। अभी माथुर साहब के दो हैं उनमें से मैंने एक मान लिया है।

श्री हनवन्त सिंह राणावत जी का संशोधन-क्लाज में ए है :

"One Professor to be elected from amongst the Professors of the University teaching staff;"

इसको मानना सम्भव नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां यह सम्भव था वहां मैंने टीचर्स के सम्बन्ध में इस बात को इन्कार्पोरेट कराया है।

छात्रों के सीधे चुनाव की बात दूसरे संशोधन में की गयी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सीनेट में भी छात्रों का चुनाव सब विद्यार्थियों में से होता है। जो चार विद्यार्थी चुनकर आते हैं वह सारे स्टूडेन्ट्स में से चुनकर आते हैं। इसलिए स्टूडेन्ट्स का जो चुनाव होता है, आगे दो बार उसमें चुनाव होने की पद्धति है। यह मान लेना कि जो चार विद्यार्थी चुनकर आये हैं सीनेट में वह शुद्ध चुनाव पद्धति से नहीं होते हों, ऐसी बात नहीं है। फिर एक थोड़ा-सा अन्तर है स्टूडेन्ट्स में और टीचर्स में। ऐज का गेप है, ऐज का डिफरेन्स है, ऐज ग्रुप का डिफरेन्स है। कुछ मेरिट और मेचोरिटी वाली बात हो जाती है। इसलिए टीचर्स के बारे में मैंने इनकार्पोरेट कर लिया। स्टूडेन्ट्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपेरीमेन्ट चालू है। पिछले साल चला। कुछ समय और चलने के बाद ऐसा लगा कि इसका उपयोग हो सकता है तो विचार किया जायेगा। अभी इस स्थिति में इस संशोधन को मानने की स्थिति में नहीं हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टर-से सीनियोरिटी का क्लाज इसी में दिया हुआ है।

"*Inter se* seniority of the Principals of the Government and Aided Colleges shall be as determined by the Director of College Education and of others as determined by the Vice Chancellor.

यह इसमें है।

श्री खेतसिंह : इससे पर्पज हल नहीं होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य श्री माधोसिंह जी का क्लाज थ्री में यह प्राविजो जोड़ने का संशोधन है :

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

"Provided that no person who has been nominated on the Syndicate and had served a full term before the enactment of this Act shall be eligible for nomination."

उसी तरह फोर्थ के अन्दर है।

after clause (iv) the following proviso shall be added—

"Provided that no person who has been nominated as a member of the Syndicate before the enactment of this Act in any capacity shall be eligible for nomination,"

फिफ्थ में भी इसी प्रकार का है: after clause (v) the following proviso shall be added—

"Provided that no person who has been nominated as a member of Syndicate before the enactment of this Act in any capacity shall be eligible for nomination."

इन संशोधनों को मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं।

एक माननीय सदस्य : किस को मान रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फोर्थ में जो दिया है वह मैंने मान लिया है।

टेन्थ में जो दिया है

One person to be elected from amongst themselves.

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा) : यह नहीं है, सभापति महोदय। मैंने जो मूल संशोधन दिये थे वह न देकर दूसरे लिख दिये।

"One person to be elected from amongst the students"

स्टूडेन्ट्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको बता दिया इसको मानने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं जैसे इन्दिरा गांधी को आगाह किया था, स्टूडेंट्स की भावनाओं से आपको आगाह करना चाहूंगा। अध्यापकों का चुनाव डाइरेक्ट सिंडीकेट में किया है इसलिये विद्यार्थियों की भावनाओं का भी ध्यान रखिये। पिछले रविवार को मैं जोधपुर गया था, वहां मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की ये भावनायें हैं। बिल पास हो जाने के बाद कहीं समस्यायें खड़ी न हो जायें।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मन्त्री, संसदीय मामलात) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का विधायी कार्य समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह पूछना है आखिर कितने बजे तक ? आखिर 12 बजे तक होगा तो खाने की व्यवस्था कौन करेगा ?

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछना चाहता हूं इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिये

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि आप कितने बजे तक चलाना चाहते हैं ? माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिये, बीमारी की हालत में भी कई लोग बैठते हैं। क्या जल्दी है कि रातों रात पास कर दिया जाये ? एक बिल में 1 बजे से 5 बज गये। दो विधेयक और लेने हैं तो सुबह हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप टाइम लिमिट करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सभापति जी, मजदूर अगर ओवर-टाइम काम करते हैं तो डबल तनख्वाह लेते हैं, मास्टर ओवर टाइम काम करें तो हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन विधान सभा के सदस्य ओवर टाइम काम करते हैं। यहां जिस महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा है उस पर आप जल्दी से कानून बना देना चाहते हैं। आप भी उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन पर चलकर वे अब सामने बैठे हैं। कोई प्रेस्टिज का प्रश्न इसमें नहीं होना चाहिये कि आज ही पास होना चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल भूख के कारण आप कर्तव्य का निर्वाह न करें

(व्यवधान)

चाहे 12 बजें या रात के चार बजें, बिना अपने पेट की परवाह किये हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिये।

श्री सभापति : इस हाउस की ऐसी परम्परा तो नहीं रही है कि इस पर डिबेट हो।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, जहां तक कांग्रेस दल का प्रश्न है, घण्टा, डेढ़ घंटा हम और बैठ सकते हैं जैसा कि आप स्वयं जानते हैं...

एक माननीय सदस्य : पांच बज रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय विरोधी पक्ष के नेता, पांच बज रहे हैं इसलिये मैं सदन के सामने प्रश्न रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी दूसरा प्रकरण चल रहा है। आगे बहुत इम्पार्टेंट है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का विधेयक आने वाला है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बात बताई थी कि हमने बिल्स पढ़े हैं। माननीय सदस्य पूरा विचार करें। घण्टा भर तो हम बैठ सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। पांच बज कर एक मिनट हो गया है। नियम यही है...

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति जी, 5 बजने में दो मिनट हैं।

विरोधी दल के नेता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दुबारा संशोधित प्रस्ताव रखता हूं कि जो बिल चल रहा है इसके पास होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या यह सदन की अनुमति है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पास होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

Page No 94

(९४)

श्री खेत सिंह : फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल को भी पास क्यों करवा रहे हैं। जैसा मिनिस्टर महोदय ने कहा कि उदयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बिल डेफर कर रहे हैं और अगले सत्र में लायेंगे तो फिर इसको भी अगले सत्र में ले आयें। इसका मतलब यह है कि हमको यहां बेकार में ही बैठाया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : तीनों को सलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये, वहां से निर्णय हो जायगा।

श्री सम्पत राम : यह महत्वपूर्ण विषय है और माननीय सदस्य बोलना भी चाहते हैं। उनकी मंशा को देखते हुये यह उचित समझा गया कि इस विधेयक को तो पास कर दें। कल मार्निंग में एडवाइजरी कमेटी बैठ रही है उसमें निर्णय हो जायगा इन दोनों बिलों के बारे में। अगर एक दिन और बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे।

श्री बजरंग लाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी ही पास करना चाहिये···

श्री मूलचन्द डागा : वाह, पहले कुछ कह रहे थे और अब कुछ कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह विरोधाभास क्यों ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं प्रद्युम्नसिंह जी से निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ये कैसी बातें कर रहे हैं ? यह जरूरी है क्या···

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी मोहब्बत है श्रीमान्, आपसे।

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

अग्रेतर खण्डशः विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या श्रीमती मदन कौर का जो संशोधन है··

(a) In clause (v),
delete the words······

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, ये समझ नहीं पा रहे हैं। सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य का एक अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया है, वह कौनसा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फर्स्ट, सेकिन्ड एन्ड थर्ड। पेज फोर पर यह पहला, दूसरा और तीसरा है।

श्री परसराम मदेरणा : Provided that no person who has been nominated on the Syndicate and had served a full term before the enactment of this Act shall be eligible for nomination.'

In regard to nominations of Educationists, in regard to nomination of Deans etc. You will have to give consequential amendments.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Yes.

श्री परसराम मदेरणा : Are you making it.

(श्री परसराम मदेरणा)

यह तो श्रोमिट नहीं कर रहे हैं और इधर आप यह कह रहे हैं। यह पहले रह गया है। इसलिये यह कान्ट्रेडिक्ट्री है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Pardon. मैं समझा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इन क्लाज (3) जोड़ रहे हैं। क्लाज 3 का सब क्लाज (iii) है :

"No person referred to in clause (iii) to (x) of sub section (1) shall be eligible for election and/or nomination for more than two terms."

टू टर्म नहीं रखा जा रहा है, जरा देखिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको डेफर करवा दीजिये, ठीक रहेगा।

श्री सभापति : Have to advise him?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एडवाइस भी कर सकते हैं···

(व्यवधान)

(सायं 5.07)

(श्री पुरुषोतम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

श्री परसराम मदेरणा : आप समझे या नहीं समझे। समझ गये ना?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। मुझे बहुत दुःख है। उस सन्दर्भ में टू टर्म्स हैं इसलिये इन तीनों को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एजूकेशन का आदमी हूं। मौके की जानकारी के लिये धन्यवाद देता हूं और क्षमा चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इधर आ जाइये और भी समझा देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति जी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन मानने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा यह एक्ट प्रभावी होने के बाद सब क्लाज (iii) (iv) (v) के अनुसार जो महानुभाव सिन्डीकेट में हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सभापति जी, आपने संशोधन प्रस्ताव मूव कर दिये हैं और मिनिस्टर ने अस्वीकार कर दिये हैं। उसके बाद आश्वासन मांगने का रूल में कोई प्रावधान नहीं है। आश्वासन ही देना है अपने दोस्तों को तो वह सदन के बाहर भी दे सकते हैं। हाउस में आपने भी कई बातें कह दी हैं। बिल के समय कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। अगर आश्वासन ही देना है तो बजट के समय काफी आश्वासन दिये जाते हैं। अभी क्लाज बाई क्लाज विचार चल रहा है। क्लाज मूव कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया···

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर स्वीकार किया जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या, श्रीमती

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
मदन कौर का पहला जो संशोधन है क्लाज (v) में

"in clause (v) delete the words in accordance with their inter se seniority as professors/Directors/Principal of Post-graduate college."

यह मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं।

(b) in clause (vii) substitute the words,

"by University teachers amongst themselves" in place of "by the Senate from amongst its member."

यह मैंने मान लिया है पहले····

श्री परसराम मदेरणा : यह कहां मान लिया आपने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह मान लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : एज सच नहीं माना है। आपने इस शर्त के साथ माना है।

Two teachers who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education··

आपने जो रिप्लेस किया है उसमें 'in not less than' जोड़ दिया है और और हैड आफ दी डिपार्टमेंट को भूल गये है। यह सब्सटीट्यूट किया है। माननीय सदस्या का प्रस्ताव कहां मंजूर कर रहे हैं। यह कहिये कि मैं अस्वीकार करता हूं खटा-खट और असमर्थता प्रकट कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (c) in claus (viii) substitute the word 'Two' in place of the word 'One' appearing in the beginning मान लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मान लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (बी) ···

एक माननीय सदस्य : चेयर के सामने से निकल रहे हैं, माननीय सभापति जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह मैं मानने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी के आने पर चेहरे पर रौनक आ गई है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय,····

श्री मूलचन्द डागा : वह तो हो गया ना साहब।

(विराम)

हर तरफ गौलमाल है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो जो अमेंडमेंट मूव किये गये हैं उनमें से जिनको माननीय प्रभारी मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया है, सिवाय एक अमेंडमेंट के जो मथुरा दास माथुर जी ने मूव किया, उसको आपने स्वीकार कर लिया है, उसको रखें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खण्ड 3 में मेरा संशोधन है। आप खण्ड 3 पर वोट लेने लग गए। मैंने एतराज किया था और प्रभारी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि :

The *inter se* seniority of the Principals of Government and aided Colleges shall be as determined by the Director of College Education and of others as determined by the Vice Chancellor.

हम लोग यह कानून बना रहे हैं सदन में तो हम लोग डेलीगेट करते हैं पावर गवर्नमेंट को। हम किसी सबोर्डीनेट को पावर डेलीगेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कर सकते हैं। Delegated powers cannot be given to any Head of Department. गवर्नमेंट को दे सकते हैं। गवर्नमेंट, कानून बना कर, सीनियोरिटी तय कर इलेक्टोरेट कालेज बना कर पावर दे सकती है। The House can delegate the powers only to the Government and not to any Head of Department. फिर गवर्नमेंट डायरेक्टर आफ एजूकेशन को पावर दे सकती है। जहां सीनियोरिटी का, प्रमोशन का सवाल होता है उसमें हो सकता है लेकिन यहां कांस्टीट्यूएंट, रिकग्नाइज्ड कालेज और कालेजेज, अलग अलग कालेजेज के प्रिंसिपल्स की सीनियोरिटी तय करने के लिए you will have to make rules for the purpose. इसलिए Delegated powers cannot be given to any body or Head of Department. इसलिए आप गवर्नमेंट को पावर दीजिए। गवर्नमेंट रूल्स बनाए, कोई भी बनाए, रूल्स बनने के बाद सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी उनको देख सकती है। वरना आप तो अधर में रख कर कुछ भी रूल बना देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपने बिल के अन्दर एक क्लाज रखिए। जिनको आप यह पावर डेलीगेशन करना चाहते हैं, delegate according to section....

श्री रामकिशनदास गुप्ता : इस हाउस को भी अधिकार है, हाउस पावर डेलीगेट कर सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : No. Not at all.

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसी भी विधान सभा में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि आप प्रोविजन कर रहे हैं इण्टर-सी सीनियोरिटी आफ दी प्रिंसिपल्स आफ रिकग्नाइज्ड एण्ड कान्स्टीट्यूएंट कालेजेज को डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन डिटरमिन कर दें। डायरेक्टर आफ एजूकेशन कालेजेज को ग्राण्ट-इन-एड देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ग्राण्ट-इन-एड रूल्स के लिए गवर्नमेंट के रूल्स हैं वे लागू करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सीनियोरिटी

(श्री मथुरादास माथुर)
का जहां तक सम्बन्ध है फोर दिस पर्पज, फोर प्रमोशन सीनियोरिटी अलग बात है लेकिन यहां पर बात दूसरी है। गवर्नमेंट अपने रूल्स बना कर डेलीगेट करना चाहे पावर जिस किसी को, वह कर सकती है लेकिन राजस्थान सबोर्डीनेट लेजिस्लेशन में उसको नोटिफाई कर दे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें दो क्वेश्चन रखे हैं। पहले तो आपने अपने आप ही मान लिया कि राज्य सरकार पावर डेली-गेट कर सकती है। जब गवर्नमेंट पावर डेली-गेट कर सकती है तो असेम्बली भी पावर डेलीगेट कर सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : असेम्बली गवर्न-मेंट को पावर डेलीगेट कर सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : असेम्बली भी कर सकती है। आप चाहें तो जितने भी पुराने कानून हैं उनको उठाकर देख लीजिए आपने हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट को पावर डेलीगेट करने का प्रोविजन किया है और आपने कभी आपत्ति नहीं की; स्वयं ने प्रोवि-जन किया है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति माननीय सदस्य द्वारा करना मैं वाजिब नहीं समझता। अब रहा क्वेश्चन यह कि डायरे-क्टर की जगह गवर्नमेंट सीनियोरिटी तय कर दे तो यह ज्यादा विचार की बात नहीं हो सकती।

श्री मथुरादास माथुर : वह कैसे तय करें सीनियोरिटी के रूल्स आपको नोटि-फाई करने पड़ेंगे। यह हमारा पेरेंट लेजि-स्लेशन है इसमें यह प्राविजन करें कि सीनि-योरिटी राज्य सरकार डिटरमिन करेगी। इसके लिए सीनियोरिटी रूल्स नोटिफाई करने पड़ेंगे। They will be notified by a Government Notification. यह पेरेंट लेजिस्लेशन है, वह सबोर्डीनेट लेजिस्लेशन होगा। हमें मालूम हो कि सीनियोरिटी रूल्स क्या हैं। There should be some rules and they should be framed by the Government. आप एक इलेक्टोरेट कालेज बना रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जनरल क्लाजेज एक्ट में पावर्स हैं...

श्री मथुरादास माथुर : यह कहीं चैलेंज हो गया तो ...

श्री भैरों सिंह शेखावत : कहीं चैलेंज नहीं होगा। आप चैलेंज मत करना।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जनरल-क्लाजेज एक्ट रेयरली कोट किया जाता है, माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : The House does not know what are the rules हम किसे डेलीगेट करें पावर्स, हमको रूल्स मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप एक भी कानून बता दीजिए बीस साल के अन्दर, जिसमें गवर्नमेंट को पावर डेलीगेशन का प्राविजन किया हो और रूल्स एक भी कानून में यहां पर सब्मिट किए हों। एक भी बता दें लेजिस्लेशन जिसमें गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट की हो।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट की है लोगों को।

Page No 99

(99)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा का एक कानून बता दीजिए। एक भी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप विरोध ही करना चाहें तो आपके अधिकार को मैं नहीं छीनूंगा लेकिन इसमें कोई बात नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आपको कन्सट्रक्टिव पाइन्ट पोइन्ट-आउट कर रहा हूं। सीनियोरिटी के रूल्स बनाने की आथोरिटी सरकार की है, यह इस एक्ट में प्राविजन आ जाय। कोई क्लाज ऐसा आ जाय फिर आप अपनी आथोरिटी को दे दीजिए डायरेक्टर आफ एजूकेशन को। मेरा कोई आब्जेक्शन विरोध करने के लिए नहीं है। फण्डामेंटल आब्जेक्शन है। आप सीनियोरिटी बता दें। Seniority rules must have the authority. रूल्स तो होने चाहिए ना। किस रूल में होगा? Where are the rules? How will they be determined? We don't know. आप बता दीजिए कि सीनियोरिटी कौन से रूल में डिटरमिन करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी, आप अभी पधारे हैं, इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। यह जो आपके पास बिल है, माननीय मंत्री जी जिसको रेफर कर रहे हैं यह आपके खण्ड 3 का (vi) है :

"One Principal to be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Principals of Constituent Colleges and Recognised Colleges in rotation in accordance with their seniority as Principal;"

इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है : The *inter se* seniority of the Principals of Government and aided Colleges shall be as determined by the Director of College Education and of others as determined by the Vice Chancellor," वाइस चांसलर के लिए है कि वह डिटरमिन करेगा बाकी औरों की और जैसा मैंने पढ़ा प्रिन्सिपल्स की डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन डिटरमिन करेंगे। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य का एतराज यह है कि आप जो यह पावर डायरेक्टर आफ एजूकेशन को डेलीगेट कर रहे हैं और आपने इनेक्टमेंट में इस बात का उल्लेख किया है, मुझे इस सदन में कम से कम एक सौ बिलों को प्रभारी मंत्री के नाते पायलेट करने का सौभाग्य मिला है, हमेशा गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। डेलीगेशन आफ पावर के बजाय होना यह चाहिए था : The *inter se* seniority of the Principals shall be determined as prescribed. यह नहीं रख कर डेलीगेट कर दिया। इनका एतराज यह है कि विदाउट प्रेस्क्राइबिंग सीनियोरिटी डिटरमिन कैसे करेंगे? How will they determine it? So it should be as prescribed. यह लेजिस्लेशन की परम्परा है। अगर आप यह नहीं मानें तो वह अलग बात है। एनोमोली तो है इसमें। यों पाइन्ट को छोड़ कर राठोड़ी में करने लगें तो दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका विरोध राठोड़ी से हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री महोदय आप लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लें। आगे भी ऐसा हुआ है। जहां तक मुझे याद है मुख्य मंत्री जी, सन् 1952 के बाद टोटल इनेक्टमेंट 600 से ज्यादा हो चुके हैं। अब इनमें से कितने रिपील हुए हैं, यह तो मुझे नहीं मालूम किन्तु इस सदन ने 600 से ज्यादा कानून पास किये हैं। इन 600 कानूनों में हर जगह प्रेस्क्राइब्ड है। एक्ट में, बिल में "प्रेस्क्राइब्ड" शब्द होने के बाद रूल्स बनाये जाते हैं। यह हो सकता है कि रूल्स बनने में गवर्नमेंट की तरफ से देरी हुई हो। मुख्य मंत्री जी हमेशा आप यहां पर यह चर्चा उठाया करते थे। हम भी इसका उत्तर दिया करते थे। यह आपका उत्तर तो राठौड़ी है।

श्री खेतसिंह : यह राठोड़ी नहीं शेखावती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कन्फर की जा रही है। डेलीगेशन नहीं किया जा रहा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या है, इसको पढ़ कर सुनाइये।

श्री सभापति : आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पढ़िये।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसको मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखा है...

श्री रामनारायण : यह पढ़िये।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुन लीजिये। वह पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसको दुबारा रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है कि उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में श्री वृद्धिचन्द्र जैन ने जो संशोधन रखा है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में मथुरादास माथुर ने जो संशोधन रखा है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मथुरादास माथुर : He has accepted my amendment.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो संशोधन हैं। एक तो संशोधन है रिप्रजेन्टेशन एक से दो करने का। यह स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा फाइनेन्स कमिश्नर का है, या तो वह हो या उसका प्रतिनिधि डिप्टी सैक्रेटरी के रेंक का हो। वह स्वीकार नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने अगर मुख्य मंत्री महोदय के कहने से

(श्री परसराम मदेरणा)
दिमाग बदल दिया हो तो अलग बात है। वे पहले इसको स्वीकार कर चुके हैं। वे अब क्या सोचते हैं, वे जानें।

श्री सभापति : माननीय मथुरादास जी का संशोधन यह था :

"In sub-section (1) of section 16, sought to be substituted in clause (viii) substitute the word 'Two' for the word 'One'.

यह तो स्वीकार कर लिया गया है। अब यह दूसरा अमेन्डमेंट है····

श्री परसराम मदेरणा : इसको वोट करा लीजिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो निम्न संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रखा है :

"In sub section (1) of Section 16, sought to be substituted in clause (viii) substitute the word 'Two' for the word 'One'.

इसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : When the Chair is on its legs, there can be no point of order.

श्री सभापति : यह धारा (viii) "..substitute the word 'Two' for the word 'One'

इसके बाद दूसरा अमेन्डमेन्ट है :

"After clause (x) add the following new clause (xi) as following"

श्री परसराम मदेरणा : आपने ना पक्ष को नहीं पूछा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में श्री मथुरादास माथुर ने नया क्लाज (XI) जोड़ने का संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अस्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : आपको पता नहीं, क्यों ना कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री हनवन्तसिंह राणावत।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोई संकल्प या कोई संशोधन जिस पर हाउस में हां या ना कह दिया हो उसका क्या हल होता है ? मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार हाउस उस पर वोट कर चुका है तो प्रभारी मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वे उस संशोधन को स्वीकार कर सकें। चाहे उस पर गलत तरीके से वोट लिया गया हो, एक बार सदन का वोट हो चुका है तो संशोधन को सदन के वोट के विरुद्ध स्वीकृत नहीं माना जा सकता है यह उचित नहीं होगा। कृपया इस विषय पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री सभापति : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। उसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज अभी पास नहीं हुआ है।

श्री सभापति : श्री हनवन्तसिंह राणावत का संशोधन है।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : सभापति महोदय, मैं संशोधन वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के जो संशोधन श्री राणावत ने रखा है उसे वापस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, माननीय मथुरादास जी माथुर का जो संशोधन है उस पर दो बार वोट लिये गये हैं परन्तु उसके बाद संशोधित रूप से जो क्लाज है, उसको पास करने के लिए वोट नहीं लिया गया है। यह बड़ी भारी अवज्ञा हुई है। क्लाज के ऊपर वोट हो चुका है क्या ? आप दूसरे सदस्यों के नाम बोल रहे हैं। पहले क्लाज लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अभी तक जो अमेन्डमेंट आये हैं वे सारे के सारे क्लाज तीन पर ही आये हैं। अभी यह एज अमेन्डेड पास होना बाकी है। इसलिये आपका यह एतराज उचित नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह कछवाहा।

श्री माधोसिंह कछवाहा : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री माधोसिंह कछवाहा ने रखा है उसे वापस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री माधो सिंह कछवाहा : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन है ए, बी, सी और डी श्रीमती मदन कौर ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 में संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि। इनमें संशोधन नहीं है।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1977 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय,...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिएगा?

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक का संशोधित रूप में पारण

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ प्रासीजर के रूल 85 पर ले जाना चाहता हूं।

जब किसी विधेयक में संशोधन किये गये हों तो यह प्रस्ताव कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये, उस दिन प्रस्तुत न किया जायेगा जिस दिन उस विधेयक पर विचार समाप्त हुआ हो, जब तक अध्यक्ष उस प्रस्ताव की अनुमति न दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, संशोधन इस अमेण्डमेण्ट बिल में मंजूर हुआ है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी कानूनी बातें हैं, इस दृष्टि से यह प्रस्ताव एतराज तलब है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि उदयपुर यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल और हैं इसलिए अभी पास करें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैंने जो बात कही है, उस पर आप गम्भीरता से सोच लीजिए। कल हम दो मिनट बात कर लेंगे। इसे एग्जामिन कर लीजिए। रूल्स प्रेस्क्राइब करने के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको पसन्द नहीं है तो भी इस पर एक दफा फिर गम्भीरता से विचार कर लें। माननीय मुख्य मंत्री जी सलाह दे दें। माननीय प्रभारी मंत्री जी सोच लें। मामला कानून का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपन दोनों एक से हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कल दो मिनट में पारित हो जाएगा। अगर आप यह कहें कि हमने एक दफा रख दिया तो मेरा निवेदन है, इसको प्रेस्टिज पाइण्ट नहीं बनायें। यह कानून का मामला है। मैं, सभापति महोदय, यही निवेदन करूंगा, इसकी इजाजत नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक एक बोलें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, प्रभारी मंत्री जी ने इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि इसको अमेण्ड कर दिया गया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति की आवश्यकता है। रूल 85 (2) है :

(श्री परसराम मदेरणा)

Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed, shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made,"

इस प्रकार का प्रावधान रूल 85 में है। यदि बिल में अमेण्डमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो उसी दिन यह प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता कि अमेंडेड बिल पास किया जाय। उसके लिए माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ताकि माननीय सदस्य चिन्तन करके चाहे तो रिजेक्ट करें चाहे तो पास करें। इसलिए आगे लिखा है–

"The discussion on the motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill."

यह वर्ड इसलिए यूज किया गया है। क्योंकि बिल अमेण्ड हो गया है इसलिए माननीय सदस्य चाहे तो उसको रिजेक्ट करें या मंजूर करें। इसलिये निवेदन किया है, बिल पास करने के लिये प्रभारी मंत्री ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है और जिसके लिये बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इस दृष्टि से यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रखा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, मैं ऐसा समझता था कि बिल पास करने में माथुर साहब बहुत जानकार हैं। इस रूल में व्यवस्था है कि कोई मोशन मूव नहीं किया जा सकता है जब तक कि अध्यक्ष की अनुमति नहीं हो। उन्होंने मूव किया है। अध्यक्ष महोदय ने प्रभारी मंत्री को कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अध्यक्ष की अनुमति से प्रभारी मंत्री ने कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : He has called the Education Minister to move it, not that it has his consent.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is implied.

श्री परसराम मदेरणा : अगर रूल 85 में यह नहीं होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, चेयर को कन्विन्स नहीं करें। You are the head of the executive, but you are not the Chair.

चेयर क्या फैसला देती है। चेयर को कन्विन्स करना न आपका काम है, न हमारा काम है। मिनिस्टर ने खड़े होकर जो मोशन रखा है, उस पर एतराज हो गया। अनुमति सभापति जी की ली नहीं गई है। अनुमति देना और न देना सभापति जी की मर्जी की बात है। उनकी मर्जी के बीच में रोड़े क्यों अटका रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आपको उनकी इण्टेंशन का पता चला गया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : इण्टेंशन क्या है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस बिल को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जो नियम 85 सदन में पढ़ा गया है उस में बिल को पास करने करने के लिए जो कहा गया है उसमें अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ा गया है। जब मैंने माननीय प्रभारी मन्त्री से पारित करने का प्रस्ताव करने के लिए कहा है तो इसका मतलब ही यह है कि मेरी अनुमति है।

अब माननीय प्रभारी मन्त्री कोई उत्तर देना चाहे तो दें।

(विराम)

विधेयक का पारण

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।
(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.41 बजे शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई, 1977 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

(106)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 96 का आदेश)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

संख्या एफ. 8 (18) राज/ग्रुप–4/77 जयपुर, दिनांक 23 अप्रेल, 77

परिपत्र

समस्त जिलाधीश,

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक चरागाह, वनभूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर 1–7–75 तक आवास गृह व बाड़े बनाकर किये गए सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्हीं निबन्धनों, शर्तों और निबन्धनों पर किया जाय जो 18-2-55 से 31–12–70 तक किए गए अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते हैं और जो इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(17)राज./स./71 दिनांक 3–7–71 में उल्लेखित हैं।

ह.

(एस. एल. जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

1. राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) अधिनियम, 1976।
2. राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणता समापन) अधिनियम, 1976।
3. लघु कृषकों के ऋण भार को कम करने के लिये एक विधेयक तैयार कराया।

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

उदयपुर विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियां

101. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में उप-कुलपति श्री लांबा के कार्यकाल में किन किन पदों पर किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां किस प्रकार की गयीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि श्री लांबा के कार्यकाल में कई कर्मचारियों को सेवा निवृत्त, पदावनत तथा स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या उक्त उप कुलपति के कार्यकाल में उचित व्यक्तियों को पदोन्नतियां नहीं देकर गलत व्यक्तियों को पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर विचार कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं किया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर में ट्रेक्टर का कारखाना लगाने की योजना

102. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जोधपुर में ट्रेक्टर का कारखाना लगाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार की क्या योजना है और कब तक इस पर निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

उत्तर

जी हां ।

जोधपुर में ट्रेक्टर का एसेम्बली प्लाण्ट लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार तथा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के विचाराधीन रहा है ।

समय समय पर योजना का स्वरूप बदलता रहा है । गत वर्ष कृषि उद्योग निगम की तीन निर्माताओं के साथ सहयोग (Collaboration) की बात चल रही थी । मार्च माह में पूना की फर्म ने अपना एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर निगम के द्वारा तथा राज्य स्तर पर भी विचार किया गया । उन्हीं दिनों अन्य निर्माताओं से भी 1–2 और प्रस्ताव प्राप्त हुए । लेकिन निगम के संचालक मण्डल की पिछली बैठक दिनांक 31 मई, 1977 में यह मत व्यक्त किया गया कि ट्रेक्टर के बारे में वर्तमान में बाजार स्थिति को देखते हुए यह कारखाना लगाने की अब गुंजाइश नहीं

(उद्योग मंत्री)

है। निगम की ओर से इस आशय का पत्र दिनांक 18 जून, 1977 को कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ है जिस पर वर्तमान सरकार शीघ्र ही सभी पहलुओं पर विचार करके कोई निश्चित निर्णय लेगी।

मलेरिया उन्मूलन की योजना

103. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने इस वर्ष मलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए विभिन्न जिलों में अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं और इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है?

(2) राजस्थान में मलेरिया रोग से विभिन्न जिलों में कितने लोग पीड़ित हैं? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या चिकित्सा विभाग ने विभिन्न जिलों में मलेरिया से पीड़ित लोगों के लिये पर्याप्त दवाइयां एवं मलेरिया रोग की रोकथाम के लिये पर्याप्त डी. डी. टी. उपलब्ध कर रखी है? यदि हां, तो किस प्रकार? प्रत्येक जिले का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) चिकित्सा विभाग ने इस वर्ष डी.डी.टी. का छिड़काव विभिन्न जिलों में कब कब किया? कब कब अभियान चलाये गये और उसके क्या परिणाम रहे?

(5) राज्य सरकार ने मलेरिया रोग को हमेशा के लिये उन्मूलन करने के लिये क्या ठोस योजना या कार्यक्रम बनाया है या बनाने जा रही है? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने इस वर्ष पूर्व की 17 इकाइयों के मुकाबले में अब सभी 26 जिला स्तर पर मलेरिया उन्मूलन इकाई की स्थापना की है जिससे कि मलेरिया कार्यक्रम में गति लाई जा सके। मलेरिया के मामले में शीघ्र खोज एवं निदान/उपचार हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य क्षेत्र के अनुसार उन्मूलन कार्यक्रम की रूप रेखा बना ली गई है व प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मलेरिया योजना के अन्तर्गत एक प्रयोगशाला टैक्नीशियन को पद स्थापित किया गया है। इसके अलावा मलेरिया कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेवार बनाया गया है और इसके लिए जिला मलेरिया परामर्श दात्रि समिति का गठन भी किया गया है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश महोदय हैं।

इस वर्ष अति वर्षा को ध्यान में रखते हुए मलेरिया पर शीघ्र नियन्त्रण पाने हेतु सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं। वर्ष 77–78 में 247.37 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

(2) राजस्थान में इस वर्ष दिनांक 25–6–77 तक 10,43.826 रक्त पट्टिकाओं की जांच करने पर 51,053 व्यक्ति मलेरिया ज्वर से पिड़ित पाए गए हैं। उनसे से 2000 व्यक्ति फालसीपेरियम से पीड़ित हैं (जिलेवार सूची संलग्न है)।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां। जिलेवार विवरण सूची में अंकित है।

(4) सारे राजस्थान में प्रथम चरण में डी.डी.टी. का छिड़काव दिनांक 15-6-77 को प्रारम्भ किया जो 31-7-77 तक चलेगा। इसके पश्चात् द्वितीय चरण 16–8–77 से 31-10-77 तक चलेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भरतपुर जिले का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा जिले की सीमा से लगता है उसमें भी बी. एच.सी. का छिड़काव प्रथम चरण में 15–6–77 से किया जो दिनांक 30–6–77 को समाप्त हुआ तथा द्वितीय चरण प्रारम्भ हो गया है।

गत वर्ष 25–6–76 तक 1,29,616 व्यक्ति मलेरिया रोग से पीडित थे जब कि वर्ष 77–78 में दिनांक 25–6–77 तक 51,053 व्यक्ति ही पीड़ित पा गए। इस तरह से मलेरिया ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है।

(5) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष मलेरिया पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण पाने के लिए नगरिया योजना मलेरिया बनाई गई है जिसमें मलेरिया के मच्छरों सहित अन्य मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने हेतु उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् (इण्डियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के सहयोग से नई प्रभावशाली औषधियों के अनुसन्धान की योजना बनाई जा रही है और इन सब पर जन-सहयोग की कामना भी की जा रही है। प्रत्येक जिले के गांवों में जहां गत वर्ष प्रति हजार जन संख्या पर 2 मलेरिया रोगी पाए गए थे ऐसे गांवों के प्रत्येक घरों में नियमित रूप से जन सहयोग के माध्यम से डी.डी.टी. के छिड़काव किए जाने की व्यवस्था कराई गई है। बड़े शहरों में जिनकी आबादी 40,000 से अधिक हैं वहां फोकल ही होगा।

मलेरिया निरोधक दवाइयां उन्हीं क्षेत्रों में जो आदिवासी हैं और जहां पहुँचना दुर्लभ है व रेगिस्तानी हैं ऐसे स्थानों पर स्कूल व पंचायत आदि के माध्यम से मलेरिया रोगियों को गोलियां व अन्य दवाइयां बांटी जाने की व्यवस्था की गई है जिससे मलेरिया रोग पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके। इसके अलावा इस तरह की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है।

Page No 111

(111)

सूची

1.	अजमेर	8,93,500	2883	8.00	1.10	69.623	–
2.	अलवर	12,02,500	1565	11.00	1.00	108.667	–
3.	भरतपुर	13,08,500	225४	11.00	1.40	94.681	165 800
4.	बीकानेर	8,14,000	4081	3.00	1.20	49.555	–
5.	बाड़मेर	4,12,500	1697	6.00	0.30	80.758	–
6.	बून्दी	4,51,500	431	4 50	0.10	30.000	–
7	भीलवाड़ा	9,40,500	1617	8.50	0.25	106.666	–
8	बांसवाड़ा	5,10,500	62	4.50	0.10	–	140.000
9.	चित्तौडगढ़	9,55,500	207	7.50	0.45	84.063	19.187
10.	चूरू	7,65,800	1830	7.00	0.50	60.545	1.709
11.	डूंगरपुर	5,18,500	430	4.00	0.10	–	135 000
12.	गंगानगर	11,82 500	4935	12.00	0 90	100.994	–
13	जालौर	5,77,500	164	5.00	0 10	58.000	–
14.	जैसलमेर	5,39,500	607	3.00	0.10	11.000	–
15.	जयपुर	21,59,000	1944	19.00	0.40	204.868	25.850
16.	झालावाड़	5,42,500	178	6.50	0.20	15.000	–
17.	झुंझुनू	7,82,300	5278	8.50	0.10	53.333	–
18.	जोधपुर	11,17,000	7264	8.00	1.40	87.038	–
19.	कोटा	8,80,000	961	9.00	0.35	63.552	–

Page No 112

20	नागौर	10,41,800	3674	8.00	0.10	100.000	—
21.	पाली	9,15,500	1421	7.00	0.10	84.000	—
22.	सवाई माधोपुर	10,13,800	2039	9.00	0.30	82.541	6.900
23.	सिरोही	4,78,500	46	3.00	0.70	50.039	—
24.	सीकर	8,17,300	2874	8.50	1.00	64.731	1.500
25.	टोंक	5,84,500	383	6.00	0.25	46.666	—
26.	उदयपुर	16,26,000	2214	13.50	0.50	131.480	20.544
	योग :—	2,30,31,000	51053	201.00	13.00		

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की योजना

104. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निश्चित रूप से कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या चुनाव की प्रक्रिया व पंचायतों का प्रारूप यथावत ही रहेगा ? क्या ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति व जिला परिषद् की कार्यप्रणाली में तथा चुनाव प्रणाली में ग्रामूलचूल परिवर्तन करने का विचार राज्य सरकार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। ये चुनाव इस वर्ष के अन्त तक निश्चित रूप से करा दिये जावेंगे।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

वेतनमान की अधिकतम सीमा पर रुके हुए कर्मचारियों को राहत

106. भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार के कर्मचारी, जो अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर रुके हुए हैं, उनको रनिंग पे-स्केल देने अथवा अन्य किसी प्रकार से राहत देने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक व अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारी अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से रुके हुए हैं उनको एक वेतन वृद्धि एवं 6 वर्ष या उससे अधिक अवधि से रुके हुए हैं उनको दो वेतन वृद्धियां उनके वेतनमान की अन्तिम वेतन वृद्धि की दर से दी जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं।

"सीखो-कमाओ योजना" के अन्तर्गत अलवर जिले में लगी प्रिन्टिंग प्रेस

107. डा. गंगा सहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "सीखो-कमाओ योजना" के अन्तर्गत अलवर जिले में एक प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है ? यदि हां, तो यह प्रिंटिंग प्रेस कहां और किस उद्देश्य से लगाई गई ?

(2) अब तक उक्त प्रेस से सरकारी छपाई कार्य से कितनी आमदनी हुई तथा प्राइवेट छपाई कार्य से कितनी आमदनी हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड़ में यह प्रेस लगाया गया

(114)

(शिक्षा मंत्री)

है। शिक्षा विभाग की सीखो-कमाओ योजना के अन्तर्गत छात्रों में श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करने तथा व्यवसायिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इसे प्रारम्भ किया गया है।

(2) वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

बहरोड़ के प्रेस में दिए गए छपाई कार्य का विवरण

वर्ष	सरकारी छपाई	प्राइवेट छपाई
बहरोड़		
1973–74	364–50	–
1974–75	3998–65	665–35
1975–76	17429–07	4908–33
1976–77	17000–80	4742–88

डी. पी. सी. से चयनित प्रधानाध्यापक

108. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जून, 1976 में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों के लिये डी.पी.सी. रखी थी ? यदि हां, तो चयनित, आरक्षित एवं अन्य सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि इन सूचियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया जब कि अन्य पदों की सूचियों को अभ्यर्थियों को भी भेज दिया गया तथा पी. एस. सी. भी सूचियों को प्रकाशित करती है।

(3) क्या यह सही है कि अनेक प्रधानाध्यापकों को पदावनत किया गया और उनसे जूनियर व्यक्ति, जो डी. पी. सी. से चयनित नहीं हुये, प्रधानाध्यापक बने रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सितम्बर–अक्टूबर 76 में इन पदावनत प्रधानाध्यापकों में से कुछ को पुनः पदोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और शेष को क्यों छोड़ दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि जनवरी, 77 में कुछ और पदावनत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नत किया गया और यह प्रमाणित किया गया कि ये वरिष्ठतम हैं और डी. पी. सी. की कोई सूची शेष नहीं है ? यदि हां, तो इससे पूर्व डी. पी. सी. से चयनित शेष व्यक्तियों की सूची को भी सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाय। जुलाई, 76 से जनवरी, 77 तक की पदोन्नतियां संबंधी सभी सूचियां भी सदन की मेज पर प्रस्तुत की जायं।

उत्तर

(1) जी हां। चयनित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आरक्षित सूची जनहित में सदन की मेज पर रखा जाना उपयुक्त नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। सार्वजनिक रूप से चयन सूची प्रदर्शित करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। किन्तु ऐसे चयनित व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रसारित कर दिए गए थे।

(3) प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा कोई मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(4) जी हां। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों के प्राप्त न होने से कार्यवाहक रूप से वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन थी उन्हें कार्यवाहक रूप में नियमानुसार पदोन्नत नहीं किया जा सका।

(5) जी हां। पदावनत प्रधानाध्यापकों की पुनः पदोन्नति करने से पूर्व डी.पी.सी. से चयनित एवं आरक्षित सूची के सभी व्यक्तियों को पदोन्नति/नियुक्तियां दी जा चुकी थीं। जुलाई, 76 से जनवरी, 77 तक उक्त पद से सम्बन्धित पदोन्नतियों की सूची एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिकाओं एवं परिषदों के चुनाव

109. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी ऐसी नगरपालिकाएं हैं, जिनका चुनाव कराया जाना बाकी है?

(2) ऐसी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों का चुनाव कब तक करा दिया जावेगा?

(3) क्या जयपुर नगर परिषद् को कार्पोरेशन का रूप दिये जाने बाबत राज्य सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जिन नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाने बाकी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनके चुनाव नवम्बर, 77 के प्रथम सप्ताह तक करा दिये जावेंगे।

(3) जयपुर नगर परिषद को कार्पोरेशन का रूप दिये जाने के बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है, मगर इस कारण से जयपुर नगर परिषद् का चुनाव नहीं टाला जावेगा।

(116)

नगरपालिकाओं को सूची, जहां प्रशासक कार्यरत हैं

जिला	क्र. सं.	नाम नगरपालिका	जिला	क्र. सं.	नाम नगरपालिका
श्री गंगानगर	1.	श्री गंगानगर	नागौर	21.	नागौर
	2.	नोहर		22.	कुचामनसिटी
	3.	हनुमानगढ़		23.	लाडनूं
	4.	केसरीसिंहपुर		24.	मेडतासिटी
	5.	सूरतगढ़		25.	नावां
	6.	विजयनगर	सीकर	26.	सीकर
	7.	पीलीबंगा		27.	फतेहपुर
बीकानेर	8.	बीकानेर	अजमेर	28.	अजमेर
चूरू	9.	चूरू		29.	किशनगढ़
	10.	श्रीडूंगरगढ़		30.	ब्यावर
	11.	रतनगढ़	टौंक	31.	टौंक
	12.	सुजानगढ़	पाली	32.	पाली
झुंझुनूं	13.	झुंझुनूं		33.	बाली
	14.	मुकुन्दगढ़		34.	सोजत
अलवर	15.	अलवर	भीलवाड़ा	35.	भीलवाड़ा
भरतपुर	16.	भरतपुर	उदयपुर	36.	उदयपुर
सवाई माधोपुर	17.	सवाई माधोपुर	कोटा	37.	कोटा
	18.	गंगापुर सिटी	बाड़मेर	38.	बाड़मेर
जयपुर	19.	जयपुर	जोधपुर	39.	जोधपुर
	20.	बान्दीकुई		40.	पीपाडसिटी

(117)

नगरपालिकाओं की सूची जहां चुनाव 5-9-74 में सम्पन्न हुए ।

जिला गंगानगर

1. अनूपगढ़
2. गजसिंहपुर
3. भादरा
4. सांगरिया
5. करणपुर
6. रायसिंह नगर
7. पदमपुर

जिला बीकानेर

8. देशनोक
9. मीनासर
10. गंगाशहर
11. नोखा

जिला चूरू

12. छापर
13. रतन नगर
14. राजलदेसर
15 तारानगर
16 बीदासर

जिला झुंझुनूं

17 मंडावा
18. सूरजगढ़
19. खेतड़ी
20. बगड़
21. पिलानी
22. उदयपुर वाटी
23. विसाऊ

जिला अलवर

24. खेरली
25. तिजारा
26. राजगढ़
27. खैरथल

जिला भरतपुर

28. नदबई
29. वैर
30. राजाखेड़ा

जिला सवाई माधोपुर

31. टोडाभीम

जिला जयपुर

32. आमेर
33. फुलेरा
34. जोबनेर
35. कोटपूतली
36. सांगानेर
37. चाकसू

जिला सीकर

38. नीमकाथाना
39. श्रीमाधोपुर
40. खण्डेला

जिला अजमेर

41. पुष्कर
42. केकड़ी
43. सरवाड़

जिला टोंक

44 उनियारा
45 मालपुरा
46 देवली
47 टोडारायसिंह
48. निवाई

जिला जैसलमेर

49 पोकरण

जिला नागौर

50. पर्वतसर

जिला पाली

51. सादड़ी

जिला जालौर

52. भीनमाल

जिला सिरोही

53. शिवगंज
54. पिण्डवाड़ा

जिला भीलवाड़ा

55. गंगापुर

जिला उदयपुर

56. भीण्डर
57. सलूम्बर
58. देवगढ़
59. आमेट
60. रामसमन्द
61. फतेहनगर

जिला चित्तौड़गढ़

62. छोटी सादड़ी
63. बड़ी सादड़ी

जिला डूंगरपुर

64. सागवाड़ा

जिला बांसवाड़ा

65. कुशलगढ़

जिला बून्दी

66. लाखेरी
67. नैनवा
68. केशोरायपाटन

जिला कोटा

69. छबड़ा
70. इन्द्रगढ़
71. रामगंजमण्डी

जिला झालावाड़

72. सूनेल
73. भवानी मण्डी

नगरपालिकाओं की सूची जहां चुनाव दिनांक 1-8-76 को सम्पन्न हुए हैं।

जिला	क्र.सं.	नाम नगरपालिका	जिला	क्र.सं.	नाम नगरपालिका
श्रीगंगानगर	1.	सादुलशहर	जालौर	22	जालौर
जिला-चूरू	2.	राजगढ़	सिरोही	23.	आबूरोड
	3	सरदारशहर		24.	सिरोही
झुंझुनू	4.	चिड़ावा	भीलवाड़ा	25.	जहाजपुर
	5	नवलगढ़		26.	शाहपुरा
भरतपुर	6	बाड़ी	उदयपुर	27.	नाथद्वारा
	7.	बयाना	चित्तौड़गढ़	28.	कपासन
	8.	डीग		29.	चित्तौड़गढ़
	9.	धोलपुर		30.	निम्बाहेड़ा
	10	कामां		31.	प्रतापगढ़
	11	कुम्हेर	डूंगरपुर	32.	डूंगरपुर
सवाई माधोपुर	12.	हिण्डौन	बांसवाड़ा	33.	बांसवाड़ा
	13.	करौली	बूंदी	34	बूंदी
जयपुर	14	दौसा	कोटा	35.	बांरा
	15	चौमूं			
	16.	सांभर	झालावाड़	36	झालावाड़
सीकर	17.	लक्ष्मणगढ़		37.	झालरापाटन
	18	रामगढ़		38.	पिंडवाड़ा
जैसलमेर	19	जैसलमेर	बाड़मेर	39.	बालोतरा
नागौर	20.	डीडवाना	जोधपुर	40.	फलोदी
	21.	मकराना			

(120)

नव निर्मित नगरपालिकाओं की सूची जहां ग्राम पंचायतों के समय के मंडल कार्यरत हैं।

जिला	क्र.सं. नाम नगरपालिका
झुन्झुनूं	1. मंड्रेला
भरतपुर	2. भुसावर
	3. नगर
जयपुर	4. नरायणा
	5. लालसोट
सीकर	6. रींगस
	7. लोसल
अजमेर	8. विजयनगर
नागौर	9. कुचेरा
	10. मुण्डवा
पाली	11. जैतारण
	12. तखतगढ़
	13. रानीखुर्द
	14. सुमेरपुर
	15. निमाज
जालौर	16. आहोर
भीलवाड़ा	17. मांडल
	18. आसीन्द
उदयपुर	19. कानोड़
कोटा	20. मांगरोल
	21. सांगोद
	22. छीपाबड़ोद
बाड़मेर	23. शिवाना
जोधपुर	24. बिलाड़ा

राज्य में 150 रोगी शैय्याओं वाले अस्पताल

112. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 150 रोगी शैय्याओं के कितने अस्पताल किन किन स्थानों पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा रोगी शैय्याओं के अस्पताल खोले जाने के लिए किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के राजकीय चिकित्सालय में 100 शैय्याओं को 150 रोगी शैय्याओं में बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कब तक कदम उठाएगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला चिकित्सालयों में रोगी शैय्या बढ़ाने के लिये जो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

150 रोगी शैय्याओं वाले चिकित्सालय की सूची

(1) माहुटा अस्पताल, धौलपुर
(2) महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा
(3) जनरल अस्पताल, डूंगरपुर

(4) जनरल अस्पताल, गंगानगर
(5) श्री कल्याण अस्पताल, सीकर
(6) बांगड़ अस्पताल, पाली
(7) अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1970-71 व 1971-72 के अक्टूबर माह तक जिला मुख्यालयों पर निम्न प्रकार से शैय्याएं कर दी जाएं:—

(अ) जिस जिले में आबादी सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 8 लाख या इससे अधिक हो जहां 150 शैय्याएं।

(ब) 8 लाख से कम आबादी वाले जिले में 100 शैय्याएं।

(स) डेजर्टेड एरिया के जिले बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मुख्यालयों पर 150 शैय्याएं।

(द) जिला मुख्यालयों के अलावा भूतपूर्व नरेशों की राजधानियों पर निम्नलिखित शैय्याएं कर दी जावें:—

प्रतापगढ़	65
करौली	75
धौलपुर	150
शाहपुरा	50
किशनगढ़	50

(ध) बांरा (कोटा) अस्पताल में 25 शैय्याएं कर दी जावें।

उपरोक्त शैय्याओं को बढ़ाने के लिए 1970-71 में 50 प्रतिशत धनराशि भवन निर्माण के लिए रखी जावे तथा शेष 50 प्रतिशत जन सहयोग से प्राप्त की जावे। इस प्रकार इस मद में रु. 2.50 लाख के प्रावधान के अतिरिक्त 6 लाख रुपए और बढ़ा दिए जावें और अगले वर्ष इक्विपमेन्ट व अगले (स्टाफ) की स्वीकृति दे दी जावे।

उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचौर में वाणिज्य विषय में टंकण की कक्षा

113. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी तक वाणिज्य विषय में टंकण की कक्षा नहीं खोली गई है? यदि हां, तो क्यों? और अब टंकण कक्षा कब तक खोल दी जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय का भवन अभी तक अपूर्ण है? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर कस्बा में स्थित उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन एवं उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला भवन अभी तक अपूर्ण एवं अपर्याप्त है? यदि हां, तो उक्त भवनों को पूर्ण कब तक करवा दिया जायेगा?

(4) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के बारे में अनुदान देने की क्या नीति है? क्या सरकार भविष्य में ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा अनुदान देकर भवन निर्माण करवाने की नीति निर्धारण करना चाहेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(122)

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। यदि स्थानीय जनता टाइप मशीनें देने को प्रस्तुत हो तो इस पर विचार किया जायेगा।

(2) जी हां। वित्तीय प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां। वित्तीय प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार जन सहयोग की ही अपेक्षा करती है तथा उन्हीं स्थानों पर विद्यालय खोलती है जहां भवन उपलब्ध होता है। वर्तमान में वित्तीय संकोच के कारण विशेष अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।